खण्ड–10, अंक–4
मंगलवार, पौष 02, शक संवत् 1925
(23 दिसम्बर, 2003 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2003)

(खण्ड 10 में 8 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
प्रश्नोत्तर	1–80
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	80
जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में व्याप्त अव्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80–81
जनपद ऊधमसिंह नगर के ब्लॉक सितारगंज में महिला चिकित्सक की नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	81
जनपद देहरादून के ग्राम डोईवाला के अन्तर्गत निर्मित मोथरोवाला–दूधली मोटर मार्ग के मध्य हाईपावर विद्युत लाइनों को आवासीय भवनों एवं सड़क के किनारे स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड के अन्तर्गत बगोली–कोटी मार्ग निर्माण में भूमि का मुआवजा न मिल पाने के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81–82
जनपद चमोली के विकास खण्ड थराली में उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण कार्यालय अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने से विद्युतीकरण कार्य प्रभावित होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	82
कालाढूंगी पेयजल योजना (जनपद नैनीताल) को वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर यथाशीघ्र पूरा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
जनपद पौड़ी गढ़वाल की नगरपालिका परिषद्, दुगड्डा के कर्मचारियों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	82–83
उत्तरांचल सरकार के वित्तीय वर्ष 2002–2003 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे का प्रतिवेदन (प्रस्तुतीकरण)	83
जनपद उत्तरकाशी में पट्टी भण्डारस्यूँ दशगी हातड़ को मिलाकर नये विकास खण्ड के सृजन विषयक याचिका	83
जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर को नया जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका	83
उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित) ...	83–84
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	84–88

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2003 पर अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल प्राविधिक परिषद् विधेयक, 2003 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	88–110
उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	110–115
उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 (पारित) ...	115–121
प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या पर नियम 52 के अन्तर्गत श्री मदन कौशिक द्वारा दी गई सूचना पर चर्चा	121–133
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	133–134
नत्थियाँ	135–152

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्रीमती आशा देवी
7—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8—श्री उम्मेद सिंह मांजिला
9—श्री काशी सिंह ऐरी
10—श्री किशोर उपाध्याय
11—श्री कैलाश शर्मा
12—श्री कौल दास
13—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14—श्री गोपाल सिंह
15—श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल
16—श्री चन्द्रशेखर
17—श्री जोत सिंह
18—श्री तसलीम अहमद
19—श्री तिलक राज बेहड़
20—श्री तेजपाल सिंह रावत
21—श्री दिनेश अग्रवाल
22—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
23—श्री नव प्रभात
24—श्री नारायण दत्त तिवारी
25—श्री नारायण पाल
26—श्री नारायण राम आर्य
27—श्री नारायण सिंह जंतवाल
28—काजी निजामुद्दीन
29—श्री प्रकाश पंत
30—कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
31—डॉ0 प्रताप बिष्ट
32—श्री प्रदीप टम्टा
33—श्री प्रीतम सिंह
34—श्री प्रीतम सिंह पंवार
35—श्री प्रेमानन्द महाजन
36—श्री फूल सिंह बिष्ट
37—श्री बलबीर सिंह नेगी
38—श्री बिजयपाल सिंह सजवाण
39—श्री बिशन सिंह चुफाल
40—श्री भगत सिंह कोश्यारी
41—श्री मदन कौशिक
42—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
43—श्री महेन्द्र भट्ट
44—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)
45—श्री मातबर सिंह
46—श्री माल चन्द
47—चौ0 यशवीर सिंह
48—श्री रणजीत सिंह
49—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
50—श्री राम प्रसाद टम्टा
51—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
52—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
53—श्री शूरवीर सिंह
54—डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
55—श्री सहजाद
56—श्री साधू राम
57—श्री सुबोध उनियाल
58—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
59—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
60—श्री सुरेश चन्द
61—श्री हरबंस कपूर
62—श्री हरभजन सिंह चीमा
63—श्री हरीदास
64—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
65—श्री हीरा सिंह बिष्ट
66—श्री हेमेश खर्कवाल
67—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

राज्य में गन्ने के मूल्य का निर्धारण

**1–श्री मदन कौशिक

क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल राज्य में गन्ने का मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों?

यह मूल्य कब तक निर्धारित कर दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

गन्ना मूल्य का निर्धारण शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 के तहत भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

भारत सरकार के विवेकाधीन है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि गन्ना मूल्य का निर्धारण शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 के तहत भारत सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जितनी निगम और सहकारिता के क्षेत्र की यहां पर शुगर मिलें हैं? उनमें जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि 95 रुपये की दर से गन्ने का भुगतान किया जा रहा है। मान्यवर, यह किस आधार पर किया जा रहा है? दूसरा, यह कि जो निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं, उनमें कम रेट पर भुगतान क्यों किया जा रहा है? तीसरा, यह कि यहां जितनी निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं, सबसे गन्ने का मूल्य अलग–अलग क्यों लिया जा रहा है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, माननीय सदस्य, हरिद्वार गन्ना विभाग के भी मुझे बहुत जानकार लगते हैं, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। यह प्रश्न आज का नहीं है। यह बहुत समय से हर साल हर सीजन में चलता रहा है। मुझे 1952 और इससे पहले से भी इसे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रश्न यह है कि जैसा मैंने कल भी कहा, यह केवल राजनीतिक दल का प्रश्न नहीं है। यह कांग्रेस या किसी एक दल का प्रश्न नहीं है। भारत की जो अर्थ व्यवस्था है, डब्ल्यू0टी0ओ0 से समझौता होने के बाद सारी स्थिति बदल गयी है। मैंने कल भी कहा था कि 100 बिलियन डॉलर हमारा रिजर्व हो गया है, इसका कारण क्या है? डब्ल्यू0टी0ओ0 से समझौता होने के कारण हमें फायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। चीनी का उत्पादन पूरे विश्व में अधिक होता है, उसके लिए भी भारत में आने का मार्ग प्रशस्त हो गया। चीनी के दाम सारे संसार में नीचे आने के कारण भारत में भी

इसका प्रभाव पड़ा और हमारे यहाँ स्टॉक बढ़ गया है। गन्ने की नई वैराइटी आ जाने के कारण भी स्टॉक बढ़ गया है। भारत सरकार को बहुत फूक-फूक कर चलना पड़ रहा है। नई गन्ना नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा लोक सभा या राज्य सभा में होनी है। हम एस0एम0पी0 निर्धारित नहीं कर सकते हैं। पहले राज्य अपने-अपने ढंग से दाम तय करते थे, मुझे भी उत्तर प्रदेश में ऐसा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले हर चीज़ प्लान्ड इकोनामी में थी, जिससे हर चीज में कण्ट्रोल कर सकते थे।

मान्यवर, आज चाहे किसी भी राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, राज्य सरकार का कण्ट्रोल कम होता जा रहा है। आज की हालत को मद्देनजर रखते हुए गन्ने का कण्ट्रोल तथा चीनी का कण्ट्रोल भारत सरकार को करना है। बीच में सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, उसने आदेश दिया कि भारत सरकार ने जो तय किया है, उससे ज्यादा राज्य सरकार को देने का हक नहीं है। इस आदेश के खिलाफ गन्ना किसान भी लड़ रहे हैं, फेडरेशन भी लड़ रहे हैं। यह कण्ट्रोल कम होने का कारण है। अब हम बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे ही एस0एम0पी0 निकलती है हम विचार करेंगे।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी विद्वान हैं, वे जैसा चाहे वैसे प्रश्न को घुमा सकते हैं। मेरा प्रश्न यह था कि जितनी सहकारी चीनी मिलें तथा निगमों की चीनी मिलें हैं वे 95 रुपये के रेट किसान को दे रही हैं। जबकि प्राइवेट चीनी मिलें रु0 80.50 की दर से किसानों को दे रही हैं ? कोई-कोई 88.00 की दर से किसानों को दे रही हैं। जबकि निगम सहकारी मिलों द्वारा 95.00 रुपये का मूल्य दिया जा रहा है। यह अन्तर क्यों है ? क्यों नहीं सभी मिलें एक ही रेट गन्ना किसानों को देती हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

मान्यवर, इसका कारण यह है कि राज्य सरकारें अपनी ओर से किसानों को ज्यादा रेट दे देती हैं। यह सब्सिडी के रूप में हैं। इस साल जैसा कि माननीय गन्ना राज्य मंत्री जी ने बताया कि 73 करोड़ रुपये की सब्सिडी बतौर उत्तरांचल के गन्ना किसानों को दी गई। इसे राज्य प्रभावित मूल्य कहते हैं। यह एस0एम0पी0 के अलावा है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया है। ऐसा ही दूसरी सरकारों ने भी किया है चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। हमने अपना कर्तव्य निभाया। निजी मिल मालिक कहते हैं कि हम इतना नहीं दे सकते। गन्ने का विषय काफी विस्तृत है। इस पर एक गोष्ठी होनी चाहिए तभी सभी शंकाओं का समाधान हो पायेगा।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोष्ठी की बात कही है तो मैं चाहता हूं कि इस पर एक विस्तृत चर्चा हो जाय। मान्यवर, इस सदन में हर रोज गन्ने की बात उठ रही है।

(जोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस विषय को बाद में दे दें, मैं किसी नियम के अन्तर्गत सुन लूंगा।

"चौ0" यशवीर सिंह–

मान्यवर, जो गजट है उसके अनुसार 8.5 प्रतिशत चीनी की मूल रिकवरी पर 69.50 प्रतिशत इसके पश्चात् 0.11 रिकवरी बढ़ने पर .82 पैसे अलग से मिलने का प्राविधान है।

मान्यवर, मिल मालिक अपने बचाव के लिए एस0एम0पी0 को कम दिखाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि एस0एम0पी0 की तीन बार जांच होनी चाहिए तथा मान्यवर, इस जांच में जिलाधिकारी तथा दो जनप्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत अच्छा है। यह प्रश्न एस0एम0पी0 से उतना सम्बन्ध नहीं रखता है, जितना मिल रिकवरी दिखाते हैं। एस0एम0पी0 एक बार फिक्स होती है, जो भारत सरकार के कण्ट्रोल 1966 के अनुसार निकलती है। मान्यवर, चीनी मिलों तथा गन्ना मिलों के आपसी सहमति के आधार पर गन्ना मूल्य तय किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को बधाई देता हूं, जो कार्य उन्होंने किया है तथा उसमें हमने भी आपका पूरा–पूरा सहयोग दिया है। हम केन्द्र से आग्रह करेंगे जो आपने सुझाव दिया है, मुझे आशा है इसमें केन्द्र सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी।

(प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मिनिमम प्राईस 95 रु0 तय किया हुआ है, वही देंगे या कोई अन्य रेट तय करेंगे ? इस सम्बन्ध में कृपया सदन को अवगत करायें।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि एस0एम0पी0 राज्य सरकार फिक्स नहीं करती है, यह केन्द्र सरकार फिक्स करती है। अभी एस0एम0पी0 घोषित नहीं हुई है, यदि एस0एम0पी0 ज्यादा घोषित होती है तथा सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाजत दे देती है तो राज्य सरकारें अपने मूल्य घोषित कर सकती हैं, जैसे कि गत वर्ष हम पर कोई बाधा नहीं थी कि हम एस0एम0पी0 से ज्यादा घोषित करें। मान्यवर, यदि सुप्रीम कोर्ट और केन्द्र सरकार यह तय करती है कि रेट एक हो तो यह निर्णय एस0एम0पी0 के घोषित होने पर और सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने पर होगा।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह सीधा विषय है, कोई विवाद का विषय नहीं है। मान्यवर, सैन्ट्रल से 32 करोड़ मिला वह आपने लिया या नहीं ? लिया तो, क्यों नहीं लिया और आप स्टेट की ओर से जो सब्सिडी दे रहे थे वह देंगे या नहीं देंगे ? इसका उत्तर चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि मैं विस्तार में गया। मान्यवर, यह विस्तार में जाने का ही विषय है।

(व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, हम इस पर चर्चा चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें, आप नियम 56 में दे दें बाद में सुन लेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, न्यूनतम गन्ना चीनी मूल्य भारत सरकार तय करती है और अगले वर्ष हम यह करेंगे या नहीं ? यह न्यूनतम गन्ना मूल्य घोषित होने पर निर्भर करेगा। मान्यवर, केन्द्र द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य में और राज्य द्वारा घोषित मूल्य में बहुत फर्क होता है, अगर यह फर्क जारी रहता है तो हम किसानों को सब्सिडी देंगे, इसके लिए हम तैयार हैं। हो सकता है कि थोड़ा और पैसा इकट्ठा करके किसानों को और पैसा दे दें। पर आप समय तो दें।

(घोर व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, एक सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष–

सुझाव आप लिखित में दे दीजियेगा।

(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश में लकड़ी का भाव क्या है और गन्ना का मूल्य क्या है ?

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, यदि लकड़ी से चीनी निकालने में सफल हों ....

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, गन्ने की कीमत नहीं दे रहे हैं, इसलिए गन्ना लकड़ी में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए नेता विरोधी दल ने यह बात कही है।

(व्यवधान)

ी नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है गन्ने और लकड़ी के बीच का। मैं ापके प्रश्न को जैसे का तैसा माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार को भेज दूंगा कि मुझे त्तर देने में सहायता करें।

(मेजों की थपथपाहट)

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर)

ी मातबर सिंह–

मान्यवर, सरकार किसान विरोधी है और हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, सलिए हम सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये तथा पुनः वापस आकर अपने स्थानों पर बैठ गए)

देहरा–विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनियों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

* 2–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या आवास मंत्री बतायेंगे कि मसूरी–देहरा विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनियों के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हां, तो अब तक कुल कितनी भूमि अधिगृहीत की गयी है/की जा रही है था उसका विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या सरकार अधिगृहीत क्षेत्र के अन्तर्गत आने ाले कुछ निजी भवनों का भी अधिग्रहण कर रही है ?

यदि हां, तो कितने भवनों का अधिग्रहण किया जा रहा है और वे कहां–कहां स्थित हैं ?

ी नारायण दत्त तिवारी–

जी हां। ऐसी भूमि, आवश्यकतानुसार राजकीय कार्यों के लिये भी प्रयुक्त हो सकती है।

अब तक कुल क्षेत्रफल 13.32 हेक्टेयर भूमि ग्राम माजरा में अधिग्रहीत की जा चुकी है व कुल क्षेत्रफल 613.4697 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टे0 में)
1	2	3
1.	देहरा खास	131.090
2.	ब्राहमणवाला	49.720
3.	कारगी ग्रांट	30.594

1	2	3
4.	अजबपुर खुर्द	72.550
5.	माजरा गांव	107.367
6.	सेवलाखुर्द (ट्रांसपोर्टनगर)	10.12
7.	कांवली (इन्दिरापुरम्)	5.829
8.	रायपुर	11.081
9.	अजबपुर कला	75.456
10.	धोरणखास	15.909
11.	तरला नागल	42.587
12.	सेवलाकला (निरंजनपुर)	35.086
13.	धर्मपुर	0.075
14.	डांडा लखोण्ड	0.304
15.	भारूवाला ग्रान्ट	8.820
16.	चकशाह नगर	0.896
17.	अजबपुर कला पार्किंग	0.944
18.	खेड़ामानसिंग	1.1670
19.	निरंजनपुर मण्डी समिति	13.8747

जी नहीं, वर्तमान में निजी भवनों के अधिग्रहण की कोई योजना नहीं है किन्तु ग्राम माजरा में अधिग्रहीत की गयी 13.32 हे0 भूमि के मध्य आने वाले एक मात्र भवन का अधिग्रहण किया गया है क्योंकि यह भवन आई0एस0बी0टी0 योजना में स्थित था।

उपरोक्तानुसार।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया कि ऐसी भूमि आवश्यकतानुसार राजकीय कार्यों के लिए भी प्रयुक्त हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी यह भी स्पष्ट करें कि राजकीय कार्यों के अतिरिक्त किन कार्यों के लिए इस भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा दूसरा यह कि कृषि भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् जो कृषक कृषि मजदूर एवं पशु पालक हो जायेंगे सरकार के पास इनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था है एवं तीसरा यह कि छोटे प्लाट धारकों को सरकार क्या छूट देने जा रही है ? क्योंकि इनका उद्देश्य तथा सरकार का उद्देश्य समान है।

वन एवं आवास मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, राजकीय कार्यों के अतिरिक्त आवासीय कार्य में प्रयुक्त किया जायेगा, इसके अतिरिक्त जहां तक पुनर्वास का सवाल है भूमि के जो स्वामी हैं, उनको अधिग्रहण के समय मूल्य का भुगतान किया जायेगा और तीसरा यह कि यदि कई भवन इस क्षेत्र में होंगे, अत्यधिक भवनों का निर्माण हो गया होगा तो उसको इस क्षेत्र से छोड़ दिया जायेगा।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आपने कहा था कि उनकी अधिग्रहीत भूमि को सर्किल रेट के हिसाब से पैसा देंगे लेकिन जो सर्किल रेट हैं और जो एक्चुअल रेट हैं उसमें काफी अन्तर है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आप इसकी स्पष्ट जानकारी हमें दे दें, क्योंकि इससे हमें राजस्व की वसूली में भी काफी मदद मिलेगी।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, अभी सर्किल रेट रिवाइज किये गये हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह बात आपकी लीगली सही हो सकती है, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मार्केट रेट बिल्कुल अलग और जो सर्किल रेट हैं वह इससे बिल्कुल भिन्न हैं। जिन लोगों ने यहां पर छोटे–छोटे प्लाट खरीदे हैं वह आर्थिक रूप से कमजोर थे, क्योंकि वह क्षेत्र राजधानी बनने से पहले इन्टीरियल कहा जाता था, उनके जो प्लाट हैं वह 100 गज, 200 गज के हैं। उनको सर्किल रेट से पैसा दिया जायेगा तो यह सरासर अन्याय है। सरकार उनको प्लाट के बदले प्लाट दें, उनसे डेवलपमेन्ट चार्ज का पैसा ले लें। मान्यवर, गाजियाबाद में ऐसे लोगों को 60% जमीन दी है। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी को सदन को आश्वस्त करना चाहिए कि ऐसे जो छोटे प्लाटधारी हैं उनको प्लाट के बदले प्लाट देंगे।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि आवासीय हेतु जो भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उसे हम नक्शों के आधार पर विकसित कर सकें। जो छोटे प्लाटधारी हैं उनको हम मास्टर प्लान के आधार पर ही सुविधायें दे पायेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम उनको मास्टर प्लान के आधार पर सुविधाएं दे पायेंगे, क्या इस शहर का मास्टर प्लान बन गया है ? दूसरी बात यह है कि यदि मास्टर प्लान नहीं बना है तो जो आज आप अधिग्रहण कर रहे हैं, उससे शहर के लोगों में भय का वातावरण बन रहा है ? इसके जो परिणाम होंगे, क्या सरकार उस पर विचार करेगी ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मास्टर प्लान की बात है वह प्राधिकरण के स्तर की योजना है। मैं जिस मास्टर प्लान की बात कर रहा हूं वह अधिग्रहण भूमि से विस्तृत नक्शें बनने की है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह तो प्राइमरी और डिग्री जैसी बात हो गयी है। यह तो राजधानी क्षेत्र है, यह वैसे ही महत्वपूर्ण है। इसे तो महानगर के हिसाब से प्राधिकरण सम्मिलित होकर तय करें, जिससे कि यहां कि जनता को कष्ट न हो।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मास्टर प्लान 2004 फरवरी तक घोषित हो जायेगा।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आप दो–दो मास्टर प्लान की बात नहीं कहिये, आप एक ही की बात करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि और जहां तक मेरी जानकारी है कि आपने अपने प्रश्न के उत्तर के दूसरे हिस्से में कहा है कि कुल 13.32 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण कर ली गयी है और 613.46 हेक्टेयर भूमि को अभी अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। मेरी जानकारी के अनुसार जिन गांवों का आपने उल्लेख किया, वे बासमती बेल्ट के अन्तर्गत आते हैं और यहां के काश्तकारों को अनेकों आपत्तियां हैं, कई संदेह हैं और बहुत सी समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं को लेकर संभवतः आपके पास आये भी थे और इस सम्बन्ध में उन्होंने माननीय नेता सदन से भी गुहार लगायी थी और उनका कहना भी यही है कि चूंकि यह बासमती बेल्ट के अन्तर्गत आता है इसलिए इसका अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इन लोगों की आपत्ति यह है कि जो यह अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है उससे कोई बड़ा जनहित होने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने उन काश्तकारों जिनकी भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उनकी समस्या को सुना है और अगर सुना है तो उसके समाधान के लिए जो सुझाव दिये हैं उस पर विचार किया ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हमारी उनसे वार्ता हुई थी। उस वार्ता का सारांश यह था कि अगर वे भूमि को कृषि योग्य कार्य के लिए रखना चाहते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है लेकिन अगर वे उस भूमि को आवास के लिए परिवर्तित करना चाहते हैं तो हम आवास के विकास की व्यवस्था नियंत्रित रूप में करना पसन्द करेंगे।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने अपने रोजगार के लिए प्लाट लिया था, क्या उनको कामर्शियल प्लाट दिया जायेगा और वह किस मूल्य पर देंगे ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो मेरी जानकारी में है कि अनेक प्रभावशाली लोगों की जमीनें बीच में ही छोड़ दी गयी हैं यह आपत्तिजनक है, क्या ऐसा हुआ है ? मेरे पास उनके नम्बर भी हैं। मान्यवर, रायपुर ग्रामसभा में एक महावीर चक्र विजेता श्री जसवंत सिंह रावत हैं जिनको सरकार ने 7 बीघा जमीन दी है और वहीं वीर चक्र विजेता श्री तेग बहादुर थापा हैं और 2–3 स्कूल हैं और 20–25 निजी मकान बने हुए हैं, जिन्होंने बैंक से लोन लेकर मकान बनवाया है। ऐसी भी कोई सरकार की योजना है कि सरकार उनको अधिग्रहीत करेगी ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जहां पर ज्यादा मकान बने हुए हैं उस जगह को अधिग्रहीत न करने पर विचार किया जा रहा है और जो कामर्शियल प्लाट की बात है तो अभी उनका मूल्य घोषित नहीं किया गया है और जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि कुछ प्रभावशाली लोगों की जमीनों को छोड़ने के बारे में, तो अगर वे इसकी पूरी जानकारी दे दें तो उसको हम देखेंगे। मान्यवर, जो वीर चक्र विजेता हैं। उनके बारे में आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी अपने लिखित उत्तर में बताया कि ग्राम माजरा में अधिग्रहीत की गयी 13.32 हेक्टेयर भूमि के मध्य आने वाले एक मात्र भवन का अधिग्रहण किया गया है। क्योंकि वह भवन आई०एस०बी०टी० योजना में स्थित था और फिर मौखिक रूप से माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह देखा जा रहा है कि वहां पर कितने भवन वर्तमान में बने हैं। मान्यवर, एक तरफ तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मात्र एक भवन बना हुआ है और दूसरी तरफ कहते हैं कि यह देखा जा रहा है कि वहां पर कितने भवन बने हुए हैं ? मान्यवर, सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो फरटाईल लैण्ड है, जो बासमती के लिए विश्वविख्यात भूमि है, उसे वह अधिग्रहीत करने जा रहे हैं। मान्यवर, जहां तक मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण की बात है आज देहरादून की जनता को मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण पर कोई विश्वास नहीं रहा है। 1984 में मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था।

श्री अध्यक्ष–

कृपया मूल प्रश्न पर आयें।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, इसी प्रकार से जहां पर ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना हुई, वहां पर 2 लाख रुपये में जमीन अधिग्रहीत की गई और 20 लाख में उसे बेचा गया। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने जो छोटे–छोटे कर्मचारी हैं, छोटे–छोटे दुकानदार हैं, किसान हैं, जिनकी भूमि मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण लेने जा रही है, क्या उन लोगों को जिन्होंने अपने आवास बनाने के लिए भूमि ली थी, क्या माननीय मंत्री जी सुनिश्चित करेंगे कि इन भू–खण्डों में इन व्यक्तियों को भूमि उपलब्ध करायेंगे ? एक बात और जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि फरटाईल लैण्ड जो बासमती के लिए विश्वविख्यात है, उसको अन्य परियोजनाओं में शामिल करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, एक प्रश्न आया है कि क्या मजबूरी है ? आप स्वयं मेरे से ज्यादा वरिष्ठ सदस्य हैं। आवास की व्यवस्था करना हमारी नीति है। शहरों के विकास के साथ–साथ पिछले दशक में जो जनसंख्या का घनत्व है वह इन्हीं शहरों के पास बढ़ा है। इसलिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। प्राधिकरण की कार्य–प्रणाली में थोड़ी कमी है। मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण ने 1990 में अपनी आखिरी ऑथराईज्ड कॉलोनी बनाई थी।

इसके बाद नई आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं की गई! यदि प्राधिकरण नई कॉलोनी विकसित करता रहता तो यह स्थिति नहीं आती।

मान्यवर, अगर वे कृषि करना चाहते हैं उस भूमि पर, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पर छोटे-छोटे भूखण्ड वाले भी लोग हैं, जो कि आवास बनाना चाहते हैं। यहां विरोधाभास की स्थिति यहीं पर उत्पन्न हो रही है और यह भी ठीक है कि यह प्राधिकरण के कारण ही आ रहा है, यदि वे सही ढंग से कार्य करते तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती। अब आगे जो योजनायें बनेंगी वह प्लान्ड होंगी उनमें कोई विरोधाभास न आने पाये ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। इस सम्बन्ध में 5-6 नियम काफी प्रभावशाली होते हैं। उन्हें हम पुनर्नियोजित कर रहे हैं। इसमें हमारे कुछ विद्वान साथी भी हमारी मदद कर रहे हैं, मैं उन्हें भी आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं।

श्री काशी सिंह ऐरी-

मान्यवर, मेरा प्रश्न कुछ विशिष्ट है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर भाषण में कहा वहां पर सेक्शन 4 और 6 की कार्यवाही पूरी हो चुकी है तो वह सेक्शन 4 और 6 की कार्यवाही में काफी समय लगता है। उस समय जब सेक्शन 4 और 6 शुरू हुआ तो वहां के सर्किल रेट अलग होंगे और वर्तमान में अलग होंगे। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अधिग्रहण होने के बाद जो आप भुगतान करेंगे तो वह किस रेट के आधार पर करेंगे ? उस समय के रेट पर या वर्तमान रेट पर ? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि आवासों की व्यवस्था करना मजबूरी है, तो क्या यह जरूरी है कि प्राधिकरण जहां पर बासमती चावल ज्यादा होता है, जिसे हमारे यहां श्याल कहते हैं और जो ज्यादा उपजाऊ जमीन है, वहीं पर आवासीय कॉलोनी बनायें ? क्यों नहीं प्राधिकरण किसी ऊबड़-खाबड़ जमीन को या बंजर जमीन पर कॉलोनी को बनाता है, तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री नव प्रभात-

मान्यवर, पहले सवाल का उत्तर यह है कि जो उस समय प्रभावशाली रेट होंगे वहीं दिये जायेंगे तथा दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि जो भू-अध्यादेश लाया जा रहा है, शायद नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के श्री ऐरी जी भी हमसे उस पर सहमत हैं, इसमें नये मानक लिये हैं, इस पर हमें कुछ कठोर कदम भी उठाने होंगे कि जो लोग किसानों की जमीन पर कब्जा करके वहां पर पहले ही छोटी आवासीय कॉलोनी बना चुके हैं और उस भूमि पर कृषि नहीं होने दे रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए ही यह अध्यादेश लाया जा रहा है, इस सम्बन्ध में उसमें प्रावधान है। जिसे आज हम बासमती लैण्ड कह रहे हैं वहां पर लोगों ने पहले ही माफियाओं द्वारा कॉलोनी बना रखी है।

श्री काशी सिंह ऐरी-

मान्यवर, लोग तो एम0डी0डी0ए0 को भी माफिया कहते हैं।

ी हरबंस कपूर--

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि एम0डी0डी0ए0 ने अंतिम आवासीय लोनी 1990 में बनाई थी। मैं जानना चाहता हूं कि जो आवासीय कॉलोनी उन्होंने कसित की थी क्या उसमें जितने भवन बने थे, क्या उन्हें एम0डी0डी0ए0 ने आवंटित र दिया है या कुछ रिक्त हैं ? यदि रिक्त हैं तो माननीय मंत्री जी भी आज मकानों की गी बता रहे हैं, मैं भी उससे सहमत हूं। जब 1990 में अंतिम आवासीय कॉलोनी बनी ी तो 1990 से लेकर 2003 तक वे मकान रिक्त क्यों हैं, उन्हें लेने के लिए कोई तैयार यों नहीं है ? इन सबका निष्कर्ष यह है कि इससे एम0डी0डी0ए0 की कार्य शैली पर प्रश्न न्ह लग रहा है।

ी नव प्रभात--

मान्यवर, इसकी तो जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि कितने भवन रिक्त हैं ?

तारांकित प्रश्न

नैनीताल झील को प्रदूषण मुक्त करने के उपाय

1--श्री मातबर सिंह--

क्या पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि नैनीताल झील का पानी प्रदूषित है ?

क्या यह सत्य है कि इस प्रदूषित पानी के कारण नैनीताल में बीमारियों का कोप बढ़ रहा है ?

यदि हां, तो क्या सरकार नैनीताल झील के पानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए या कारगर कदम उठा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

ी नव प्रभात--

जी हां। आंशिक रूप से प्रदूषित है।

नैनीताल में प्रदूषित पानी के कारण बीमारियों में कोई बढ़ोत्तरी दर्ज नहीं हुई है।

राज्य सरकार द्वारा प्रेषित परियोजना के आधार पर राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना े तहत नैनीताल झील के संवर्द्धन एवं पुनर्जीवीकरण हेतु अनुमानित लागत रु0 47.97 रोड़ की त्रिवर्षीय योजना भारत सरकार से दिनांक 13 अगस्त, 2003 को स्वीकृत हुई । इस योजना के सम्पन्न होने पर नैनीताल झील का पानी भी प्रदूषण-मुक्त होगा। रकार द्वारा इस योजना को सक्रिय रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

ी मातबर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि आंशिक रूप से प्रदूषण बढ़ा है, तो एक तो मैं ह जानना चाहता हूं कि कितना प्रतिशत जल प्रदूषित हुआ है ? दूसरा, माननीय मंत्री ी ने बताया कि बीमारियों में कोई बढ़ोत्तरी दर्ज नहीं हुई है। तो क्या माननीय मंत्री ी यह चाहते थे कि बीमारियों में बढ़ोत्तरी हो ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आप तो बीमारियों का प्रकोप बढ़ा रहे थे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैंने तो यह पूछा था कि क्या बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है ? मेरा पूछने का आशय यह था कि नैनीताल झील का जो जल प्रदूषित होता है, इससे क्या–क्या बीमारियां होती हैं, वहां के लोगों को क्या–क्या बीमारियां होती है ? तीसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि जल को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, पहली जानकारी तो यह है कि यह जो प्रदूषण पाया गया है यह 20–11–2003 की पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है। इस जल में मैग्नीशियम की मात्रा जो 100 एम०जी० होनी चाहिए थी, वह सिर्फ 20.6 एम०जी० ही पायी गयी। कॉलीफॉम, जो 50 से 50 हजार के बीच होता है, यह 16 पाया गया। कॉलीफॉम की कमी झील में सीवरेज के जाने से होती है, यही नैनीताल झील में भी हुआ है। इस योजना में सीवरेज को नैनीताल झील में जाने से रोकने की व्यवस्था की जा रही है। जहां तक बीमारियों का प्रश्न है, तो मैंने नैनीताल के सी०एम०ओ० से जानकारी प्राप्त की थी, उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय वाह्य एवं अन्तः रोगियों की संख्या में पिछले वर्षों के सापेक्ष में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। इस प्रकार प्रकोप सम्बन्धी सूचना शून्य समझी जाय। मान्यवर, जो टोटल कॉलीफॉम है, उसके लिए बैक्टीरिया से पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है, इस प्रकार यह कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा ही वहां पर किया जा रहा है। मान्यवर, माननीय सदस्य का जो तीसरा सवाल था, यह 47.97 करोड़ की जो योजना है, जिसका 70 प्रतिशत भाग भारत सरकार से आ रहा है और 30 प्रतिशत भाग राज्य सरकार वहन कर रही है, इसमें सीवरेज के टोटल कंट्रोल की, कैचमेंट सैनीटेशन को कंट्रोल करने की व्यवस्था है। मान्यवर, पानी के विभिन्न स्तरों पर जो प्रदूषण है, साइफन सिस्टम से इसको रोटेट करके इरेशन की टेक्निक के द्वारा तली के पानी को भी साफ करने की व्यवस्था है।

मान्यवर, गन्दगी में जो पौधे उत्पन्न होते हैं उन्हें भी साफ करने की व्यवस्था है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि इस प्रदूषित पानी को पीने से नैनीताल नगर के वासियों को किन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है ? माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर नहीं दिया। यह प्रश्न बहुत गम्भीर है।

(व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य का मूल प्रश्न जो था उसका उत्तर मैंने दे दिया है। फिर भी माननीय सदस्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए मुझे इस बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। इस बारे में मैं उन्हें बाद में बता दूंगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, माननीय कण्डारी जी ने मेरे क्षेत्र के प्रश्न को इस सदन में उठाया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बड़ा गम्भीर प्रश्न है। मान्यवर, नैनीताल की नगरपालिका न केवल इस प्रांत की बल्कि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नगर पालिका है। पर्यावरण और सफाई के मामले में समय–समय पर इस नगर पालिका को प्रथम पुरस्कार भी मिला है। लेकिन कुछ वर्षों से इसकी वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण सफाई व्यवस्था या दूसरी अन्य व्यवस्थाएं खराब हो गई हैं। जिस कारण वहां का पानी भी प्रदूषण के कारण तथा सफाई व्यवस्था ठीक न होने के कारण प्रदूषित हो गया है। मान्यवर, पूर्व में नैनीताल नगर पालिका की वित्तीय स्थिति ठीक थी, उसका कारण यह था कि जो वहां पर पर्यटक आते थे उनसे टोल टैक्स लिया जाता था। टोल टैक्स के कारण नगर पालिका की वित्तीय स्थिति ठीक थी। लेकिन अब टोल टैक्स बंद कर दिया गया है। उसके कारण वहां की सफाई व्यवस्था, पर्यावरण आदि पर इसका असर प्रत्यक्ष रूप से पड़ा है। पालिका को पुनः ठीक से व्यवस्थित करने के लिए सरकार विशेष अनुदान दे। अगर सरकार विशेष अनुदान देने में सक्षम नहीं है तो वहां की पालिका को पुनः टोल टैक्स वसूल करने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, चुंगी हटने से नगर पालिकाओं को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए राज्य वित्तीय आयोग की संस्तुति के अनुरूप 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। नगर पालिकाएं स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, इन्हें अपने आर्थिक संसाधनों की सही वसूली करनी होगी। नैनीताल नगर पालिका की बकाये की क्या स्थिति है, इसे भी देखना होगा।

मान्यवर, जहां तक व्यक्तियों पर टैक्स लगाने का सवाल है, शायद हम उसकी अनुमति नहीं देंगे तथा राज्य में जो वाहन आते हैं, उन पर टैक्स लगाया जायेगा और इस धनराशि को हम स्थानीय निकायों के लिए खर्च करेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि पुनर्जीवीकरण हेतु अनुमानित लागत रु0 47.97 करोड़ की त्रिवर्षीय योजना भारत सरकार से दिनांक 13 अगस्त, 2003 को स्वीकृत हुई है। इस सम्बन्ध में, मैं जानना चाहता हू अब तक हमें कितनी धनराशि मिल चुकी है ? दूसरा सवाल यह है कि उत्तरांचल के जिलों को पुनर्जीवीकरण और संवर्धन के लिए कोई योजना है ? तथा तीसरा सवाल गन्दगी से सम्बन्धित है। मान्यवर, अभी एक टीम निरीक्षण हेतु गयी थी, उसने पाया कि सीवर लाइन का पाइप फटा हुआ था। मान्यवर, क्या सीवर लाइन हेतु राज्य सरकार ने कोई धनराशि स्वीकृत की है, यदि कर दी है तो कब से कार्य आरम्भ हो रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि गत 28 मार्च से 30 मार्च तक मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ नैनीताल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जी से इस दौरान तीन दिन तक चर्चा हुई, इसमें हमें तत्कालीन नेता विरोधी

दल का भरपूर सहयोग मिला। मान्यवर, जो प्रेस विज्ञप्ति 30 मार्च को निकली उसमें इस बात का उल्लेख है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से नैनीताल की झीलों को देखा, तदोपरान्त नैनीताल की समस्त झीलों के सौंदर्यीकरण हेतु जो भी आवश्यकता होगी, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जो राष्ट्रीय स्तर पर है, इसके लिए धनराशि दी जायेगी। मान्यवर, यदि यह धनराशि हम सही खर्च करें तो इसमें अन्य तालों के लिए भी रु0 दिया है। यह धनराशि करीब 97 करोड़ के आसपास है। पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार ने जिसका वर्तमान में यहां पर कोई सदस्य नहीं है, ने टोल टैक्स खत्म किया था।

(व्यवधान)

मसूरी, देहरादून, हरिद्वार के पर्यटकों से टोल टैक्स लिया जाता था। मान्यवर, अब मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, पौड़ी ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, उन क्षेत्रों के लिए विचार करना है।

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न था कि पृथक सीवर लाइन बनाने हेतु कोई धनराशि राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दी है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, 5 करोड़ 60 लाख रुपया केन्द्र से और 2 करोड़ 44 लाख राज्य सरकार से मिला है और अब योजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, प्रश्न किया गया कि नैनीताल झील का पानी प्रदूषित है तो सरकार ने स्वीकारा कि आंशिक रूप से प्रदूषित है। मान्यवर, प्रदूषित पानी के कारण नैनीताल में बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है तो उत्तर आया कि प्रदूषित पानी के कारण बीमारियों में कोई बढ़ोत्तरी दर्ज नहीं है, पर बीमारियों में बढ़ोत्तरी हुई है। मान्यवर, इस प्रदूषित पेयजल में मैग्नीशियम, कॉलीफार्म जैसे अवयव शामिल हैं, तो जो पर्यटक आते हैं उनके लिए सरकार ने पेयजल के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो पेयजल दिया जा रहा है वह ट्रीटमेण्ट के बाद ही दिया जा रहा है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जो नमूने लिए गये हैं वह ट्रीटमेण्ट के पहले के हैं या ट्रीटमेण्ट के बाद के हैं ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वह नमूने झील से लिए गये हैं।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, पिछले दिनों लोक लेखा समिति की टीम नैनीताल गई थी और हमने पाया था कि एक भी पम्प में ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट नहीं लगा है। मान्यवर, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत जो धनराशि है क्या इससे ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट लगाने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इम्प्लेमेण्टेशन के माध्यम से किया जाता है, इसमें पेयजल का प्राविधान नहीं है।

वन विभाग में कार्यरत वन दरोगा व उपराजिक कर्मचारियों को पद की समानता के अनुरूप पंचम वेतन आयोग का लाभ

*2–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार वन विभाग में कार्यरत वन दरोगा व उपराजिक पदों पर सेवारत कर्मचारियों को पद से पद की समानता के अनुरूप वेतनमान दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

मामला विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वन विभाग के सभी संवर्गों को पंचम वेतन आयोग के अनुसार केन्द्र के अनुरूप वेतनमान दिये गये हैं, तो वन दरोगा और उप वन रेंजर पदों को ही इस वेतनमान से वंचित क्यों रखा गया ? क्या यह इन कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं है ? दूसरा यह कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन पदों पर सेवारत कर्मचारियों को पद से पद की समानता के अनुरूप वेतनमान दिये जाने का निर्णय कब तक हो जायेगा ? तथा तीसरा यह है कि वन विभाग में उच्च पदों पर रिक्त होते ही कनिष्ठ अधिकारियों को प्रोन्नत कर दिया जाता है, जबकि वन दरोगा, वन रक्षक व उप वन रेंजर पदों पर कर्मचारियों की पदोन्नति वर्षों तक नहीं हो पाती, तो क्या माननीय मंत्री जी कर्मचारियों की नियमित व समय पर पदोन्नति हेतु कोई स्पष्ट मानक तय करेंगे ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वेतन आयोग की संस्तुतियों के लिए उत्तर प्रदेश के समय में जो समिति बनी थी उस समिति को उत्तर प्रदेश की मुख्य सचिव की समिति द्वारा पुनरीक्षित किया गया है, उसमें जो वन दरोगा के पद हैं, इसमें तो समिति की संस्तुतियों की स्वीकृति

कर ली, उपराजिक के जो पद हैं उसमें भी समिति की सिफारिशों को मान लिया, लेकिन वन दरोगा के प्रकरण में मात्र 20 प्रतिशत को उच्च वेतनमान तथा वन रक्षकों के लिए इस 20 प्रतिशत के राइडर के लिए शासन से कहा। इस 20 प्रतिशत के पुनरीक्षण के राइडर पर पुनर्विचार कर रहे हैं। इसलिए यह मामला लम्बित है और यह शीघ्र ही अगली मंत्रि–परिषद् की बैठक तक हमारा प्रयास है कि हम अपनी नीति तैयार कर लें। मान्यवर, यह आवश्यक नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश के निर्णयों को पूर्ण रूप से मान लें।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मेरे एक प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया कि क्या आप कर्मचारियों की नियमित व समय पर पदोन्नति हेतु कोई विचार करेंगे ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हम विचार करेंगे।

देहरादून के लिए सीवरलाइन की प्रस्तावित वृहत्त योजना

* 3–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून के लिए शीवर लाइन की कोई वृहत् योजना प्रस्तावित है ?

यदि हां तो क्या देहरादून शहर के वार्ड 10, 11, 12, 13 में सीवर लाइन डाली जायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

जी हां।

देहरादून शहर के वार्ड संख्या 11 को छोड़कर अन्य वार्ड संख्या 10, 12, व 13 में सीवर लाइन डाली जानी प्रस्तावित है।

योजना के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक भारत सरकार को वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने प्रस्तावित हैं जिस पर भारत सरकार से धनावंटन होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जा सकेंगे।

उपरोक्तानुसार।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि वार्ड नं0 11 जो है, वह सीवर योजना में सम्मिलित नहीं है, इसका कारण जानना चाहूंगा कि इसको इस योजना से क्यों वंचित रखा गया है और क्या सरकार आगे इस बारे में विचार करेगी और वार्ड नं0 10, 12, 13 के जो प्राक्कलन तैयार किये गये हैं, आपने लिखा है कि प्रस्तावित है। यह योजना प्रस्तावित है तो यह कब तक क्रियान्वित हो जायेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने जिज्ञासा चाही है कि वार्ड नं0 11 को कैसे छोड़ दिया गया और कब तक इसे जोड़ लिया जायेगा, सीवर से। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि देहरादून शहर जिसकी आबादी तेजी से बढ़ी है और बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों को भी इस महानगर में शामिल किया गया है। बहरहाल इस पूरे शहर को हमने 13 जोन में बांटा है और पहले जोन और दूसरे जोन की सैद्धान्तिक स्वीकृति हो गयी है और तीसरे जोन में जो 11 नं0 वार्ड है, अजबपुर डाण्डा एवं रिस्पना नदी से इस पार, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नवोदित राज्य के संसाधन सीमित हैं और सीवर पर बहुत पैसा खर्च होता है। अब तक यह होता रहा है कि भारत सरकार के द्वारा सहायता के रूप में हम लोगों को पैसा देकर सीवर लाइनों के लिए धन उपलब्ध कराते रहे हैं।

मान्यवर, प्रथम फेज में 928 लाख जो 13 किलोमीटर है, फेज दो में 57 सौ 34 लाख। मान्यवर, जो सीवर लाइन पड़नी है, मुझे सदन को जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति पर इसकी डिटेल भारत सरकार को भेजी जा रही है। जिसकी आप बात कर रहे हैं वह फेज तीन में रखी गयी है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें धन व्यय किया जा रहा है, राज्य सरकार भी इस पर व्यय कर रही है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, सीवर बहुत ही खर्चीला मामला है। इसमें सीधे–सीधे केन्द्र विशेष सहायता के रूप में धन उपलब्ध कराता है, तभी हम इसको बना पाते हैं।

गंगा नदी का प्रदूषण कम करने के लिए गंगा एक्शन प्लान का क्रियान्वयन

* 4–श्री मदन कौशिक–

क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि गंगा एक्शन प्लान के तहत गंगा नदी के निर्धारित कार्यक्रम में गंगा का प्रदूषण कम हुआ है ?

यदि हाँ, तो सरकार शहरों के गन्दे पानी को गंगा में प्रवाहित होने से रोकने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

गन्दे पानी को गंगा जी में सीधे प्रवाहित होने से रोकने के लिए गंगा जी के तट पर बसे शहरों में सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट स्थापित करने के लिए गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत योजनायें प्रस्तावित हैं।

लागू नहीं।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, प्रश्न था कि सरकार शहरों के गन्दे पानी को गंगा में प्रवाहित होने से रोकने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही कर रही है ? उत्तर दिया है कि गन्दे पानी को गंगा जी में सीधे प्रवाहित होने से रोकने के लिए गंगा जी के तट पर बसे शहरों में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने के लिए गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत योजनायें प्रस्तावित हैं। मान्यवर, तारांकित प्रश्न संख्या 12 में भी इसका उत्तर दिया है कि गंगा कार्यकारी योजना प्रथम चरण लागत रु0 1461.72 लाख एवं द्वितीय चरण अनु0 लागत रु0 3646.00 लाख के नाम से मुख्य रूप से गंगा जी को प्रदूषण मुक्त करने का कार्य किया जा रहा है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि प्रथम और द्वितीय चरण के अन्तर्गत चल रहा है। मान्यवर, यह एक ही प्रश्न के दो उत्तर कैसे, यह अजीब स्थिति है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

मान्यवर, आप प्रश्न को जरा दोबारा पढ़ लें। आपने पूछा कि क्या गंगा एक्शन प्लान के तहत गंगा नदी के निर्धारित कार्यक्रम में गंगा का प्रदूषण कम हुआ है ? उत्तर आया कि जी हां। दूसरा, आपने पूछा कि सरकार शहरों के गन्दे पानी को गंगा में प्रवाहित होने से रोकने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही कर रही है ? उत्तर है कि गन्दे पानी को गंगा जी में सीधे प्रवाहित होने से रोकने के लिए गंगा जी के तट पर बसे शहरों में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने के लिए गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत योजनायें प्रस्तावित हैं। यह आप किसी एक शहर की बात नहीं कर रहे हैं। यह स्पष्ट कर लें, दूसरे सवाल में स्पेसिफिक जवाब होगा। इसमें यह है कि गंगा फेज एक चल रहा है। इसमें प्रस्तावित है कि प्रथम फेज में जिन योजनाओं को टेकअप किया था उसमें हरिद्वार, ऋषिकेश हैं और द्वितीय प्लान में 10 टाउन हैं, यह बिल्कुल सही है।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, हमने प्रश्न में तो नाम नहीं पूछा था।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा कि पहले प्रश्न के अन्तर्गत योजनाएं प्रस्तावित हैं और दूसरे प्रश्न में योजना चल रही है।

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, यह गम्भीर सवाल है सिर्फ शब्दों का हेर–फेर है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

मान्यवर, पहली बात तो यह कि सवाल स्पेसिफिक होना चाहिए। मान्यवर, फेज–1 में योजना 10 शहरों में लागू हैं। पहले इसमें सिर्फ दो शहर हरिद्वार व ऋषिकेश थे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, ऐसा नहीं है। दोनों प्रश्नों का भाव एक ही है और उत्तर अलग–अलग है। पहले प्रश्न में कहा प्रस्तावित है और दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि योजना चल रही है, दोनों प्रश्नों के उत्तर अलग–अलग हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मात्र इन प्रश्नों में समझने का अन्तर है।

(घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह सदन की अवमानना है।

(घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, पहले प्रश्न को तो ठीक से पढ़ लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया स्पष्ट कर दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, पहले प्रश्न को पढ़कर उसको समझने का प्रयास हमारे माननीय सदस्य करें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया उत्तर तो आने दीजिए।

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, प्रश्न पूछा गया कि क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि गंगा एक्शन प्लान के तहत गंगा नदी के निर्धारित कार्यक्रम में गंगा का प्रदूषण कम हुआ है ? उत्तर आया जी हां। फिर प्रश्न है कि यदि हां, तो सरकार शहरों के गन्दे पानी को गंगा में प्रवाहित होने से रोकने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही कर रही है ? उत्तर आया कि गन्दे पानी को गंगा नदी में सीधे प्रवाहित होने से रोकने के लिए गंगा जी के तट पर बसे

शहरों में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने के लिए गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत योजनाएं प्रस्तावित हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर पूरा है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

उत्तरांचल की वन उपजों के सालाना उत्पादन के आंकलन की प्रक्रिया

* 5–श्री प्रकाश पंत–

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल की वन उपजों के सालाना उत्पादन, आंकलन करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

क्या सरकार प्रत्येक प्रजाति की वन उपजों के उत्पादन के सही आंकलन के लिये नई आयतन सारणी बनाने पर विचार करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

प्रत्येक क्षेत्रीय वन प्रभाग की 10 वर्षीय प्रबन्ध योजना बनायी जाती है जिसमें वन उपजों के सालाना उत्पादन के आंकलन की प्रक्रिया निहित होती है।

वर्तमान में प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

वृक्षों के अनुमानित उत्पादन के लिये जो आयतन सारणी लागू की जा रही है वह वन वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने काफी शोध के बाद बनायी है और इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है।

उत्तरांचल के राजाजी नेशनल पार्क में हाथियों की सुरक्षा के उपाय

* 6–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या वन मंत्री के संज्ञान में है कि राजाजी नेशनल पार्क, उत्तरांचल में हाथियों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है ?

क्या सरकार द्वारा हाथियों की सुरक्षा के प्रयास किये हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हां, उत्तरांचल राज्य गठन के पश्चात् अब तक कुल 09 हाथियों की विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है।

जी हां।

नोटः–नाली का तारांकित प्रश्न सं0 (4) के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ

(1) रात्रि में रेलवे लाइन पर वन कर्मियों द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है जो हाथियों के पटरी पर पाये जाने पर रेलवे स्टेशन/उप स्टेशन को वायरलैस प्रणाली के द्वारा तुरन्त सूचना देते हैं ताकि ट्रेन रोकी जा सके।

(2) रेलवे लाइन के किनारे स्थित ऊंचे-ऊंचे टीलों को समतल किया गया है, जिससे रेल चालक को दूर तक रेलवे लाइन साफ नजर आये और यदि लाइन पर हाथी हो तो वह रेल रोकने की कार्यवाही कर सके।

(3) गर्मियों में पार्क क्षेत्र में पानी की कमी को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर कृत्रिम वाटर-होल बनाये गये हैं, जिनसे ग्रीष्म ऋतु में पानी उपलब्ध कराने के विशेष प्रयास किये जा सकते हैं, ताकि हाथी गंगा नदी या आबादी क्षेत्रों की ओर न जाये और उनकी जल की आवश्यकता पार्क क्षेत्र में ही पूरी की जा सके। भविष्य में और अधिक वाटर होल बनाये जायेंगे।

(4) आबादी वाले क्षेत्रों में पार्क सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों में लघु विद्युत शक्ति की विद्युत तारबाड़ लगाई जा रही है।

(5) पार्क में दक्षिणी सीमा पर खाई-खुदान का कार्य किया गया है, जिससे हाथी पार्क क्षेत्र से बाहर न जा सके।

(6) एण्टीपोचिंग यूनिट के तहत भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की गयी है, जो वन्य जीवों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं।

(7) मोतीचूर के पास लगे वन क्षेत्र में गार्डर फैन्सिंग लगाने का प्रस्ताव रेलवे प्रशासन को भेजा गया है तथा धनराशि की मांग भी की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

* 7-श्री महेन्द्र भट्ट-

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

जनपद चमोली के रूपकुण्ड ट्रैक के वन क्षेत्र में फर्न प्रजाति के पौधों का प्रकोप

* 8-डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी-

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के रूपकुण्ड ट्रैक पर स्थित ल्वाणी से लेकर मुन्दोली, लोहागंज और कुलिंग तक के वन क्षेत्र में काफल, बांज, बुरांस, मेलू, रागा, अंगूर आदि के वृक्ष फर्न प्रजाति के पौधों के प्रकोप से सूखने के कगार पर हैं ?

यदि हां, तो इन फर्न प्रजाति के पौधों का प्रकोप रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात-

जनपद चमोली के रूपकुण्ड ट्रैक के वन क्षेत्र में फर्न प्रजाति के पौधे प्राकृतिक रूप से पाये जाते हैं और इन पौधों के प्रकोप से किसी भी प्रजाति के वृक्ष सूखने के प्रभाव की सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

नगरनिगम, नगरपालिका एवं टाउन एरिया क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन हेतु विभागीय खर्च के मानक

* 9—श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या पेयजल मंत्री बतायेंगे कि नगरनिगम, नगर पालिका परिषदों एवं टाउन एरिया क्षेत्रों में उपभोक्ताओं से पेयजल कनेक्शन हेतु किये जा रहे विभागीय खर्च के मानक क्या हैं ?

क्या सरकार विभिन्न निकायों को शासन द्वारा अवमुक्त की जा रही राशि के आधार पर उपभोक्ताओं से की जा रही वसूली पर पुनर्विचार करने जा रही है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

उपभोक्ताओं से पेयजल कनेक्शन हेतु विभागीय चार्जेज/शुल्क के मानक निम्न प्रकार हैं :–

15 एम0एम0 व्यास के जल संयोजन हेतु

1. प्रार्थना–पत्र शुल्क रु0 15.00
2. मीटर जमानत (अघरेलू संयोजन हेतु) रु0 800.00
3. सुपरविजन चार्जेज रु0 100.00 से रु0 300.00 तक जलापूर्ति के प्रकार पर
4. विकास शुल्क प्रति वर्गमीटर प्लाट एरिया पर :–

नगरीय क्षेत्र

(1) गुरूत्व रु0 7.50

(2) लो हैड रु0 10.00

(3) हाई हैड रु0 15.00

5. केवल निर्माण कार्यों हेतु जल मूल्य अग्रिम :–

नगरीय क्षेत्र

लो हैड रु0 5.00 प्रति वर्गमीटर कवर्ड एरिया पर

हाई हैड रु0 8.00 प्रति वर्गमीटर कवर्ड एरिया पर

(यह धनराशि एक वर्ष की निर्माण अवधि में समायोजित की जाती है)

पुनर्विचार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरांचल जल संस्थान को आयोजनेत्तर अधिष्ठान व्यय मद में धनराशि अवमुक्त नहीं होती है। अपनी स्वजनित आय से ही अधिष्ठान आदि का व्यय वहन करना पड़ता है।

लीसा के दोहन में तेजाब के प्रयोग से चीड़ के पेड़ों में अप्रत्याशित कमी

* 10–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वनों से लीसे के दोहन में तेजाब का प्रयोग किया जा रहा है ?

क्या यह सत्य है कि लीसा दोहन हेतु एक चीड़ के पेड़ पर एक खोब के स्थान पर दो से तीन खोब बनाकर तेजाब का प्रयोग किया जा रहा है ?

क्या यह भी सत्य है कि उक्त प्रयोग के कारण पेड़ों को अत्यधिक नुकसान पहुंच रहा है तथा वनों से चीड़ के पेड़ों में अप्रत्याशित कमी आ रही है ?

यदि हां, तो क्या सरकार इस पर रोक लगायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

लीसा दोहन हेतु एक पेड़ पर केवल एक ही खोब अनुमन्य किया जाता है। वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा विकसित एवं उत्तरांचल में अपनाई जा रही रिल पद्धति में लीसा निकालने हेतु बनायी जाने वाली रिल पर नाईट्रिक व सल्फ्यूरिक एसिड के हल्के मिश्रण का स्प्रे किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

नैनीताल एवं उससे लगे हुए क्षेत्रों में बॉज (ओक) के घने जंगलों में बॉना (लौरेन्थस विस्टीट्स) लगने से खतरा एवं इसका निवारण

* 11–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या वन मंत्री अवगत है कि प्रसिद्ध पर्यटक नगरी नैनीताल एवं उससे लगे हुए क्षेत्रों के बॉज (ओक) के घने जंगलों के वृक्षों में बॉना (लौरेन्थस विस्टीट्स) लगने से जंगल को खतरा उत्पन्न हो गया है ?

यदि हां, तो इस गम्भीर समस्या के समाधान हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है ?

यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

जी हां, नैनीताल झील के जल ग्रहण क्षेत्र के लिये बनायी गयी "नैनीताल झील जल ग्रहण संरक्षण परियोजना" में इस कार्य को सम्मिलित किया गया है।

नैनीताल झील के जल ग्रहण क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय झील विकास परियोजना के अन्तर्गत "नैनीताल झील जल ग्रहण संरक्षण परियोजना" वन विभाग द्वारा बनायी गयी है जो झील विकास प्राधिकरण को स्वीकृति हेतु भेजी गयी है। इस परियोजना में अन्य कार्यों के अलावा बॉना से प्रभावित बांज वृक्षों से बॉना को हटाये जाने का कार्य भी प्रस्तावित किया गया है। सर्वेक्षण में बॉना से प्रभावित बांज के वृक्षों की कुल संख्या 21000 आंकलित की गयी है। योजना के अन्तर्गत बांज के वृक्ष में बॉना से प्रभावित समस्त शाखाओं का आरी से कटान कर कटे भाग को जलाया जायेगा। पेड़ के जिस भाग से यह शाखाएं काटी जायेंगी, उसमें कटे स्थान पर संक्रमण को रोकने के लिए कोलतार लगाया जाना भी प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु रु0 12.60 लाख का व्यय अनुमानित/प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

सरकार द्वारा प्रदेश में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की योजना

* 12—काजी निजामुद्दीन—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गयी है ?

यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हां।

गंगा कार्यकारी योजना प्रथम चरण लागत रु0 1461.72 लाख एवं द्वितीय चरण अनु0 लागत रु0 3846.00 लाख के नाम से मुख्य रूप से गंगा जी को प्रदूषण मुक्त करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 10 नगरों के प्रदूषित सीवेज को गंगा जी में जाने से रोकने हेतु कार्य प्रगति पर है। गंगा जी की अन्य सहायक नदियों तथा अन्य नदियों को भी प्रदूषण मुक्त करने हेतु आंकलन अनु0 लागत रु0 561.18 करोड़ तैयार किया जा रहा है।

लागू नहीं।

* 13—श्री नारायण पाल—

सप्तम सोमवार के तारां0 प्रश्न 3 में स्था0।

सचिवालय संवर्ग व निःसंवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लीज रेंट की सुविधा।

* 14—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री अवगत है कि उत्तरांचल सचिवालय में कार्यरत सचिवालय संवर्ग तथा निःसंवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लीज रेन्ट दिया जा रहा है ?

यदि हां, तो सचिवालय संवर्ग तथा निःसंवर्ग के किन अधिकारियों/कर्मचारियों को यह सुविधा अनुमन्य है ?

इनमें कितने अपर सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जो पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों/केन्द्र सरकार से उत्तरांचल में कार्यरत हैं तथा लीज रेन्ट की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं ?

क्या यह सही है कि सचिवालय में कार्यरत अन्य प्रदेशों के सचिवालय संवर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों को उक्त लीज रेन्ट अनुमन्य नहीं किया गया है ?

यदि हां, तो इस विसंगति का क्या कारण है ?

तथा इस विसंगति को कब तक दूर कर दिया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

शासनादेश सं0 65(1)/एक–6–08–रा0स0/2001, दिनांक 24 जनवरी, 2001 के द्वारा उत्तरांचल सचिवालय, विधान सभा तथा राजभवन में नियमित रूप से तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को आवासीय सुविधा लीज पर अनुमन्य करायी गयी थी। तदुपरान्त शासनादेश सं0 470/एक–6–08–रा0स0/2001, दिनांक 21 अप्रैल, 2001 के द्वारा उत्तरांचल सचिवालय, विधान सभा तथा राजभवन में तैनात ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिनकी सेवायें अस्थानान्तरणीय थीं एवं उत्तरांचल राज्य के सृजन के उपरान्त उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित होकर जिन्होंने उत्तरांचल सचिवालय में कार्यभार ग्रहण किया, को यह सुविधा उनके वेतन के साथ अनुमन्य की गयी।

सचिवालय संवर्ग के उन अधिकारियों/कर्मचारियों को यह सुविधा अनुमन्य है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सचिवालय से स्थानान्तरित होकर तत्समय उत्तरांचल सचिवालय में कार्यभार ग्रहण किया था, तथा जिनकी सेवायें अस्थानान्तरणीय थीं। उक्त शासनादेशों के अनुसार निःसंवर्ग के किसी अधिकारी/कर्मचारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं की गयी है।

सम्प्रति अपर सचिव स्तर का कोई भी अधिकारी जो पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों/केन्द्र सरकार से उत्तरांचल में कार्यरत है, लीज रेन्ट की सुविधा प्राप्त नहीं कर रहा है। क्योंकि अब अपर सचिव स्तर के सभी अधिकारियों हेतु शासकीय आवास उपलब्ध है।

सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को उपरोक्त वर्णित शासनादेशों के अनुसार ही लीज रेन्ट अनुमन्य किया जा रहा है।

नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगित अतारांकित प्रश्न

उत्तरांचल जल संस्थान में ठेके पर रखे गये दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी करने पर विचार

1–श्री मातबर सिंह एवं श्री मदन कौशिक–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल जल संस्थान में ठेके पर कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? तथा उन्हें कितने रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जा रहा है ?

क्या सरकार ठेके पर रखे गये इन दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी करने पर विचार कर रही है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

उत्तरांचल जल संस्थान में पेयजल एवं सीवर से सम्बन्धित कतिपय कार्य कर्मचारियों की कमी के कारण संविदा पर कराये जा रहे हैं। ऐसे कुल अनुबन्धों की सं0 113 है। पम्प के श्रमिक को रुपये 53.00 एवं श्रमिक को रुपये 47.00 प्रतिदिन की दर से अनुबन्ध के अनुसार मासिक भुगतान किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमानुसार संविदा के आधार पर कार्यरत श्रमिकों को स्थायी नहीं किया जा सकता है।

अतारांकित प्रश्न

अर्द्धकुम्भ मेले के लिए लक्ष्मणझूला स्वर्गाश्रम में बनने वाली पेयजल योजना को स्थायी रूप से बनाने पर विचार

1–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार में लगने वाले अर्द्धकुम्भ मेला, 2004 के लिए लक्ष्मणझूला, स्वर्गाश्रम में बनने वाली पेयजल योजना में समस्त पाइप लाइन स्थाई रूप से बनायी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

अर्द्धकुम्भ मेला, 2004 हेतु लक्ष्मणझूला, स्वर्गाश्रम क्षेत्र में निर्माणाधीन पेयजल योजना के अन्तर्गत राइजिंग मैन के पाइप का कार्य स्थाई रूप से एवं वितरण प्रणाली का पाइप अस्थायी रूप से बिछाया जा रहा है।

वितरण प्रणाली में पाइप लाइन बिछाने का कार्य राजाजी नेशनल पार्क के अन्तर्गत होने के कारण मा0 उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति के उपरान्त ही स्थायी रूप से पाइप लाइन बिछाया जाना सम्भव होगा।

जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट–पव्वाधार चौरपाल मोटर मार्ग को नागधूणा–शिबना–पाली बुगली तक मिलाने की स्वीकृति

2–श्री नारायण राम आर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट–पव्वाधार चौरपाल मोटर मार्ग को ग्राम नागधूणा–शिबना–पाली होते हुए बुगली तक मिलाने सम्बन्धी मेरे पत्रांक अ–34087, दिनांक 11–6–2003 मा0 मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है ?

यदि हां, तो क्या नागघूणा–पाली–बुगली मार्ग की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हां।

जी नहीं।

वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में ढूनी–चहज मोटर मार्ग का निर्माण

3–श्री नारायण राम आर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में ढूनी–चहज मोटर मार्ग कब स्वीकृत हुआ और इसमें अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

क्या यह सही है कि इस मार्ग में जॉब 5–बी न कटने से आगे 4 कि0मी0 कटा मार्ग भी अब ध्वस्त हो गया है ?

यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में ढूनी–चहज मोटर मार्ग की स्वीकृति सितम्बर, 1999 में प्रदान की गई। उक्त मार्ग पर अब तक 25.22 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

जी नहीं।

आगामी वित्तीय वर्ष तक स्वीकृत निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

4–श्रीमती आशा देवी–

दिनांक 22–12–03 को अता0 प्र0 124 द्वारा उत्तरित।

यमकेश्वर के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी की उच्चाकोट पम्पिंग पेयजल योजना

5–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल की उच्चाकोट पम्पिंग पेयजल योजना में कितने गांवों को पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य रखा था ?

क्या डौड़, काला, विजयनगर गांवों की भी पेयजल आपूर्ति उक्त योजना से की जानी थी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

उच्चाकोट पम्पिंग पेयजल योजना में 4 राजस्व ग्राम एवं 7 तोक सहित कुल 11 बस्तियों में पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया था।

जी नहीं।

उक्त योजना मुख्यतः एन0सी0/पी0सी0 बस्तियों को लाभान्वित करने हेतु भारत सरकार के त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत विरचित की गयी थी। ग्राम डौड़ एवं कोला पूर्व से ही लाभान्वित ग्रामों की श्रेणी में होने के कारण इन्हें इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया। विजय नगर (विजयपुर) ग्राम डौड़ का तोक है जिस हेतु पेयजल योजना वर्ष 2004–05 की जिला योजना में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

नरभक्षी बाघ से जानमाल की रक्षा के उपाय

6–श्री मातबर सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002–03 में नरभक्षी बाघ ने कितने आदमियों को अपना शिकार बनाया है ?

सरकार नरभक्षी बाघ से जानमाल की रक्षा के लिये क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री नव प्रभात–

वर्ष 2002–03 में नरभक्षी बाघों द्वारा कुल 26 व्यक्तियों को शिकार बनाया गया, जिनमें से 08 वयस्क तथा 18 अवयस्क व्यक्ति थे।

किसी भी क्षेत्र में बाघ द्वारा मानव भक्षण अथवा घायल किये जाने की घटना होने पर स्थानीय वनाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जनता को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। नरभक्षी बाघ को पकड़ने हेतु घटना–स्थल के आस पास पिंजरा लगाया जाता है अथवा बाघ को नरभक्षी घोषित कर अधिकृत शिकारी दल की सहायता से उसे मारने की कार्यवाही की जाती है। समस्या का भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा अध्ययन भी किया जा रहा है।

7–श्री मदन कौशिक–

द्वितीय सोमवार के अता0 प्रश्न 58 में स्था0।

जंगली जानवरों के हमले से मारे गये व्यक्तियों को मुआवजे का प्राविधान

8–श्री अनिल नौटियाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बाघ के अलावा किन–किन जंगली जानवरों के हमले से मारे गये व्यक्तियों को मुआवजा देने का प्राविधान है ?

क्या जंगली सुअर के हमले से मारे गये व्यक्ति को भी इस श्रेणी में रखा गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

प्रदेश में बाघ (शेर) के अलावा जंगली श्रेणी के तेन्दुआ, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया, हाथी, मगर एवं घड़ियाल के हमले से मारे जाने पर भी मुआवजा देने का प्राविधान है।

जी नहीं।

जंगली सुअर हिंसक पशुओं की श्रेणी में नहीं आता है तथा सामान्यतया जंगली सुअर के हमले से मारे जाने के मामले भी प्रकाश में नहीं आये हैं।

जनपद चमोली में चाँदपुरगढी विकास खण्ड खोले जाने की मांग

9–श्री अनिल नौटियाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत चांदपुरगढी विकास खण्ड के नाम से नये विकास खण्ड खोले जाने की मांग काफी समय से की जा रही है ?

यदि हां, तो क्या सरकार चांदपुरगढी विकास खण्ड की स्थापना किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

जी नहीं।

योजना आयोग भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को विकास खण्डों के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं होने तथा विकास खण्ड के सृजन हेतु कोई सहायता नहीं देने के कारण वर्तमान में विकास खण्डों का सृजन किया जाना सम्भव नहीं है।

रानीखेत–एरोड़ हल्का मोटर वाहन मार्ग की स्वीकृति

10–श्री अजय भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि रानीखेत–एरोड हल्का मोटर वाहन मार्ग किस सन् में स्वीकृत हुआ ?

इस मोटर वाहन मार्ग के निर्माण न होने के क्या कारण हैं ?

तथा कब तक इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

सितम्बर, 1999 में हल्का मोटर वाहन मार्ग स्वीकृत हुआ था।

ग्रामवासियों द्वारा समरेखन में विवाद तथा वन भूमि का हस्तान्तरण न होने के कारण मार्ग निर्माण किया जाना सम्भव नहीं हो पाया।

वन भूमि हस्तान्तरण एवं ग्रामवासियों द्वारा भूमि, सड़क निर्माण हेतु उपलब्ध कराने पर सहमति होने के उपरान्त ही सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकता है।

जनपद अल्मोड़ा के गनियाधोली–टाना विशालकोट सड़क निर्माण की स्वीकृति

11–श्री अजय भट्ट–

क्या लो०नि० मंत्री बतायेंगी कि जनपद अल्मोड़ा के गनियाधोली–टाना विशालकोट सड़क की स्वीकृति किस सन् में हुई थी ?

इसका निर्माण आज तक न होने के क्या कारण हैं ?

कब तक इसका निर्माण पूरा करा लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

इस मार्ग के 5.00 कि०मी० लम्बाई की स्वीकृति माह अक्टूबर, 1989 में प्रदान की गई थी।

समरेखन में विवाद एवं वन भूमि के हस्तान्तरण में विलम्ब।

अवशेष स्वीकृत कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के चौबटिया–बमस्यू कुनेलाखेत मोटर मार्ग पूर्ण न होने के कारण

12–श्री अजय भट्ट–

क्या लो०नि० मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद अल्मोड़ा के चौबटिया–बमस्यू कुनेलाखेत मोटर मार्ग की स्वीकृति कब हुई ?

आज तक इस मार्ग के पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

अब इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

इस मार्ग के 8.00 कि०मी० लम्बाई की स्वीकृति वर्ष 1981 में एवं वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति के उपरान्त पुनरीक्षित स्वीकृति वर्ष 2002 में दी गयी।

वन भूमि की स्वीकृति वर्ष 1998 में प्राप्त हुई।

आगामी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ने वाले दड़माड़ पुल का पुनः निर्माण

13–श्री अजय भट्ट–

क्या लो० नि० मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ने वाला दड़माड़ पुल टूट चुका है ?

यदि हां, तो क्या सरकार इसका पुनः निर्माण कराये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट के रैंतोला में बाघ द्वारा पशु मारने व क्षति पहुंचाने पर मुआवजा

14–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि ग्राम रैंतोला विकास खण्ड गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़ निवासी स्व0 श्री गौरी दत्त जोशी की विधवा श्रीमती चन्द्रावती जोशी के घर में 20–12–2002 को घुसकर बाघ ने उसकी दुधारू गाय व बछड़े को मार दिया ?

यदि हां, तो क्या ग्रामवासियों के सहयोग से विभाग ने उस बाघ को पकड़ लिया ?

क्या श्रीमती चन्द्रावती जोशी को उसके मकान तथा पशुओं के मारे जाने से पहुंची क्षति का मुआवजा दिया गया ?

यदि नहीं, तो सरकार कब तक उसे मुआवजा प्रदान करेगी और कितना ?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

जी हां।

जी हां, गाय व उसके बछड़े के मारे जाने पर रुपये 1350.00 का मुआवजे के रूप में भुगतान कर दिया गया है। मकान की निचली मंजिल पर स्थित गौशाला की खिड़की को क्षति पहुंची है, किन्तु इस प्रकार की क्षति का मुआवजा देने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड के चट्आ पीपल सकन्ड के अधूरे पैदल मार्ग का निर्माण

15–श्री अनिल नौटियाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड के अन्तर्गत चट्आ पीपल सकन्ड, पैदल मार्ग कब स्वीकृत हुआ था ?

उक्त पैदल मार्ग पर अभी तक कितना कार्य किया जा चुका है तथा शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वर्ष 1991 में स्वीकृत हुआ था।

5.00 कि0मी0 में निर्माण कार्य पूर्ण। शेष 5.00 कि0मी0 के निर्माण की स्वीकृति विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत पाण्डुवाखाल आदि गांवों के लिए पेयजल योजना

16–श्री अनिल नौटियाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत पाण्डुवाखाल, गोगिना, तल्ला–मल्ला आदि गांवों के लिए पेयजल उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून के डोईवाला–कुड़का वाला–बुल्लावाला पुल सहित मोटर मार्गों की लागत एवं पूर्ण निर्माण की अवधि

17–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगी कि देहरादून जनपद के निम्न मोटर मार्ग किस योजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे हैं?

(1) डोईवाला–कुड़का वाला–बुल्लावाला तक पुल सहित?

(2) हर्रावाला, लक्ष्मण सिद्ध मोड़ से नकरौंदा मोटर मार्ग?

(3) रायपुर से मियाँवाला मोटर मार्ग?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सड़कों के निर्माण में कुल कितना धन व्यय किया जा रहा है?

तथा ये मार्ग कब तक पूर्ण हो जायेंगे?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

तीनों मार्ग कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत बनाये जा रहे हैं।

तीनों कार्यों की लागत रु0 250.94 लाख स्वीकृत की गयी है।

कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य वर्ष 2003–2004 है।

वन विभाग द्वारा श्रावण मेले की अवधि में नीलकंठ पैदल मार्ग पर दुकानों का आवंटन

18–श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वन विभाग द्वारा लक्ष्मणझूला, नीलकंठ पैदल मार्ग में श्रावण मास मेला के एक महीने की अवधि के दौरान कितनी दुकानें कितने व्यक्तियों को आवंटित की गयी थीं?

क्या सत्य है कि उक्त दुकानें स्थानीय बेरोजगारों को न देकर अन्य लोगों को आवंटित की गई?

क्या सरकार इस विषय पर जांच करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जनता की अत्यधिक मांग पर श्रावण मास मेला की अवधि के दौरान लक्ष्मणझूला, नीलकंठ पैदल मार्ग पर एक माह के लिये 06 अस्थाई दुकानें 06 व्यक्तियों को आवंटित की गयी थी।

सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम बोली देने वाले व्यक्तियों को यह दुकानें आवंटित की गयीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

वर्षाकाल में प्रदेश के मोटर मार्गों में पड़ी मिट्टी, पत्थर को हटाने की व्यवस्था

19–श्री मातबर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि प्रदेश के मोटर मार्गों पर पड़े मलबा, मिट्टी, पत्थर को हटवाने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

क्या यह सत्य है कि वर्षा काल में मोटर मार्गों पर स्लिप हटाने में विभागीय अधिकारी असमर्थता प्रकट करते हैं?

यदि हाँ, तो इस हेतु सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मोटर मार्ग में आने वाले मलबा, मिट्टी तथा पत्थर आदि को हटवाने के लिये स्थायी गैंग एवं बुलडोजर की व्यवस्था विभाग में पूर्व से ही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में विजयनगर–डोभा–गणेशनगर के स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण

20–श्रीमती आशा देवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग में विजयनगर–डोभा–गणेशनगर, स्वीकृत 05 कि०मी० मोटर मार्ग पर भौंसाल से आगे गणेशनगर तक निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है?

यदि हाँ, तो कब प्रारम्भ किया गया है?

यदि नहीं, तो स्वीकृत मार्ग पर कार्य प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण न होने के कारण।

विकास खण्ड स्तर पर महिला प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों की रात्रि विश्राम व्यवस्था

21–श्रीमती आशा देवी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड स्तर पर महिला प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को रात्रि विश्राम हेतु कोई व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है।

केदारनाथ धाम के प्रथम पड़ाव गौरीकुंड में घोड़ा पड़ाव हेतु पुल का निर्माण

22–श्रीमती आशा देवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध तीर्थ धाम केदारनाथ के प्रथम पड़ाव गौरीकुण्ड में घोड़ा पड़ाव हेतु निर्माणाधीन पैदल पुल का निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

वन भूमि के हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कार्य अवरुद्ध है।

हल्द्वानी–रानीखेत–द्वाराहाट–गैरसैंण–कर्णप्रयाग मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव

23–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि हल्द्वानी–रानीखेत–द्वाराहाट–गैरसैंण–कर्णप्रयाग मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो इस मार्ग के विकास हेतु कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हीरा बल्लभ सुयाल सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक नगरपालिका हल्द्वानी का ग्रेच्युटी एवं पेंशन का भुगतान

24–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री हीरा बल्लभ सुयाल वरिष्ठ लिपिक पद से नगरपालिका परिषद् हल्द्वानी (नैनीताल) से 31 जुलाई, 1997 को सेवानिवृत्त हुए हैं?

यदि हाँ, तो क्या उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात् देय ग्रेच्युटी भुगतान एवं पेंशन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 2001–2002 में सड़कों के सर्वे हेतु व्यय राशि एवं निर्माण की स्वीकृति

25–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि प्रदेश में वर्ष 2001–2002 में कितनी सड़कों में सर्वे हेतु धन खर्च किया गया है?

क्या सरकार उक्त सड़कों के निर्माण हेतु भी धन स्वीकृत करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वित्तीय वर्ष 2001–02 में 103 मार्गों की स्वीकृति प्रथम चरण के आगणन की स्वीकृति के प्रतिबन्ध के साथ दी गई थी। इन मार्गों के सर्वे आदि पर रु0 50.88 लाख व्यय हुआ है।

भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

26–श्री प्रकाश पंत–

द्वितीय सोमवार के अता0 प्रश्न 57 में स्था0।

जनपद हरिद्वार के लालढांग के ग्राम गैंडी खाता वन क्षेत्र में पुनर्वासित वन गूजरों को उपलब्ध सुविधाएं

27–श्री तसलीम अहमद–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र लालढांग (जनपद हरिद्वार) के ग्राम गैंडी खाता वन क्षेत्र में पुनर्वासित वन गूजरों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं?

क्या वन गूजरों को आवंटित भूमि में से ही स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षा केन्द्र तथा पूजा स्थल के निर्माण हेतु भूमि आवंटित की गई है?

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि पुनर्वासित क्षेत्र में बनाये जा रहे मुख्य मार्ग की चौड़ाई अपेक्षाकृत कम है व वन गूजरों को आवंटित किये गये पट्टों के क्षेत्रफल भी पूर्ण नहीं हैं?

यदि हाँ, तो सरकार वन गूजरों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

गैण्डी खाता (सज्जनगढ) वन क्षेत्र में बसाये जा रहे गूजरों के लिये पानी, जन चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, सामुदायिक केन्द्र, कब्रिस्तान तथा विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त आवागमन हेतु रास्ता तथा पुनर्वासित होने के लिये सामान आदि की ढुलाई हेतु रु0 2,000/– प्रति परिवार की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

जी नहीं, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय, पूजा स्थल, कब्रिस्तान आदि सामुदायिक कार्यों हेतु पृथक से 24 हे0 भूमि उपलब्ध कराई गई है।

मुख्य मार्ग की चौड़ाई भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गूजर पुनर्वास योजना के अनुरूप ही 03 मीटर रखी जा रही है। प्रत्येक गूजर परिवार को 0.82 हे0 (02 एकड़) भूमि दी जा रही है।

सरकार गूजरों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिये प्रतिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में जनपदवार सड़कों, पुलों एवं डामरीकरण का निर्माण एवं धन आवंटन का मानक

28--श्री मातबर सिंह--

क्या लो0नि0 मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में वित्तीय वर्ष 2002--2003 तथा 2003--2004 में कितनी लागत की सड़कों, पुलों एवं डामरीकरण का निर्माण कार्य जनपदवार किया गया है ?

इन कार्यों के लिए जनपदों को धन आवंटन के क्या मानक निर्धारित है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

वित्तीय वर्ष 2002--03 एवं 2003--04 में अब तक निम्न लागत का निर्माण कार्य किया गया है। (जनपदवार विवरण संलग्न है)

मद का नाम	वर्ष 2002--03 में राज्य योजना एवं जिला योजना (रु0 लाख में)	वर्ष 2003--04 में राज्य योजना एवं जिला योजना (रु0 लाख में)
सड़क	6263.38	1327.01
सेतु	1452.77	301.80
डामरीकरण	3218.90	1830.18
योग	10935.05	3458.99

जनपद को धन आवंटन, जनपद की मांग, कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा धन की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 135 पर)

गूलरघाटी नकरौंदा से लच्छीवाला देहरादून जिले के लिए मोटर मार्ग निर्माण की योजना

29--त्रिवेन्द्र सिंह रावत--

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि देहरादून जिले के गूलरघाटी नकरौंदा से लच्छीवाला पर्यटन स्थल के लिए मोटर मार्ग निर्माण की योजना प्रस्तावित है ?

यदि हां, तो क्या प्रगति है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लच्छीवाला पर्यटक स्थल देहरादून–हरिद्वार मोटर–मार्ग के सन्निकट स्थित है। पर्यटकों के आवागमन के लिए इस मार्ग पर पूर्ण सुविधा उपलब्ध है।

पिथौरागढ़ में पूर्व स्वीकृत हल्का वाहन मार्ग का पुनरीक्षित आगणन

30–श्री प्रकाश पंत–

क्या लो0नि0 मंत्री बतायेंगी कि विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में पूर्व स्वीकृत हल्का वाहन मार्ग के पुनरीक्षित आगणन की धनराशि की स्वीकृति पर सरकार ने रोक लगा दी है ? यदि हां, तो ऐसे समस्त निर्माण कार्य जिनकी स्वीकृतियां मार्च, 2003 से पूर्व हो चुकी थी परन्तु वन अधिनियम तथा अन्य प्रशासनिक व विभागीय कारणों से लम्बित थी, के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हां, तो कब तक स्वीकृतियां जारी हो जायेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

हल्का वाहन मार्ग भविष्य में न बनाने के निर्णय के क्रम में ऐसे समस्त स्वीकृत हल्का वाहन मार्ग जिनमें अक्टूबर, 2001 तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था, को शासन की नीति दि0 29–10–2001 के निर्देशों के अनुसार मोटर मार्ग के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम का गठन एवं स्वरूप

31–श्री प्रकाश पंत–

क्या पेयजल मंत्री बतायेंगे कि "उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम" का गठन कर लिया गया है ?

यदि हां, तो उत्तरांचल के विभिन्न सरकारी विभागों के कितने निर्माण कार्य इस निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2002–2003 तथा 31 अगस्त, 2003 तक किये गये ?

निगम का वर्तमान स्वरूप क्या है ?

निगम को अपेक्षानुरूप निर्माण कार्य प्राप्त न होने के कारणों पर क्या सरकार प्रभावी कार्यवाही करेगी ?

यदि हां, तो कब तक तथा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों जैसे ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, आपदा प्रबन्धन एवं उच्च शिक्षा विभागों के अनु0 लागत रु0 1737.95 लाख के कार्य वर्ष 2002–2003 में आवंटित हुए हैं जो निर्माणाधीन है। 31 अगस्त, 2003 तक उच्च शिक्षा विभाग से रु0 161.06 लाख के कार्य इस निगम को आवंटित किये गये हैं। कार्यों के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

निगम के वर्तमान स्वरूप में एक प्रबन्ध निदेशक कार्यालय, दो मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) कार्यालय, 9 मण्डल एवं 44 शाखायें उत्तरांचल के विभिन्न जनपदों में स्थित हैं।

जी हां।

निर्माण कार्यों के लिए पेयजल निगम के अधीन अलग कन्स्ट्रक्शन विंग की स्थापना शीघ्र ही प्रस्तावित है। कन्स्ट्रक्शन विंग की स्थापना के पश्चात् व्यापक प्रचार–प्रसार कर अन्य विभागों से अधिकाधिक कार्य प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में स्वीकृत हल्का वाहन मार्गों को मोटर मार्ग में बदलने के आगणन

32–श्री नारायण राम आर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में कितने हल्का वाहन मार्ग स्वीकृत हैं ?

क्या अब इन्हें मोटर मार्ग पर बदलने हेतु आगणन शासन ने मांग लिये हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

09 हल्का वाहन मार्ग।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद चमोली के क्षतिग्रस्त मासों नहर की मरम्मत

33–डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली के मासों, डिग्रोली मोटर मार्ग के निर्माण कार्य से मासों नहर क्षतिग्रस्त हो गई है जिसके कारण क्षेत्रीय काश्तकार सिंचाई सुविधा से वंचित हो गये हैं ?

यदि हां, तो उक्त क्षतिग्रस्त नहर की मरम्मत कब तक हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां। मार्ग निर्माण से नहर का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया है।

मार्ग निर्माण के कारण नहर के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत जून, 2004 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

ऊधमसिंह नगर के जसपुर विधान सभा क्षेत्र में हरियावाला चौराहे से गढ़ी नेगी हेमपुर तक सड़क चौड़ीकरण की योजना

34–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि ऊधमसिंह नगर जनपद के जसपुर विधान सभा क्षेत्र में हरियावाला चौराहे से गढ़ी नेगी हेमपुर तक सड़क को चौड़ी करने की कोई योजना प्रस्तावित है ?

यदि हां, तो कब तक इस पर कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हाथियों के हमले से मृत व्यक्तियों एवं फसल के नुकसान पर बाँटी गई राशि

35–श्री मातबर सिंह–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2002–2003 में हाथियों द्वारा कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कितनी फसल का नुकसान किन–किन जिलों में हुआ है ?

सरकार द्वारा कृषकों को कितनी राहत एवं क्षतिपूर्ति राशि बाँटी गयी है ?

क्या सरकार राहत एवं क्षतिपूर्ति की धनराशि में वृद्धि करने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

प्रदेश में वर्ष 2002–2003 में हाथियों के द्वारा कुल 06 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा जनपद हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल तथा पौड़ी गढ़वाल में फसल की क्षति के कुल 525 प्रकरण प्रकाश में आये हैं।

हाथियों के हमले में मृत 06 व्यक्तियों के आश्रितों को रु0 2,75,000/– की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है तथा हाथियों द्वारा फसल की क्षति के 525 प्रकरणों में रुपये 3,97,901.00 की धनराशि का राहत एवं क्षतिपूर्ति के रूप में वितरण किया गया है।

जी हां, इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में इन्दिरा आवास की सुविधा को प्राप्त करने के मानक

36–श्री मातबर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में इन्दिरा आवास की सुविधा किन परिवारों एवं व्यक्तियों को दी जाती है ?

इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ?

इन मानकों का अनुपालन किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनु0 जाति/जनजाति तथा बन्धुवा मजदूर वर्ग के लोगों और गैर अनु0 जाति/जनजाति के आवास विहीन परिवारों को इन्दिरा आवास की सुविधा दी जाती है।

योजनान्तर्गत न्यूनतम 56 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को लाभान्वित करने का मानक निर्धारित है।

निर्धारित मानकों के अनुसार विभागाध्यक्ष स्तर से जनपदों के भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं तथा तदनुसार लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट विधान सभा क्षेत्र में मोटर मार्गों के निर्माण का आगणन

38–श्री नारायण राम आर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि पिथौरागढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में कितने मोटर मार्गों के निर्माण के कितने आगणन अब तक शासन को उपलब्ध हो गये हैं ?

इनमें कितनी सड़कों में इस वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

06 कार्य।

नये कार्यों की स्वीकृति कार्य की उपादेयता तथा वित्तीय संसाधन पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विकास खण्ड स्तर पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था

39–श्री मातबर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विकास खण्ड स्तर पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितना प्रतिशत श्रमिकों को खाद्यान्न उनके श्रम के रूप में दिया जाता है ?

क्या यह सत्य है कि खाद्यान्न श्रमिकों तक नहीं पहुंच पाता है ?

यदि हां, तो सरकार श्रमिकों को खाद्यान्न वितरण की क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

वर्तमान में जवाहर रोजगार योजना के स्थान पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना संचालित है जिसमें प्रति मानव दिवस श्रमिक को यदि गेहूं दिया जाता है तो 69 प्रतिशत मजदूरी गेहूं के रूप में और यदि चावल दिया जाता है तो 72 प्रतिशत मजदूरी चावल के रूप में दी जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ के गंगोलीहाट में लिफ्ट पेयजल योजना

40–श्री नारायण राम आर्य–

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ के गंगोलीहाट में लिफ्ट पेयजल योजना हेतु जनता की बहुत समय से मांग चली आ रही है ?

यदि हां, तो उक्त योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा इसमें कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

राज्य के वित्तीय संसाधन सीमित होने एवं योजना की लागत बहुत अधिक होने के कारण इस योजना का प्राक्कलन अनु0 लागत रू0 780.26 लाख वित्त पोषण हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से योजना की स्वीकृति एवं धनावंटन होने पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

अलकनन्दा के उद्‌गम स्थल माणा व बद्रीनाथ जनपद चमोली में सीवरेज व्यवस्था

41–डॉ0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अलकनन्दा के किनारे उद्‌गम स्थल माणा व बद्रीनाथ, जनपद चमोली में गंगा को प्रदूषण मुक्त रखे जाने हेतु सीवरेज व गन्दे पानी के निस्तारण की उचित व्यवस्था हेतु गंगा एक्शन प्लान के तहत व्यवस्था की जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

गंगा एक्शन प्लान द्वितीय चरण के तहत बद्रीनाथ जनपद चमोली में गंगा को प्रदूषण मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से सीवरेज व गन्दे पानी के निस्तारण की उचित व्यवस्था हेतु प्राक्कलन सहित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। भारत सरकार से योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त 18 माह के अन्तर्गत समस्त निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु प्रस्तावित है।

लागू नहीं।

टिहरी गढ़वाल में जंगली पशुओं से फसल के नुकसान को रोकने की कार्ययोजना

42–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में जंगली पशुओं से किसानों को प्रतिवर्ष कृषि फसलों का कितना नुकसान उठाना पड़ता है?

क्या सरकार इस नुकसान को रोकने के लिये कोई ठोस कार्य योजना पर विचार करेगी?

श्री नव प्रभात–

जनपद टिहरी में कृषकों द्वारा जंगली पशुओं/जानवरों द्वारा कृषि फसलों की क्षति/नुकसान का कोई दावा विभाग में दायर नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश की पेयजल योजनाओं में कार्यरत पार्ट टाइम फिटर को मानदेय

43–श्री मातबर सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की पेयजल योजनाओं में कार्यरत पार्ट टाइम फिटर को कितना मानदेय दिया जाता है?

क्या सरकार इनके मानदेय में वृद्धि करने जा रही है?

यदि हाँ, तो कब से और कितनी वृद्धि की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

प्रदेश की पेयजल योजनाओं में कोई पार्ट टाइम फिटर कार्यरत नहीं है।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं में फिल्टर की व्यवस्था

44–श्री मातबर सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाली पेयजल योजनाओं में फिल्टर की व्यवस्था की जाती है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ। पेयजल की शुद्धता एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिये योजनाओं में फिल्टर एवं क्लोरीनेटर का प्राविधान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के दिवारीखोल गड्थ मोटर मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर भुगतान

45–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के दिवारीखोल गड्थ मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बनाडी निवासी श्री तारा सिंह की रणियाटा नामे तोक की 5 नाली 9 मुट्ठी भूमि सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी थी?

यदि हाँ, तो श्री तारा सिंह को उक्त भूमि का प्रतिकर भुगतान विभाग द्वारा किया जा चुका है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ, श्री तारा सिंह की मात्र 2 नाली 12 मुट्ठी भूमि ही अधिग्रहीत की गई थी।

जी नहीं।

सभी काश्तकारों को जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई थी, जिलाधिकारी द्वारा बुलाया गया। श्री तारा सिंह को छोड़कर सभी ने भुगतान प्राप्त कर लिया है।

भटवाड़ी विधान सभा क्षेत्र उत्तरकाशी के ग्रामसभा अठाली में शहरी दरों पर पेयजल टैक्स

46–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी अन्तर्गत ग्रामसभा अठाली में उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा शहरी दरों पर पेयजल टैक्स लिया जा रहा है?

यदि हाँ, तो ग्रामीण दरों पर पेयजल टैक्स न लिए जाने के क्या कारण हैं?

क्या ग्रामीण दरों पर पेयजल टैक्स लिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण दरों पर ही जल मूल्य लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जल निगम द्वारा निर्मित पेयजल योजनाओं का जल संस्थान को हस्तान्तरण

47–श्री मातबर सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल निगम ने प्रदेश में कितनी पेयजल योजनाओं का निर्माण वर्ष 2002 तथा 2003 में किया?

क्या निर्मित योजनायें जल संस्थान को हस्तान्तरित हो चुकी हैं?

यदि नहीं, तो इनके हस्तान्तरण में क्या कठिनाई है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जल निगम द्वारा वर्ष 2002 एवं 2003 में क्रमशः 248 एवं 115 कुल 363 पेयजल योजनाओं का निर्माण किया है।

जल संस्थान को 96 योजनायें हस्तान्तरित हो चुकी हैं।

निर्मित पेयजल योजनाओं के हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

उत्तरांचल राजकीय निर्माण निगम का गठन

48—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि उत्तरांचल राजकीय निर्माण निगम लि0 का गठन कब तक कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

उत्तरांचल राजकीय निर्माण निगम के गठन का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पेयजल संकटग्रस्त ग्रामों को पेयजल की सुविधा

49—श्री मातबर सिंह—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गम्भीर पेयजल संकट वाले ग्रामों की सूची शासन द्वारा तैयार कर दी गयी है?

यदि हाँ, तो प्रदेश में कितने गाँव पेयजल संकट से ग्रसित हैं?

क्या सरकार इन गाँवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्ययोजना बनाने जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

भारत सरकार की गाइड लाइन्स के आधार पर प्रदेश की ग्रामीण बस्तियों में पेयजल एवं स्वच्छता की प्रास्थिति का पुनर्सर्वेक्षण कर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है। जिसके परीक्षणोपरान्त पेयजल संकट वाली बस्तियों को चिन्हित कर सूची बनायी जानी प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

जी हाँ। कार्ययोजना का क्रियान्वयन प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

द्वितीय सत्र 2002 के प्रथम मंगलवार में पूछे गये प्रश्न सं0 41 व 43 के उत्तरालेखों की अद्यतन स्थिति

50—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 2002 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित पूछा गया प्रश्न सं0 41 व 43 के उत्तरालेख के अन्तर्गत सड़कों की जाँच करा ली गयी है?

यदि हाँ, तो जाँच आख्या क्या है?

क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जाँच कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जाँच आख्या पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड चिन्यालीसौंड, उत्तरकाशी के ग्राम सभा तुल्याड़ा सुनारगाँव की पुरानी पेयजल लाइन का उखाड़ना

51–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौंड़ अन्तर्गत ग्राम सभा तुल्याड़ा सुनारगांव में उत्तरांचल पेयजल निगम नई टिहरी द्वारा पूर्व निर्मित जल संस्थान, उत्तरकाशी की पेयजल लाइन उखाड़कर पेयजल योजना पर लाखों रुपये व्यय किये गये?

क्या उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौंड के अन्तर्गत ग्राम सभा तुल्याड़ा में पूर्व से कोई भी पेयजल योजना नहीं थी, अतः पाइप लाइन उखाड़ने का प्रश्न नहीं है।

सुनार गांव पेयजल योजना का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के अन्तर्गत कम व्यास की पाइप लाइन को उखाड़ कर उसके स्थान पर अधिक व्यास की पाइप लाइन बिछायी गयी है। पुराने पाइपों में से ठीक पाइपों का उपयोग अन्यत्र पेयजल योजना में किया गया तथा शेष का उपयोग भी कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण, धरासू में सर्जशाफ्ट से हटायी मिट्टी–पत्थर के कारण हुई वृक्षों की क्षतिपूर्ति

52–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में संचालित मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण धरासू में सर्जशाफ्ट से हटाये जा रहे मिट्टी–पत्थर डम्पिंग करने से कुल कितने चीड़ व अन्य प्रजातियों के पेड़ों को क्षति पहुँचायी गयी?

मैगजीन निर्माण स्थल में कुल कितने पेड़ों का पातन किया गया?

वन विभाग द्वारा अवैध पातन व भारी क्षति पर क्या कार्यवाही की गई?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण धरासू में सर्जशाफ्ट से हटाये जा रहे मिट्टी–पत्थर डम्पिंग करने से निम्न प्रकार से वृक्षों को क्षति हुई है :–

1.	चीड़ वृक्ष (0–10 से0मी0 व्यास श्रेणी)	43
2.	चीड़ वृक्ष (20–30 से0मी0 व्यास श्रेणी)	04
3.	चीड़ वृक्ष (30–40 से0मी0 व्यास श्रेणी)	02
4.	चीड़ वृक्ष (40–50 से0मी0 व्यास श्रेणी)	01
5.	तुंगला व आंवला (0–10 से0मी0 व्यास श्रेणी)	100
	कुल योग	150

मनेरी भाली परियोजना के मैगजीन निर्माण हेतु 0.02 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण शासनादेश सं0 3551/सं0 1, 14–3–861/82, दिनांक 8–9–1983 द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। मैगजीन निर्माण स्थल पर वन विभाग का कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हुआ है।

उपरोक्त 150 वृक्षों को क्षति पहुँचाने के कारण अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा प्रोजेक्ट मैनेजर के विरुद्ध वन अपराध जारी किया गया तथा उनसे विभागीय अनुसूचित दरों के अनुसार रु0 35,000 का अर्थदण्ड मुआवजा के रूप में वसूल किया गया।

प्रश्न नहीं उठता है।

जल निगम तथा जल संस्थान का ढांचा

53–श्री मातबर सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल निगम तथा जल संस्थान का ढांचा सरकार बना चुकी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार अनुमोदित ढांचे का विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

उत्तरांचल जल संस्थान एवं उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम से संरचनात्मक ढांचे के गठन के आदेश की प्रतियां संलग्न हैं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं0 139 पर)

विकास खण्ड चिन्यालीसौंड उत्तरकाशी के कुमारकोट से वागी तक स्वीकृत सड़क को अन्य गांवों से जोड़ना

54—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौंड़ अन्तर्गत कुमारकोट से वागी तक कितने कि0मी0 सड़क स्वीकृत है?

क्या जनहित व क्षेत्रीय जनता की मांग पर उक्त सड़क को कुमारकोट से राज राजेश्वरी धार होते हुए तराकोट, सूटी, दारगढ़ बदाल्डा, रमोली व जिव्या आदि गांवों को जोड़ा जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जिला योजना में 01 कि0मी0 लम्बाई में स्वीकृत है।

सीमित संसाधनों के कारण वर्तमान में सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड नौगांव उत्तरकाशी के स्यानाचट्टी से कुपड़ा के अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण

55—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत स्यानाचट्टी से कुपड़ा मोटर मार्ग कुल कितने कि0मी0 स्वीकृत है?

तथा कितने कि0मी0 सड़क का निर्माण किया जा चुका है?

अवशेष सड़क निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

3.25 कि0मी0 स्वीकृत है। जिसमें 1 कि0मी0 वर्ष 1995 में तथा 2.25 कि0मी0 वर्ष 2002—03 में स्वीकृत हुआ।

1.0 कि0मी0 सड़क निर्मित है।

समरेखण विवाद के कारण मार्ग निर्माण कार्य अवरुद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी के बालगंगा, भिलंगना व पौखाल रेंज में अग्नि सुरक्षा पर व्यय

56—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि 15 फरवरी, 2003 से 30 मई, 2003 तक फैली आग से जनपद टिहरी गढ़वाल के बालगंगा रेंज, भिलंगना रेंज एवं पौखाल रेंज में अग्नि सुरक्षा पर प्रत्येक राशि में कितना—कितना व्यय किया गया?

श्री नव प्रभात–

जनपद टिहरी गढ़वाल के टिहरी वन प्रभाग के बालगंगा, भिलंगना तथा पौखाल रेंज में दिनांक 15 फरवरी, 2003 से 30 मई, 2003 तक अग्नि सुरक्षा के अन्तर्गत निम्न प्रकार व्यय किया गया है :–

1.	बालगंगा रेंज	रु0 31,674.00
2.	भिलंगना रेंज	रु0 19,783.00
3.	पौखाल रेंज	रु0 35,144.00
	योग	रु0 86,601.00

जनपद रुद्रप्रयाग में कोट घोल्तीर अपूर्ण मोटर मार्ग का निर्माण

57–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग में कोट घोल्तीर मोटर मार्ग कितना कि0मी0 बना है?

क्या इस मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस अधूरे मोटर मार्ग को पूर्ण करवायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

4 कि0मी0 में पहाड़ कटान तथा 0.5 कि0मी0 में दीवार निर्माण कार्य हुआ है।

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2005–06 तक पूर्ण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में अवशेष बी0डी0एस0 मोटर मार्ग का निर्माण

58–श्री मातबर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग में बी0डी0एस0 मोटर मार्ग कितने कि0मी0 बन गया है?

कितने मार्ग का निर्माण अवशेष है?

तथा कब तक उक्त मोटर मार्ग पर यातायात की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

05 कि0मी0 तक मार्ग बना है, परन्तु अभी यातायात हेतु उपलब्ध नहीं है।

04 कि0मी0।

आगामी वित्तीय वर्ष तक।

जनपद रुद्रप्रयाग में दुगड्डा पालाकुतली हल्का वाहन मार्ग का निर्माण

59—श्री मातबर सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग में दुगड्डा पालाकुतली हल्का वाहन मार्ग कब स्वीकृत हुआ ?

क्या इसके निर्माण के लिए वन भूमि की स्वीकृति मिल चुकी है ?

यदि हां, तो क्या कारण है कि उक्त हल्का वाहन मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है ?

क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क का निर्माण कार्य यथाशीघ्र करवायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

फरवरी, 1998 में स्वीकृत हुआ।

जी हां।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार हल्का वाहन मार्ग का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर इस मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग में भू–स्खलन के निवारण के उपाय

60—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग के जोगथ स्लिप जोन में लगातार भू–स्खलन के कारण सड़क बन्द है ?

क्या स्लिप जोन का भू–गर्भीय सर्वेक्षण कराकर बन्द पड़े मोटर मार्ग को यातायात हेतु खोला जायेगा ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हां।

जी हां।

आगामी वित्तीय वर्ष तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के मजखाली–दिगोली, बग्वाली पोखर लिंक रोड का लम्बित निर्माण कार्य

61–श्री अजय भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगी कि अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मजखाली–दिगोली–बग्वाली पोखर लिंक रोड का निर्माण कार्य किस दिनांक से प्रारम्भ हुआ तथा आज तक कुल कितने कि0मी0 सड़क का निर्माण हो चुका है?

शेष भाग का निर्माण न हो पाने के क्या कारण हैं तथा कब तक शेष भाग का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जनपद अल्मोड़ा में मजखाली–दिगोली–बग्वाली पोखर लिंक रोड का निर्माण कार्य वर्ष 1994–95 में किया गया। वर्तमान में यह लिंक मार्ग 2.00 कि0मी0 लम्बाई में निर्मित है।

बग्वाली पोखर तक विस्तार हेतु लगभग 10.00 कि0मी0 मार्ग की आवश्यकता है। वित्तीय संसाधनों पर स्वीकृति निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2002–03 में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित उत्तरकाशी टिहरी व पौड़ी जनपदों में सड़क निर्माण कार्यों का एक ही जॉब बनाने का औचित्य

62–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि वर्ष 2002–03 में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित सड़क निर्माण कार्यों का जनपद उत्तरकाशी, टिहरी व पौड़ी का एक ही जॉब बनाकर मण्डल मुख्यालय पौड़ी में 15–10–2003 को निविदा आमंत्रित की गयी है?

यदि हाँ, तो तीनों जनपदों के सड़क कार्यों का एक ही जॉब बनाने का क्या औचित्य है?

क्या खण्ड डिवीजन स्तर पर छोटे–छोटे जॉब बनाकर निविदायें आमंत्रित कर कार्य सम्पन्न कराये जायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

सड़क कार्य पर बी0एम0 / एस0डी0बी0सी0 का कार्य होने के कारण हॉट मिक्स प्लान्ट लगाना आवश्यक होगा, जो कि पर्याप्त धनराशि का कार्य होने पर ही सम्भव होगा।

जी नहीं, बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 का कार्य होने के कारण छोटे–छोटे जॉब बनाकर हॉट मिक्स प्लान्ट से कार्य कराना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत वर्कचार्जों की संख्या एवं उनका नियमितीकरण

63–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी एवं श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में वर्कचार्ज के रूप में कितने कर्मी बेलदार पद पर कार्य कर रहे हैं?

इन्हें कब तक नियमित किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज में बेलदार के पद पर कुल 2814 कर्मी कार्य कर रहे हैं।

नियमितीकरण की कार्यवाही उपलब्ध रिक्त पदों पर नियमानुसार निरन्तर की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड लमगड़ा के पोखरी गेरगाँव मोटर मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव

64–श्री कैलाश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड लमगड़ा के पोखरी गेरगाँव मोटर मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में लकड़ी स्टॉल की व्यवस्था

65–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में लकड़ी की

कमी की स्थानीय जनता की लम्बे समय से लम्बित मांग को देखते हुए वन निगम द्वारा लकड़ी स्टॉल की व्यवस्था कब तक कर ली जायेगी?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी में मुख्यतः मांग जलौनी लकड़ी की है, लेकिन इस क्षेत्र के आस–पास जलौनी लकड़ी उपलब्ध न होने के कारण वन विकास निगम द्वारा लकड़ी के स्टॉल की व्यवस्था नहीं की गयी है। बाहर से जलौनी लकड़ी लाने पर लागत अतिरिक्त आयेगी, अगर स्थानीय लोग सहमत हों तब व्यवस्था की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत मनसूना–गड़गू, ताला बरगांली, तिलवाड़ा–बावई, मीरी–परकण्डी मोटर मार्गों का निर्माण

66–श्रीमती आशा देवी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत मनसूना–गड़गू, ताला–बरगांली, तिलवाड़ा–बावई, मीरी–परकण्डी मोटर मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है?

यदि हाँ, तो किन–किन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

समरेखण विवाद, मार्ग सैन्क्चुअरी में आने एवं वन भूमि हस्तानान्तरण न होने के कारण मार्ग पूर्ण नहीं कराये जा सके हैं।

उत्तरकाशी के वनचौरा–वणगॉव मोटर मार्ग व कोटधार–वनचौरा मोटर मार्ग का पक्कीकरण

67–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के वनचौरा–वणगॉव मोटर मार्ग व कोटधार–वनचौरा मोटर मार्ग का पक्कीकरण कार्य कब तक करा लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

रुद्रप्रयाग में गोरपा सिखाड़ी मोटर मार्ग एवं पुल का निर्माण कार्य

68–श्री मातबर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग में गोरपा सिखाड़ी मोटर मार्ग का कितने कि0मी0 तक निर्माण किया गया है?

वर्तमान में उक्त मार्ग पर कितने कि0मी0 तक गाड़ियाँ चल रही है?

क्या यह सत्य है कि वर्षों से इस मोटर मार्ग पर मोटर पुल का कार्य अपूरा है?

कब तक सरकार उक्त अधूरे मोटर मार्ग को पूर्ण तथा पुल को गाड़ी चलाने योग्य बना देगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

3.70 कि0मी0 स्वीकृति के सापेक्ष 3.20 कि0मी0 निर्मित है।

3.20 कि0मी0 मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

वरुणावत पर्वत (उत्तरकाशी) के भू–स्खलन के कारण पर्यावरण पर हो रहे बुरे प्रभाव को रोकने की कार्यवाही

69–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वरुणावत पर्वत (उत्तरकाशी) से हो रहे भू–स्खलन के कारण उड़ती हुई धूल से पर्यावरण पर काफी बुरा असर पड़ रहा है?

जिससे शहर में रह रहे नागरिकों के साथ–साथ पाटा, संग्राली व बगियालगाँव के ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है? सरकार धूल के कारण हो रहे प्रभाव को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 06 एवं 07 दिसम्बर, 2003 को उत्तरकाशी शहर एवं उसके निकटस्थ गाँवों में स्थलीय सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में उत्तरकाशी शहर के निकटस्थ गाँवों के वायु मण्डल में निलम्बित प्रदूषणकारी कणों की मात्रा बोर्ड के मानकों के अनुरूप पायी गयी। उत्तरकाशी शहर के रामलीला ग्राउण्ड में वायु मण्डल में निलम्बित कणों की मात्रा बोर्ड के मानकों से अधिक पायी गयी जिसका कारण वाहनों के आवागमन में बढ़ोत्तरी प्रतीत होना बताया गया है।

वरुणावत पर्वत में हुए भू-स्खलन से नागरिकों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

भीमताल (जनपद नैनीताल) में सीवरेज पार्ट 2 योजना हेतु अवमुक्त धनराशि

70-श्री नारायण सिंह जंतवाल-

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भीमताल (जनपद नैनीताल) में सीवरेज पार्ट 2 योजना शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य हेतु धनराशि भी अवमुक्त कर दी गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

जनपद नैनीताल की भीमताल सीवरेज योजना पार्ट 2 अनु0 लागत रु0 173.65 लाख के सापेक्ष रु0 39.14 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल में भीमताल नगरीय पेयजल योजना

71-श्री नारायण सिंह जंतवाल-

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल में भीमताल नगरीय पेयजल योजना शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ?

यदि हां, तो स्वीकृति कब प्रदान की गई ?

यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर योजना पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

भीमताल नगर में तुरन्त राहत हेतु एक नलकूप निर्माण, जलाशय राइजिंग मैन एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु अनु0 लागत रु0 73.15 लाख की योजनाएं वर्ष 2002-03 में पूर्ण की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त भीमताल नगर के समस्त क्षेत्रों में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु भीमताल पेयजल पुनर्गठन योजना प्रस्तावित हैं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध ढंग से योजना कार्यान्वित की जा सकेगी।

वन विभाग में कार्यरत मानचित्रकारों को 24 वर्षों की सेवा उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान

72-श्री कैलाश शर्मा-

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल वन विभाग में कार्यरत मानचित्रकारों को 24 वर्षों की सेवा के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने की सरकार व्यवस्था कर रही है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

वन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत मानचित्रकारों को 24 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जल संस्थान में अधिकारियों की सेवा विस्तार नियमावली

73–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल संस्थान में अधिकारियों के सेवा विस्तार की कोई नियमावली है ?

यदि नहीं, तो कुमाऊं मण्डल में जल संस्थान के एक अधिकारी को सेवा विस्तार का क्या आधार था ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996] अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत उत्तरांचल जल संस्थान में केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों की सेवा अवधि के बढ़ाये जाने का प्राविधान है।

लागू नहीं।

जनपद नैनीताल की गौला नदी में रानीबाग–चित्तेश्वर धाम पर पैदल पुल का निर्माण

74–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद नैनीताल स्थित गौला नदी में रानीबाग–चित्तेश्वर धाम पर पैदल पुल निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

विकास खण्ड भीमताल नैनीताल के खमारी पुनर्गठन पेयजल योजना की स्वीकृति

75—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के वि० ख० भीमताल के खमारी पुनर्गठन पेयजल योजना शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ?

यदि हां, तो कब तक योजना का कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हां।

योजना का कार्य आरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत प्रस्तावित है। वन विभाग से अनुमति मिलने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किये जा सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जोशीमठ के हेलङ–अड़मठ गांव से बद्रीनाथ को सीधे मोटर मार्ग से जोड़ने पर विचार

76—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि दिल्ली–ऋषिकेश–जोशीमठ–माणा–नीति राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित है ?

यदि हां, तो क्या सरकार जोशीमठ की जनता के विरोध के बावजूद हेलङ–अड़मठ गांव से बद्रीनाथ को सीधे मोटर मार्ग से जोड़ने पर विचार कर रही है ?

यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के धरासू, चमियारी मोटर मार्ग पर निर्माणाधीन मोटर पुल की स्थिति

77—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के धरासू, चमियारी मोटर मार्ग पर भागीरथी नदी पर बन रहे मोटर पुल निर्माण का अनुबन्ध किस तिथि को किया गया ?

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य कब पूरा होना था ?

वर्तमान में कुल कितना प्रतिशत कार्य किया जा चुका है तथा शेष कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

अनुबन्ध दिनांक 08–03–2001 को किया गया।

कार्य पूर्ण होने की तिथि अनुबन्ध से दिनांक 07–03–2002 थी।

45 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। शेष कार्य वर्ष 2004 में पूर्ण किया जायेगा।

विकास खण्ड नौगांव, उत्तरकाशी के मध्ये बजलाड़ी–छुडी–तेडा–बिल्ला मोटर मार्ग के निर्माण पर विचार

78–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि विकास खण्ड नौगांव जिला उत्तरकाशी मध्ये बजलाड़ी–छुडी–तेडा–बिल्ला मोटर मार्ग निर्माण कार्य प्रस्ताव/आगणन शासन के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो उक्त पर कब तक कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद बागेश्वर में कपकोट–कर्मी मोटर मार्ग का निर्माण

79–श्री विपिन चन्द त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि कपकोट–कर्मी मोटर मार्ग जनपद बागेश्वर को सरकार पूर्ण करने जा रही है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

आगामी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में 'घाट पेयजल योजना' का सुदृढ़ीकरण

80–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दशम वित्त आयोग द्वारा 'घाट पेयजल योजना' जनपद पिथौरागढ़ के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 1999–2000 में दो करोड़ रुपये की धनराशि जल संस्थान को दी थी ?

यदि हां, तो उक्त दो करोड़ की धनराशि में सुदृढ़ीकरण के रूप में क्या–क्या कार्य किये गये ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

पिथौरागढ़ पेयजल योजना में जलापूर्ति व्यवस्था के सुधार हेतु विभिन्न कार्य एवं आवश्यक यंत्र–संयंत्र मोटर पम्प आदि विविध सामग्री का क्रय तथा पाइप लाइन में सुधार/मरम्मत के कार्य किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा आवासीय योजना के अन्तर्गत आवास आवंटन की पात्रता

81–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन्दिरा आवासीय योजना के अन्तर्गत आवास आवंटन में पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कोई कारगर कदम उठाने जा रही है ?

यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

राज्य स्तर से कार्यवाही सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि इन्दिरा आवास योजना केन्द्र पोषित योजना है, लाभार्थियों का चयन भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाता है।

विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में दैवीय आपदा मद में लाभार्थियों को आवंटित आवास

82–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में वर्ष 2001–2002 व वर्ष 2002–2003 में दैवीय आपदा मद में किन–किन लाभार्थियों को आवास आवंटित किये गये तथा उनकी ग्राम पंचायतवार सूची क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

वर्ष 2001–2002 में दैवीय आपदा मद में विकास खण्ड चिन्यालीसौड़, जनपद उत्तरकाशी में आवास आवंटित नहीं किये गये थे। वर्ष 2002–2003 में इस विकास खण्ड में 165 आवास आवंटित किये गये हैं जिसकी लाभार्थीवार तथा ग्रामवार सूची अनुलग्नक–1 में अंकित है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ सं0 147 से 152 पर)

जल निगम में सहायक अभियन्ता को 05 तथा 18 वर्ष सेवा के बाद पदोन्नति व वेतनमान का लाभ

83–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल सरकार के शा0 सं0 928/नौ–2–पे0/2003, दिनांक 20–06–2003 के अनुरूप उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ के का0ज्ञा0सं0 1167, दिनांक 26–07–2003 में निहित प्राविधानों के तहत सहायक अभियन्ताओं को 05 वर्ष तथा 18 वर्ष सेवा के बाद प्रथम तथा द्वितीय पदोन्नति वेतनमान का लाभ अभी तक न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार उक्त को वर्णित पदोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदान करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

सहायक अभियन्ताओं को 05 वर्ष तथा 18 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रथम तथा द्वितीय पदोन्नति वेतनमान का लाभ दिये जाने के आदेश उत्तरांचल पेयजल निगम मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप 4753/अधि0 सहायक अभियन्ता, दिनांक 06–11–2003 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

पेयजल निगम से जूनियर इंजीनियरों के स्थानान्तरण का अधिकार

84–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता (स0) पेयजल निगम से जूनियर इंजीनियरों के स्थानान्तरण का अधिकार वापस लेकर शासन में निहित कर दिया गया है ?

यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

लागू नहीं।

विकास खण्ड द्वाराहाट अल्मोड़ा के ग्राम सभा मल्ली–बिठोली में बाघ द्वारा मृतक के परिवार को मुआवजा

85–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 16 मार्च, 2003 को ग्राम सभा मल्ली–बिठोली, पो० मल्ली बिठोली, विकास खण्ड द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा के संजय सिंह, पुत्र श्री मोहन सिंह को बाघ ने अपना शिकार बना लिया था ?

यदि हां, तो सरकार ने मृतक के परिवार को समुचित मुआवजा/सहायता प्रदान कर दी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

जी हां, स्व० श्री संजय सिंह के पिता श्री मोहन सिंह को मुआवजे की धनराशि रु० 25,000/– का भुगतान बैंक ड्राफ्ट सं० 397307, दिनांक 15 दिसम्बर, 2003 द्वारा कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं को घाटे से उबारने का प्रयास

86–श्री मातबर सिंह–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश की अधिकांश नगर पंचायतें एवं नगर पालिका परिषद् घाटे में चल रही हैं ?

यदि हां, तो घाटे में चल रहे इन निकायों को घाटे से उबारने हेतु सरकार कोई प्रयास कर रही है ?

यदि हां, तो क्यों ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

समस्त निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु वित्त आयोग द्वारा संस्तुत धनराशि वित्त विभाग के माध्यम से संक्रमित की जाती है तथा इस धनराशि को संस्तुत धनराशि में 25 % अधिक बढ़ाकर स्वीकृत किया गया है।

नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को स्वायत्तशासी होने के कारण निर्देशित किया गया है कि वह अपने निजी स्रोतों से अपनी आय बढ़ाये जाने एवं घाटे से उबरने के उपाय करें।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा हेतु कार्य योजना

87—श्री मातबर सिंह—

क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार पर्यावरण की सुरक्षा हेतु क्या कोई कार्य योजना बनाने जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य योजना को सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

राज्य के प्रमुख शहरों में विभिन्न स्रोतों से जनित ध्वनि, वायु तथा जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये फार्मेट के अनुसार नगरीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रत्येक जनपद में जिला स्तरीय अन्तर्विभागीय समितियों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फाईनेन्स कारपोरेशन (आई0डी0एफ0सी0) की सहायता से राज्य की "स्टेट ऑफ इन्वायरमेन्ट रिपोर्ट" बनायी जा रही है जिसके आलोक में कार्य योजना तैयार की जायेगी और तैयार की जाने वाली कार्य योजना को यथा समय सार्वजनिक किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम में पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक पद पर नियुक्ति

88—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासनादेश सं0 1206/नौ—2—92 (अधि0)/2002 पेयजल अनुभाग देहरादून, दिनांक 24—06—2003 के अनुरूप व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक का चयन अभी तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त विभाग में पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

अधिसूचना 2457/नौ—2(92 अधि0)/2002, दिनांक 13 अक्टूबर, 2003 द्वारा उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम में पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति की जा चुकी है।

उत्तरांचल पेयजल निगम के कार्मिकों को समयबद्ध वेतनमान

89—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उत्तरांचल सरकार ने शासनादेश सं0 928/नौ—2—पे0/2003, दिनांक 26—06—2003 द्वारा उत्तरांचल पेयजल निगम को उत्तर प्रदेश जल निगम की भांति समयबद्ध वेतनमान देने का आदेश निर्गत कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त शासनादेश में 24 जूनियर इंजीनियरों को द्वितीय पदोन्नति वेतनमान की स्वीकृति सूची भी शामिल है?

यदि नहीं, तो क्यों तथा सूची कब तक निर्गत की जायेगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं। संदर्भित शासनादेश दिनांक 26–06–2003 द्वारा उत्तरांचल पेयजल निगम के कार्मिकों को उ0प्र0 जल निगम के कार्मिकों की भांति समयबद्ध वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा अनापत्ति व्यक्त की गई है।

उक्त शासनादेश में कोई सूची निर्गत करने का उल्लेख नहीं है।

जूनियर इंजीनियरों को द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रियानुसार उत्तरांचल पेयजल निगम में चयन समिति का गठन किया गया है। चयन समिति की अभी तक कोई बैठक आहूत नहीं हुयी है। चयन समिति द्वारा चयनित कर दिये जाने के उपरान्त प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने हेतु जूनियर इंजीनियरों की सूची निर्गत की जायेगी।

पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा हुए नुकसान का काश्तकारों को मुआवजा

90–डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा काश्तकारों का नुकसान किये जाने पर मुआवजा दिये जाने का कोई प्राविधान है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र के काश्तकारों को भी मुआवजा प्रदान करने हेतु विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ, वन्य पशुओं–जंगली शेर, तेंन्दुआ, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया, हाथी, मगर एवं घड़ियाल द्वारा मारे गये/घायल किये गये व्यक्तियों तथा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव विहार के पार्क क्षेत्र के बाहर पालतू पशुओं के मारे जाने तथा जंगली हाथियों के द्वारा ग्रामीणों की फसलों एवं मकानों को क्षति पहुंचाये जाने पर अनुग्रह आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव विहार में पालतू पशुओं के मारे जाने पर अनुग्रह धनराशि तब ही देय होती है जबकि पालतू पशुओं के प्रवेश की अनुज्ञा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गयी हो।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पिथौरागढ़ में बॉकू पुल से बॉकू तक हल्का वाहन मार्ग को यातायात के लिए खोलना

91–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बॉकू पुल

से बाँकू तक हल्का वाहन मार्ग वर्ष, 2000 में यातायात के लिए खोल दिया गया था?

क्या यह मार्ग वर्ष, 2002 से बन्द है?

यदि हाँ, तो कब तक इसे यातायात के लिए खोल दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं

मार्ग जुलाई, 2003 से अवरुद्ध है।

माह जनवरी, 2004 तक मार्ग यातायात हेतु खोल दिया जायेगा, कार्य प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जोशीमठ में मुख्य मोटर मार्ग से औली मोटर मार्ग की कच्ची सड़क का डामरीकरण

92–डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुख्य मोटर मार्ग से औली मोटर मार्ग के टावर नं० 12 से 15 तक 3 कि०मी० कच्ची सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जोशीमठ–औली मुख्य मोटर मार्ग के कि०मी० 13.40 से औली टावर नं० 10 तक 3.00 कि०मी० कच्ची सड़क में 01 कि०मी० डामरीकरण की स्वीकृति हुई है तथा कार्य प्रगति पर है। औली रज्जू मार्ग का अंतिम टावर का नम्बर 10 है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में हल्का वाहन मार्गों की संख्या तथा इन मार्गों के डामरीकरण/चौड़ीकरण पर विचार

93–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली में कुल कितनी सड़कें हल्का वाहन मार्ग की श्रेणी में आती हैं?

क्या सरकार इन मार्गों को चौड़ा करने एवं डामरीकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर धनराशि अवमुक्त करने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जनपद चमोली में 75 हल्का वाहन मार्ग हैं, जिनकी कुल लम्बाई 193.68 कि0मी0 है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए 8 हल्का वाहन मार्गों के डामरीकरण एवं चौड़ीकरण की स्वीकृति अब तक दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में प्रस्तावित सड़कों की स्वीकृति

94–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जिलों की सड़क अनुश्रवण समिति द्वारा 2002–2003 तथा 2003–2004 के प्रस्ताव अनुमोदित होकर शासन को प्राप्त हो चुके हैं? यदि हाँ, तो जनपद चमोली में 2002–2003 तथा 2003–2004 के लिए प्रस्तावित किन–किन सड़कों को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002–2003 की योजना को वर्ष 2001–2002 की योजना में सम्मिलित किया गया है। जनपद चमोली में निम्नलिखित सड़कें इन दो वर्षों के सापेक्ष निर्माणाधीन हैं :–

क्रमांक	सड़क का नाम
1.	हैलंग–उर्गम मोटर मार्ग
2.	पल्सारी–बमियाला मोटर मार्ग
3.	परखाल–केदारकोट मोटर मार्ग
4.	हाप्ला–घोतिधार मोटर मार्ग

वर्ष 2003–2004 हेतु जिला स्तर से अनुमोदित सड़कों पर स्वीकृति प्रक्रिया गतिमान है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उत्तरांचल में वर्षवार प्राप्त व्यय धनराशि

95–डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उत्तरांचल राज्य को वर्ष 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002 के दौरान वर्षवार कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है?

क्या वित्तीय वर्ष 2002–2003 तथा 2003–2004 के लिए उक्त योजना के तहत सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं? यदि हाँ, तो स्वीकृत सड़कों के क्या–क्या नाम हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

वर्ष 1999–2000 में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई, वर्ष 2000–2001 में कुल रु0 60.63 करोड़ तथा वर्ष 2001–2002 में कुल रु0 70.00 करोड़ प्राप्त हुये। इस प्रकार कुल रु0 130.63 करोड़ प्राप्त हुए हैं। जिसके सापेक्ष दिनांक 30–11–2003 तक रु0 80.97 करोड़ व्यय हो चुके हैं।

वित्तीय वर्ष 2002–2003 की योजना वर्ष 2001–2002 में सम्मिलित की गयी है और वर्ष 2002–2003 के लिए पृथक मार्ग स्वीकृत नहीं हुआ है। वर्ष 2003–2004 के लिए प्राप्त प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

राज्य में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव

96–श्री तसलीम अहमद–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में किन–किन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है?

क्या सरकार उक्त वन ग्रामों को शीघ्र ही राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

97–श्री महेन्द्र भट्ट–

न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

विकास खण्ड चमोली की बन्द पड़ी मस्ट गाँव पेयजल योजना का जीर्णोद्धार

98–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी की बन्द पड़ी मस्ट गांव पेयजल योजना को चालू कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

उक्त योजना ग्राम सभा के रख–रखाव में है। योजना में वृहद् मरम्मत की आवश्यकता सम्बन्धी प्रस्ताव ग्राम सभा से पारित होकर जिलाधिकारी के माध्यम से जल संस्थान को संदर्भित होने पर जीर्णोद्धार/पुनर्गठन की कार्यवाही की जायेगी।

जल निगम में ठेकेदारों के पंजीकरण तथा नवीनीकरण की नीति

99–श्री मातबर सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल निगम में ठेकेदारों के पंजीकरण तथा नवीनीकरण करने हेतु कोई नीति बनाई गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

उत्तरांचल पेयजल निगम में ठेकेदारों के पंजीकरण तथा नवीनीकरण हेतु कोई नीति नहीं बनाई गयी है, बल्कि "रेगुलेशन फार क्लासिफिकेशन एण्ड एनलिस्टमेंट ऑफ कान्ट्रेक्टर्स इन दि उत्तर प्रदेश जल निगम, 1984" यथा संशोधन दिनांक 09–01–2002 में निहित प्राविधानानुसार उत्तरांचल पेयजल निगम में ठेकेदारों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण किया जा रहा है।

जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–दन्या मोटर मार्ग का निर्माण

100–श्री प्रकाश पंत–

क्या लो0 नि0 मंत्री बतायेंगी कि जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा–दन्या–घाट मोटर मार्ग निर्माणाधीन है ?

यदि हां, तो कब तक इस मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2004–2005 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

चमोली अन्तर्गत पोखरी में लोक निर्माण विभाग के 'अस्थायी खण्ड शाखा' को पुनः प्रारम्भ करने पर विचार

101–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में लोक निर्माण विभाग की 'अस्थायी खण्ड शाखा' को कब बन्द किया गया तथा इसके बन्द किये जाने के क्या कारण थे ?

क्या सरकार उक्त 'अस्थायी खण्ड शाखा' को पुनः प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2000 के द्वारा लोक निर्माण विभाग के वृत्तों/खण्डों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप निर्माण खण्ड पोखरी, फालतू सिविल कार्यकारी मार्ग खण्ड घोषित किया गया तथा इसका समस्त कार्य प्रा0 खण्ड कर्णप्रयाग को सौंपा गया।

जी नहीं।

खण्ड के सृजन के लिए निर्धारित मानकों के अभाव में।

टिहरी के विकास खण्ड जौनपुर में सुनिश्चित रोजगार योजना में सड़कों का निर्माण

102–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में लोक निर्माण अस्थाई खण्ड थत्यूड़ द्वारा बंगार से छनाणगांव 03 कि0मी0, थत्यूड़ से मजेपुर तक 03 कि0मी0, खेराड़ से मुटगांव तक 04 कि0मी0 तथा डौर से परोडी तक 01 कि0मी0 सड़क का निर्माण सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कराया गया था ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त सड़कों का रख–रखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उपरोक्त सड़कों का रख–रखाव लोक निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड थत्यूड़ टिहरी गढ़वाल द्वारा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

विकास खण्ड जौनपुर टिहरी गढ़वाल में लोक निर्माण अस्थाई खण्ड थत्यूड़ को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994–95 में निम्न सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी :–

1–बंगार से छनाणगांव तक	03 कि0मी0
2–थत्यूड़ से मजेपुर मराड़ तक	03 कि0मी0
3–खैराड़ से मुटगांव तक	02 कि0मी0

लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था थी। सुनिश्चित रोजगार योजना बन्द हो चुकी है तथा वर्तमान में इस योजना के स्थान पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना संचालित है जिससे अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाते हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा देहरा–मसूरी विकास प्राधिकरण से भवनों की खरीद का ब्योरा

103–श्री मातबर सिंह–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार ने अब तक देहरा–मसूरी विकास प्राधिकरण से कितने भवन खरीदे हैं तथा कितने भवनों का कब्जा ले लिया है ?

कितनी धनराशि अभी तक उत्तरांचल सरकार की देहरा–मसूरी विकास प्राधिकरण के पास है ?

सरकार शेष धनराशि को वापिस लेने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तरांचल द्वारा मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण से विभिन्न श्रेणी के 102 भवन निम्नानुसार क्रय किये गये–

क्र0सं0	नाम कॉलोनी	श्रेणी	संख्या
1.	केदारपुरम्	I	44
2.	लोहियापुरम् (त्यागी रोड)	II	30
3.	नेहरूपुरम् (कॉवली रोड)	III	08
4.	इन्दिरापुरम् फेज–3 (कब्जा अप्राप्त)	IV	20

उपरोक्त क्रमांक 4 पर वर्णित इन्दिरापुरम फेज–3 के 20 आवासों पर कब्जा मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा न दिये जाने के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका है।

उत्तरांचल गठन से पूर्व पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तरांचल विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1030/28–12–2000–55(राज्य)/2000, दिनांक 6 नवम्बर, 2000 द्वारा रु0 672.14 लाख की धनराशि आयुक्त गढ़वाल मण्डल के निस्तारण पर रखते हुए मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने हेतु अवमुक्त की गयी थी। प्राधिकरण से कब्जा लिये गये 82 भवनों की लागत रु0 2,24,66,380.00 है तथा इन्दिरापुरम फेज–3 में निर्माणाधीन 20 आवासों का कब्जा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जिनकी लागत शासन द्वारा रु0 2,20,07,620.00 निर्धारित की गयी है। मसूरी–देहरादून प्राधिकरण द्वारा परिसर की बाहर दीवारी हेतु रु0 15.40 लाख की अतिरिक्त मांग की गयी है।

शासन द्वारा रिस्पनापुरम् में श्रेणी–2 के 67 तथा श्रेणी–3 के 22 आवासों को निम्न प्रतिबन्धों के साथ क्रय किये जाने का शासनादेश निर्गत किया गया है–

1. सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ से बचाव के लिए तटबन्धों के जो मानक निर्धारित किये जायेंगे, उनके अनुसार एम0डी0डी0ए0 द्वारा तटबन्ध बनाये जायें।
2. अभी इन पर कतिपय व्यक्तियों के अनाधिकृत अध्यासन चल रहे हैं, एम0डी0डी0ए0 इन अनाधिकृत अध्यासियों को हटाकर रिक्त आवासों का कब्जा राज्य सम्पत्ति विभाग को हस्तान्तरित करायेगी।

उपरोक्त दोनों प्रतिबन्धों पर मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे इन आवासों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद पिथौरागढ़ में क्षतिग्रस्त देवस्थल लिक मार्ग के केदार की गैर स्थल पर पुनर्निर्माण

104–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में देवस्थल लिक मार्ग आरम्भ में केदार की गैर के पास लगभग 50 मीटर मोटर मार्ग गत 10 वर्षों से क्षतिग्रस्त है ?

क्या सरकार इस मोटर मार्ग का निर्माण जनहित में शीघ्र करवायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

जी हां।

आगामी वित्तीय वर्ष तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा।

उत्तरकाशी वन प्रभाग के डुण्डा राजि में लगातार लीसे का नीति विरुद्ध दोहन

105–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि किसी एक कम्पार्टमेन्ट में लगातार पांच बार से अधिक बार लीसा का दोहन नहीं किया जाता है ?

यदि हां, तो क्या यह सही है कि उत्तरकाशी वन प्रभाग के डुण्डा राजि के कम्पार्टमेन्ट सं0 6 में वर्ष 1987–88 से लगातार लीसे का दोहन किया जा रहा है ?

यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

वन विभाग की प्रबन्ध कार्य योजना में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अनुसार ही लीसा दोहन का कार्य किया जाता है। लगातार पांच से अधिक बार लीसा दोहन के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

जी नहीं। डुण्डा राजि के डुण्डा कम्पार्टमेन्ट सं0 6 में वर्ष 1987–88 से अब तक लीसे का विदोहन नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद रुद्रप्रयाग के विभिन्न पैदल मार्गों पर बने पुलों का अनुरक्षण तथा सुधारीकरण

106–श्रीमती आशा देवी–

क्या लो0 नि0 मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न पैदल मार्गों पर पूर्व में निर्मित गौचर–सारी झूला पुल, ऊखीमठ–विद्यापीठ झूला पुल, ऊखीमठ–कालीमठ (निवारिणी) झूला पुल, कालीमठ–काली मन्दिर लोहा पुल, बीरी–डमार झूला पुल, चन्द्रपुरी–बष्टी (बसुकेदार) झूला पुल, बेडूबगड़–फलई झूला पुल, मस्तूरा–दैड़ा लोहा पुल, गुप्तकाशी–कालीमठ झूला पुल, अगस्त्यमुनि–सिल्ला झूला पुल, सिल्ली–चाका झूला पुल, काकड़ागाड़–सिगोली झूला पुल, बड़ासू–रैल झूला पुल, कोटमा–स्यासू झूला पुल तथा जुगासू–मद्‌दमहेश्वर मार्ग पर बने लोहे के पुल के अनुरक्षण तथा सुधारीकरण की कोई योजना विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उपरोक्त सभी झूला एवं लोहे के पुलों का कब तक सुधारीकरण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

कोटमा–स्यासू पुल, जिसका अनुरक्षण जिला पंचायत, चमोली द्वारा किया जा रहा है, को छोड़कर शेष सभी पुलों का अनुरक्षण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। सुधारीकरण की पृथक से कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

सभी सेतुओं पर आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है।

औषधि एवं सगन्ध पादपों के संरक्षण, विकास व विदोहन की कार्य योजना

107–श्री प्रकाश पंत–

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि औषधि एवं सगन्ध पादपों का संरक्षण, विकास व विदोहन हेतु वन विभाग तथा संयुक्त विदोहन दल बनाकर कार्य करने की योजना प्रस्तावित है?

यदि हाँ, तो क्या प्रस्तावित कार्य योजना में पूर्व से उक्त क्षेत्र में कार्यरत भेषज सहकारी संघ को भी सम्मिलित किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

कुमाऊँ मण्डल के वन क्षेत्र में लीज पर दी गई भूमि एवं प्राप्त राजस्व

108—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 2002—2003 में कुमाऊँ मण्डल के वन क्षेत्र में कितने एकड़ भूमि को लीज पर दिया गया तथा उससे सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई?

श्री नव प्रभात—

कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत वर्ष 2002—2003 में कृषि वानिकी के अन्तर्गत वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु 7856.225 एकड़ भूमि को लीज पर दिया गया जिससे राजस्व के रूप में कुल रु0 3,82,84,785.00 की धनराशि प्राप्त हुई।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न विकास कार्यों यथा, पेयजल सुविधा, खनन, विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण आदि प्रयोजनों हेतु 36 मामलों में 595.60 एकड़ वन भूमि विभिन्न यानक विभागों को लीज पर दी गयी है।

जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग की क्षतिग्रस्त पलाऊ पेयजल योजना का पुनर्निर्माण

109—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत पलाऊ पेयजल योजना कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इसके पुनर्निर्माण की कोई योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हाँ।

उक्त एकल ग्राम योजना ग्राम सभा के रख—रखाव में होने के कारण योजना में वृहद मरम्मत सम्बन्धी प्रस्ताव ग्राम सभा से पारित होकर जिलाधिकारी के माध्यम से जल संस्थान को प्राप्त होने पर योजना के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के राजकीय इण्टर कॉलेज, देवीखेत को मोटर मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव

110—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत रा0इ0 कॉलेज, देवीखेत को मोटर मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो इस पर कब तक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधन के कारण।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में प्रधानमंत्री सडक योजना के अन्तर्गत प्रभावित कृषकों की भूमि का मुआवजा

111–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में प्रधानमंत्री सडक योजना के अन्तर्गत ल्वाणी रामणी सडक निर्माण के दौरान जिन कृषकों की भूमि सडक के अन्तर्गत आ गयी है, उन्हें भूमि का मुआवजा प्रदान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

सम्बन्धित कृषकों को रु0 6,41,750.00 का भुगतान नवम्बर, 2003 तक किया जा चुका है। अवशेष धनराशि रु0 63,125.00 का भुगतान भू–स्वामियों के उपस्थित न होने के कारण नहीं किया जा सका है।

जनपद नैनीताल में अधूरे पंगोट–देचौरी मार्ग का निर्माण

112–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल में पंगोट–देचौरी मार्ग दोनों ओर से निर्मित होने के बावजूद बीच में अधूरा छूटा हुआ है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस महत्वपूर्ण मार्ग को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए कार्यवाही कर रही है?

यदि हाँ, तो मार्ग का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मार्ग देचौरी की ओर से 1.50 कि0मी0 तथा पंगोट की ओर से 6.00 कि0मी0 निर्मित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिकांश भाग वन भूमि होने एवं सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण अभी सम्भव नहीं है।

जनपद नैनीताल के विकास भवन का निर्माण

113–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास भवन निर्धारित अवधि में बन कर तैयार हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत दशोलीखाल मटियाणा मोटर मार्ग निर्माण में कृषकों को मुआवजा

114–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सुनाली–दशोलीखाल मटियाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 4 तक निर्माण में सुनाली व पलाऊ में कृषकों की नाप भूमि में फसल दबान का मुआवजा दे दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

ग्राम सुनाली के कृषकों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। ग्राम पलाऊ के कृषकों को मुआवजा अभी नहीं दिया गया है।

अभिलेख तैयार कराये जा रहे हैं।

जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में सोनला कोठाली मोटर मार्ग का डामरीकरण

115–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में सोनला कोठाली कच्चा मोटर मार्ग किस सन् में बनकर तैयार हो गया था?

तथा इसकी कुल लम्बाई कितनी है?

क्या सरकार उक्त मार्ग के डामरीकरण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वर्ष 2000 में बनकर तैयार हो गया था।

मार्ग की कुल लम्बाई 28.50 कि0मी0 है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन अब तक 3 कि0मी0 लम्बाई में डामरीकरण स्वीकृत हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ में मुवानी गोबराडी तथा नौचदा नापड मोटर मार्ग का निर्माण

116–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ में मुवानी गोबराडी तथा नौचदा नापड मोटर मार्ग के निर्माण की वन विभाग से स्वीकृति मिली है?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ। वर्ष 1999 में स्वीकृत दोनों हल्का वाहन मार्गों के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार हल्का वाहन मार्ग का निर्माण बन्द कर दिया गया है। प्रसंगत हल्का वाहन मार्गों को मोटर मार्गों में परिवर्तित करने की कार्यवाही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ में ग्राम स्योली पेयजल योजना का पुनर्निर्माण

117–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ में ग्राम स्योली पेयजल योजना की पाइप लाइन में जंग लगने से पेयजल योजना बन्द है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पेयजल योजना का पुनर्गठन करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

अतिवृष्टि (दैवी आपदा) से योजना के सी0डब्ल्यू0आर0/एस0सी0सी0 एवं पाइप लाइन कार्य पूर्ण क्षतिग्रस्त होने के कारण वर्तमान मे योजना पूर्ण रूप से बन्द है।

उक्त योजना ग्राम सभा के रख–रखाव में है। ग्राम सभा से योजना के पुनर्गतन का प्रस्ताव पारित होने के उपरान्त जिलाधिकारी के माध्यम से जल संस्थान को प्राप्त होने पर योजना के पुनर्गठन की कार्यवाही सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में बाढ़ से बहे झरझरगाड पुल का पुनः निर्माण

118–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत दागुड़गांव व राना के मध्य झरझरगाड पर लोहे का पुल बाढ़ आने से बह गया है?

यदि हाँ, तो क्या आवागमन हेतु पुल का निर्माण करा लिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

सितम्बर, 2003 में झरझरगाड पर लकड़ी का लाग पुल बाढ़ से बह गया था।

पैदल पुल को पार करने हेतु अस्थाई व्यवस्था की गई है। लकड़ी का पुल निर्माण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल की नगरपालिका परिषद् की खराब वित्तीय स्थिति

119–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश की सबसे पुरानी नगरपालिका नैनीताल की वित्तीय स्थिति अत्यन्त खराब है तथा कर्मचारियों का वेतन समय से न मिलने के कारण शहर की व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से पर्यटन उद्योग प्रभावित हो रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार हालात सुधारने के लिए विशेष उपाय करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

नगरपालिका परिषद् की नैनीताल की वित्तीय स्थिति की जानकारी शासन को है। कर्मचारियों को समय से वेतन देने का प्रयास नगरपालिका परिषद् कर रही है। नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि शहर की व्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत धनराशि से 25 प्रतिशत अधिक धनराशि नगरपालिका परिषद्, नैनीताल को दी गयी है। स्वायत्तशासी संस्था होने के कारण निजी स्रोतों से आय बढ़ाने हेतु नगरपालिका परिषद् को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

120—श्री काशी सिंह ऐरी—

दिनांक 22—12—2003 को अता0 प्र0 128 द्वारा उत्तरित।

121—श्री मातबर सिंह—

विस्तीर्णता तथा न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

नैनीताल में अत्यधिक वर्षा से ज्योलीकोट—सड़ियाताल मोटर मार्ग के धंसने से उत्पन्न खतरे का सुरक्षात्मक उपाय

122—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि 18 व 19 अगस्त, 2003 को हुई अत्यधिक वर्षा के कारण ज्योलीकोट—सड़ियाताल मोटर मार्ग (जनपद नैनीताल) के धंसने से पूरे गांव को खतरा उत्पन्न हो गया है जिससे सुरक्षात्मक कार्यों के लिए जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया है ?

यदि हां, तो कब तक सुरक्षात्मक उपायों हेतु धन आवंटन कर कार्यवाही कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हां। प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। गांव को कोई खतरा नहीं है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा की पट्टी मण्डारस्यूं के बडेथ में सिंचाई गूल योजना का स्थानान्तरण तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

123—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत जिला पंचायत उत्तरकाशी से विकास खण्ड डुण्डा अन्तर्गत पट्टी मण्डारस्यूं के ग्राम बडेथ में सिंचाई गूल योजना स्वीकृत थी ? क्या यह सत्य है कि जिला पंचायत उत्तरकाशी के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा धन लेकर उक्त स्वीकृत योजना को पट्टी गाजणा के बडेथ गांव में स्थानान्तरित कर कार्य करवाया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त जांच कर दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हां। योजना स्थानान्तरित नहीं की गयी है। प्रकरण संज्ञान में आने पर जांच करायी जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही सम्भव है।

जनपद टिहरी, पौड़ी एवं नैनीताल में मार्गों के रख–रखाव तथा विशेष मरम्मत पर व्यय

124–श्री फूल सिंह बिष्ट–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2003 के प्रथम मंगलवार के अता0 प्रश्न 90 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी, पौड़ी गढ़वाल तथा जनपद नैनीताल में मार्गों के वार्षिक रख–रखाव तथा मार्गों के विशेष मरम्मत की मद में वर्ष 2002–2003 में जनपदवार कितनी–कितनी धनराशि निर्गत की गई?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

प्रश्न में इंगित जनपदों में वर्ष 2002–2003 में वार्षिक रख–रखाव तथा विशेष मरम्मत की मद में आवंटित धनराशि निम्नवत् है :–

जनपद	मद का नाम	
	वार्षिक रख–रखाव (लाख में)	विशेष मरम्मत (लाख में)
टिहरी	282.27	7.00
पौड़ी	518.53	25.20
नैनीताल	480.81	136.69

ब्लॉक लक्सर हरिद्वार में 'सुल्तानपुर कुन्हारी' नाम से ग्राम पंचायत बनाने पर विचार

125–श्री तसलीम अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद हरिद्वार के ब्लॉक लक्सर की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर व ब्लॉक बहादराबाद की ग्राम पंचायत मौ0पुर कुन्हारी जो कि संयुक्त रूप से मिली ग्राम पंचायत है को मिलाकर 'सुल्तानपुर कुन्हारी' के नाम से नगर पंचायत बनाने का विचार करेंगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

'सुल्तानपुर कुन्हारी' के नाम से नगर पंचायत बनाने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रस्तर–1 के अनुसार।

जनपद उत्तरकाशी के मनेरी भाली परियोजना घरासू–दिकोली गॉव में स्थापित स्टोन क्रेशरों का पर्यावरणीय मानक

126–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण क्षेत्र घरासू दिकोली गॉव में निर्माण कम्पनियों द्वारा स्थापित स्टोन क्रेशर पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप स्थापित है?

यदि नहीं, तो स्टोन क्रेशर मालिक कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नव प्रभात–

प्रश्नगत परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कम्पनियों द्वारा तीन स्टोन क्रेशर स्थापित किये गये हैं, जिनमें से एक पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप पाये जाने पर उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान कर दी गयी है। शेष दो का प्रकरण बोर्ड के परीक्षणाधीन/विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से मैं श्री प्रकाश पंत, श्री नारायण पाल, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री अनिल नौटियाल, डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल और श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी की सूचना को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ, शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में व्याप्त अव्यवस्थाओं के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ का एक मात्र जिला चिकित्सालय वर्तमान में व्यापक अव्यवस्थाओं का शिकार है। हैल्थ सिस्टम द्वारा चिकित्सालय के जीर्णोद्धार हेतु लगभग 7.5 लाख रुपये अवमुक्त किया गया था जिसके द्वारा अनुरक्षण का कार्य करवाया गया था। परन्तु चिकित्सालय की छत वर्तमान में भी टपक रही है, शौचालयों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। चिकित्सालय की एक मात्र अल्ट्रासाउन्ड मशीन विगत 6 माह से खराब पड़ी है। भोजन व्यवस्था हेतु आवश्यक सामग्री, बर्तन इत्यादि के अभाव के चलते रोगियों को अनुमन्य निःशुल्क भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार जिला महिला चिकित्सालयों में भी हैल्थ सिस्टम द्वारा कराये गये जीर्णोद्धार कार्यक्रम के बाद भी चिकित्सालय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की अव्यवस्थायें नहीं सुधर पायी हैं। जनपद पिथौरागढ़ नेपाल तथा तिब्बत का सीमावर्ती जनपद होने के बाद भी चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति सुधारने पर सरकार तथा विभाग गम्भीर नहीं है। अतः इस लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के ब्लॉक सितारगंज में महिला चिकित्सक की नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नारायण पाल—

मान्यवर, ऊधमसिंह नगर के ब्लॉक सितारगंज में लगभग 3 लाख की आबादी में एक भी महिला चिकित्सक की नियुक्ति नहीं है, जबकि यहां पर निवास कर रहे नानकमत्ता, शक्तिगढ़ सितारगंज की गर्भवती (प्रैगनेन्ट) महिलाओं को दूर-दराज के क्षेत्रों में शारीरिक, आर्थिक व मानसिक कठिनाईयों के बाद इलाज हेतु जाना पड़ता है। मैं इस गम्भीर विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

(निम्न सूचनाएँ पढ़ी हुई मानी गई)

जनपद देहरादून के ग्राम डोईवाला के अन्तर्गत निर्मित मोथरोवाला-दूधली मोटर मार्ग के मध्य हाईपावर विद्युत लाइनों को आवासीय भवनों एवं सड़क के किनारे स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद देहरादून के ग्राम डोईवाला के अन्तर्गत क्लेमनटाऊन कैन्ट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित मोथरोवाला-दूधली मोटर मार्ग के मध्य बिजली की हाईपावर लाइन के कारण मार्ग में वाहनों के आवागमन में कभी भी किसी अप्रिय दुर्घटना होने की सम्भावना बनी हुयी है। जैसा कि हाल ही में एक ट्रक में करेन्ट लगने के बाद बाल-बाल बच गया। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि अविलम्ब उक्त विद्युत लाइन को आवासीय भवनों एवं सड़क किनारे स्थानान्तरित करने के लिए सम्बन्धित विभाग को निर्देशित करने की मांग करता हूँ।]

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड के अन्तर्गत बगोली-कोटी मार्ग निर्माण में भूमि का मुआवजा न मिल पाने के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनिल नौटियाल—

[मान्यवर, जनपद चमोली में कर्णप्रयाग विकासखण्ड के अन्तर्गत बगोली-कोटी मोटर मार्ग को बने लगभग 18 वर्ष हो गये हैं किन्तु ग्राम जैट-कोटी आदि गाँवों के लोगों को आज तक भूमि का मुआवजा नहीं मिल पाया है। जबकि यह मोटर मार्ग यातायात हेतु

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[ ] यह अंश पढ़े हुए माने गए।

प्रारम्भ किया जा चुका है। मुआवजा न मिलने के कारण क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की आज की कार्यवाही रोक कर वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद चमोली के विकास खण्ड थराली में उप खण्ड अधिकारी विद्युत वितरण कार्यालय अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने से विद्युतीकरण कार्य प्रभावित होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी–

[मान्यवर, विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं सुदूर स्थानों पर छितरे ग्रामों में विद्युत वितरण की व्यवस्था सुचारू करने एवं सभी गांवों में द्रुतगति से विद्युतीकरण किये जाने व जनता को विद्युत सम्बन्धी कार्यों की सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा जनपद चमोली के विकास खण्ड थराली में उप खण्ड अधिकारी विद्युत वितरण का कार्यालय स्वीकृत किया गया था। उक्त स्वीकृत उप खण्ड अधिकारी विद्युत वितरण का कार्यालय अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया है जिससे विद्युतीकरण एवं विद्युत वितरण का कार्य प्रभावित हो रहा है तथा जनता अपने को ठगा सा महसूस करने के साथ–साथ विद्युत सम्बन्धी सुविधाओ के लाभ से वंचित है। अतः मेरा सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने का पुरजोर अनुरोध है।]

कालाढूंगी पेयजल योजना (जनपद नैनीताल) को वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर यथाशीघ्र पूरा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नारायण सिंह जंतवाल–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूँ। मान्यवर, कालाढूंगी, जनपद नैनीताल में पेयजल की विकट समस्या बनी हुई है। कालाढूंगी क्षेत्र के लिए स्वीकृत पेयजल योजना का केवल एक चरण पूरा किया गया है। जब कि प्रस्तावित बड़े क्षेत्र में कोई कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। क्षेत्रवासी पेयजल योजना को पूरा न किये जाने से आक्रोशित हैं तथा आन्दोलनात्मक कार्यवाही भी लोगों द्वारा की गयी है।

अतः मैं शासन से मांग करता हूँ कि कालाढूंगी, जनपद नैनीताल पेयजल योजना हेतु धनराशि उपलब्ध करवाकर शीघ्र योजना को पूरा करवाया जाय।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल की नगरपालिका परिषद् दुगड्डा के कर्मचारियों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

[मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल की ऐतिहासिक नगर पालिका परिषद् दुगड्डा के कर्मचारियों को विगत सात माह से वेतन न मिलने से उनके एवं उनके परिवारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दुगड्डा निकाय की आर्थिक स्थिति केवल शासन की दया पर निर्भर है, क्योंकि निकाय की आय का एकमात्र साधन (प्रवेश कर) शासन द्वारा बन्द कर देने के पश्चात् उक्त निकाय को आज भी पर्वतीय परिस्थितियों के मानक के अनुसार शासन द्वारा अनुदान नहीं दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जन

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़े हुए माने गए।

प्रतिनिधियों, सम्बन्धित निर्वाचित बोर्ड, समाचार-पत्रों के द्वारा एवं कर्मचारियों ने हड़ताल के माध्यम से शासन को सारी स्थिति से अवगत करा दिया है। उत्तरांचल बनने के पश्चात भी पर्वतीय मानकों को नजर अंदाज किया जा रहा है। उक्त निकाय पर 17 लाख रुपया कर्मचारियों व पेंशनधारियों का बकाया है, जो कि शासन के विशेष अनुदान पर ही निर्भर है। क्या सरकार निकाय के अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को भविष्य में नियमित वेतन भुगतान एवं पूर्व के अवशेष भुगतान हेतु कोई कदम उठा रही है? उत्तरांचल में निकायों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नियमित पेंशन भुगतान हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और कितने निकाय ऐसे हैं जिनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विगत कई माह से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है?

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।]

उत्तरांचल सरकार के वित्तीय वर्ष 2002-2003 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे का प्रतिवेदन

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के अधीन वित्तीय वर्ष 2002-2003 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे उत्तरांचल सरकार का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखती हूं।

जनपद उत्तरकाशी में पट्टी भण्डारस्यूं दशगी-हातड़ को मिलाकर नये विकास खण्ड के सृजन विषयक याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जनपद उत्तरकाशी में पट्टी भण्डारस्यूं दशगी-हातड़ को मिलाकर नये विकास खण्ड के सृजन विषयक श्री लक्ष्मण सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर को नया जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर को नया जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रवीर सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2003

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोट-[ ] यह अंश पढ़े हुए माने गए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुई है। मैं इनमें से श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री अजय भट्ट, श्री बिशन सिंह चुफाल तथा श्री प्रीतम सिंह पंवार की सूचनाओं को ग्राहयता पर सुन रहा हूं।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को ध्यान अपने दूरस्थ विकास खण्ड–पोखरी, जनपद चमोली की स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विकास खण्ड में एक मात्र प्राथमिक चिकित्सालय है, जिसमें डाक्टरों का अभाव सतत् बना हुआ है। अनेकों बार वहां की जनता ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण के लिए जन आन्दोलन किये। उन्होंने ब्लाक तथा ग्राम पंचायतों के स्तर से प्रस्ताव कराये, लेकिन मान्यवर, केवल आश्वासनों के अतिरिक्त वहां की जनता को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आमरण अनशन जैसा कदम भी वहां की जनता द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण के लिए उठाया गया। मान्यवर, मेरे द्वारा इस संबंध में वहां के कुछ लोगों की याचिका भी सदन के पटल पर रखी गयी। लेकिन उस सम्बन्ध में भी कोई कार्यवाही होती नजर नहीं आ रही है। मान्यवर, यह सबसे अधिक लोक महत्व का एवं अविलम्बनीय विषय है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण हो और वहां पर चिकित्सा सुविधाएं दुरुस्त की जायें, यही मेरी मांग है।

* स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि पोखरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है, पिछले दिनों इसका उत्तर मांग लिया गया था। इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के लिए इसी वित्तीय वर्ष में पैसों की व्यवस्था की जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राहय करता हूं।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 56 की मेरी सूचना पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं एक ऐसा मामला सदन के सामने रखना चाहता हूं कि जो बहुत ही गम्भीर है, यह मामला सेक्सुअल हैरेसमेंट का है, जिसे कोई भी महिला समाज के सामने बताना कभी भी पसन्द नहीं करती, इस तरह से हजारों बहनें प्रताड़ित होती रहती हैं। लेकिन कु0 आशा रजौरा, जो जड़ी–बूटी शोध संस्थान, गोपेश्वर में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात है, ने वहां के निदेशक पर खुले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आम आरोप लगाया है कि उसका यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने यह बात मौखिक रूप में ही नहीं कही है बल्कि जिलाधिकारी, चमोली तथा एस0पी0, चमोली को एक–एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में चीफ सेक्रेटरी, उत्तरांचल शासन, भारत के महामहिम राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश, भारत सरकार को भी कहा है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में मेरा जो सैक्सुअल हैरेस्मेंट हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, उन्होंने इसकी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वह जब जड़ी–बूटी शोध संस्थान में गयी थीं, तो वह निदेशक उन पर फब्तियां कसता था, तरह–तरह के अश्लील शब्द कहता था, जो कि सैक्सुअल हैरेस्मेंट की श्रेणी में आता है।

मान्यवर, एक बार निदेशक दिल्ली ले जाने के बहाने उसे ऋषिकेश ले गये। वहां एक होटल बुक कराया और उससे कहा कि हम आज नहीं रुकेंगे, दिल्ली नहीं जायेंगे। मान्यवर, जो महिला अपने सम्मान की रक्षा करती है उसके लिए यह कितनी परेशानी की बात है। वह निदेशक अपने बुक कराये हुए कमरे में न ठहरकर उस महिला के कमरे में घुस गया। जब उस महिला ने अपने भाई को सैल्युलर फोन करके अवगत कराया तथा उसके भाई ने फोन पर ही निदेशक को डांटा फटकारा। तब आशा रजौरा रात में भागकर 2.00 बजे अपने घर गाजियाबाद पहुंची।

मान्यवर, जब वह कर्मचारी महिला दोबारा कार्यालय पहुंची है तभी से निदेशक महोदय उससे कह रहे हैं कि तुम ठीक से काम नहीं करती हो। मान्यवर, इतना ही नहीं जाड़ों में जो अंगीठी दी जाती है गोपेश्वर जैसी जगह में, जहां बहुत अधिक ठण्ड पड़ती है, वह भी उससे ले ली गयी है। मान्यवर, उस महिला के साथ यह कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई भी महिला अपने पर इस तरह के लांछन लगाना पसंद नहीं करती है। मान्यवर, इस तरह की कई महिलाएं होंगी जो उत्पीड़ित होती रही होंगी। लेकिन यह महिला इस तरह के व्यवहार को आगे लाने की हिम्मत कर पाई है। उस महिला का यह भी कहना है कि इस प्रकरण की जांच महिलाओं के लिए जो विशाखा गाइड लाइन है, उसके अनुसार की जाय। इस गाइड लाइन के सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी मान्यता दी गयी है। इस गाइड लाइन में किस तरह से जांच करनी है वह सब दिया गया है। हर बिन्दु दिया गया है। मान्यवर, अगर यह जांच विशाखा गाइड लाइन के अनुसार हो जाय तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जायेगा। मान्यवर, उस महिला का यह भी कहना है कि इस प्रकरण की जांच जिलाधिकारी द्वारा भी की गयी, लेकिन वह जांच सही नहीं की गयी है। वह काफी तोड़ मरोड़ कर की गयी है। इसी प्रकरण पर दूसरी जांच कमिश्नर गढ़वाल से कराई जा रही है। मान्यवर, विशाखा गाइड लाइन्स की प्रति फैक्स द्वारा डी0एम0 चमोली तथा एस0एस0पी0, चमोली को दी गयी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी प्रति आपको भी उपलब्ध करा दूंगा। मान्यवर, यह महिला नारी समाज का प्रतिबिम्ब बनकर सामने आई है। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आज की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

* उद्यानमंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)–

मान्यवर, कु0 आशा रजौरा तकनीकी सहायक के पद पर जड़ी–बूटी शोध संस्थान में कार्यरत हैं। उन्होंने यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत की है। मान्यवर, हमने प्रथम दृष्टि में शिकायत प्राप्त होते ही जिलाधिकारी गोपेश्वर से जांच करायी। जो जांच आख्या प्राप्त हुई उस जांच आख्या से स्पष्ट नहीं हो पाया। जांच आख्या में साफ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिखा है कि जड़ी–बूटी शोध संस्थान की दूसरी महिलाओं, कर्मचारियों और वहां के जो कर्मचारी पुरुष हैं उन्होंने तथा स्थानीय लोगों ने इस किस्म की कोई जानकारी नहीं उपलब्ध करायी। यह मामला ऋषिकेश तथा दूसरी जगह का है इसलिए इसमें किसी उच्च स्तरीय अधिकारी अर्थात् सचिव स्तर से जांच करवाई जाय।

मान्यवर, उसके बाद गढ़वाल कमिश्नर तथा जिलाधिकारी, देहरादून को जांच के आदेश दिये हैं। अभी इनकी जांच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। निश्चित रूप से यह गम्भीर प्रकरण है। जांच रिपोर्ट आते ही सरकार उस पर कार्यवाही करेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, विशाखा गाइड लाइन के आधार पर कार्यवाही होनी चाहिए। यदि सरकार के पास गाइड लाइन नहीं है तो हम गाइड लाइन उपलब्ध करा देंगे। मान्यवर, आशा रजौरा ने सुप्रीम कोर्ट में केवल पत्र भेजा है, गयी नहीं।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, इस मामले की जांच करायी जा रही है, जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस पर कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, आपने मुझे नियम 58 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, 20 जुलाई, 2003 को डीडीहाट में दैवीय आपदा से करोड़ो रुपये की क्षति हुई थी। मान्यवर, इस क्षेत्र का दौरा माननीय उद्यान मंत्री तथा माननीय कृषि मंत्री ने किया था। इस दैवीय आपदा से डीडीहाट में 180 परिवार प्रभावित हुए थे। अभी भी ये लोग टेंटों और दूसरे के मकानों में रह रहे हैं। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली पुलिया जो दैवीय आपदा में बह गयी थी, अभी तक पुलिया नहीं बनी, सड़क यातायात की सुविधाएं अभी भी ठीक नहीं हुई हैं। मान्यवर, उत्तरांचल में दैवीय आपदा विभाग खोला गया था, यह विभाग इसलिए खोला गया था कि तत्काल सुदूर क्षेत्रों में राहत पहुंचायी जाय। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में यह विभाग नहीं था। मान्यवर, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ अति संवेदनशील जिले हैं। मान्यवर, इस मद में जो 2 करोड़ 75 लाख रु० पिथौरागढ़ जनपद को मिला है, उसमें से विकास खण्ड डीडीहाट के लिए मात्र 25 लाख रु० मिला है।

मान्यवर, नामिक गांव में 800 लोग रहते हैं और उनको 52 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मान्यवर, रामगंगा नदी नामिक का झूला पुल भी बह गया है, पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, दैवीय आपदा का पैसा केन्द्र से मिला है, आज दैवीय आपदा के पैसे से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। मान्यवर, जहां पर दैवीय आपदा नहीं है वहां पर 5–7 करोड़ रुपया मिला। मान्यवर, दैवीय आपदा के पैसे को देहरादून, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, हल्द्वानी की सड़कों पर खर्च किया जा रहा है। मान्यवर, यह

अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है, इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूँ।

*पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20–07–2003 की रात्रि में हुई अतिवृष्टि से विकास खण्ड डीडीहाट में अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान डीडीहाट से प्राप्त सूची के अनुसार 22 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई, जिनमें से डीडीहाट नगर की योजना के अतिरिक्त 21 अन्य योजनायें बन्द हैं। इसी प्रकार खण्ड विकास अधिकारी, डीडीहाट की सूचना के अनुसार कुल 15 पुलिया क्षतिग्रस्त हुई हैं। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार यातायात हेतु कोई भी मार्ग अवरुद्ध नहीं है। क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं को चालू किये जाने हेतु जल संस्थान डीडीहाट को 1 लाख रुपये की धनराशि तुरन्त अवमुक्त कर दी गयी थी। इसी प्रकार पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 4 आवासीय मकानों एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 45 आवासीय मकानों हेतु मानक के अनुसार एक करोड़ तीस लाख रुपये गृह निर्माण, सहायता का भुगतान किया गया है। वर्तमान में कोई भी प्रभावित परिवार टेंट अथवा दूसरे के मकान में निवास नहीं कर रहा है। दैवीय आपदा से विकास खण्ड, डीडीहाट में क्षतिग्रस्त विभिन्न सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों पर दिनांक 13–12–2003 को मा0 जनपद प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी द्वारा शासन को भेजे जा रहे हैं। जिलाधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन स्तर पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, आपदा राहत कोष से पिथौरागढ़ को 2 करोड़ 75 लाख रुपया, चम्पावत को 2 करोड़, ऊधमसिंह नगर को 2 करोड़, बागेश्वर को 2 करोड़, अल्मोड़ा को 2 करोड़, नैनीताल को 2 करोड़, चमोली को 2 करोड़ 50 लाख, रुद्रप्रयाग को 2 करोड़, टिहरी गढ़वाल को 3 करोड़ 25 लाख, पौड़ी गढ़वाल को 2 करोड़, उत्तरकाशी को 3 करोड़ 50 लाख, हरिद्वार को 2 करोड़, देहरादून को 2 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है। मान्यवर, इसमें किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है। मान्यवर, जिस तेजी से शासन काम कर रहा है, उससे पहले आपने कभी देखा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 56 के तहत मेरी सूचना स्वीकार कर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के भण्डारस्यूं क्षेत्र की जनता आजकल आदमखोर बाघ के प्रकोप से भयभीत है, वहां पर भय और दहशत का वातावरण बना हुआ है। मान्यवर, इस आदमखोर बाघ द्वारा 16 दिसम्बर की शाम 7.00 बजे भण्डारस्यूं के नगल गांव के पीताम्बर दत्त की 7 वर्षीय पुत्री कु0 सीमा को घर से उठा कर ले जाया गया और उसका शव गांव से कुछ दूर पड़ा हुआ मिला और उसके बाद 22 दिसम्बर को इसी गांव के पड़ोसी गांव में कुमराड़ा ब्रह्मखाल के शंकर चन्द्र रमोला के 11 वर्षीय पुत्र रमेश चन्द्र रमोला को भी इस आदमखोर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाघ द्वारा घर से ले जाकर घायल किया गया। जिससे मान्यवर, इस क्षेत्र के निवासियों में भय और आक्रोश का वातावरण व्याप्त है। मान्यवर, वन विभाग व प्रशासन द्वारा पीड़ितों को सहायता न दिये जाने व आदमखोर बाघ को न पकड़े जाने पर क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की समस्त कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा जो 16 दिसम्बर और 22 दिसम्बर की घटनाएं बतायी गयी हैं, यह सही हैं। इसमें 22 दिसम्बर की घटना में रु0 3 हजार की फौरी सहायता उपलब्ध करा दी गयी है और 16 दिसम्बर की घटना का प्रस्ताव भी प्राप्त कर लिया गया है और इसमें 25 हजार की अनुग्रह राशि उपलब्ध करायी जायेगी और 17 तारीख से वहां पिंजरे की व्यवस्था की गयी, लेकिन इसमें बाघ नहीं फंसा और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने नरभक्षी घोषित कर दिया है। मान्यवर, मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि यह मुआवजे की पुरानी धनराशि थी, हमने मुआवजे की धनराशि को पुनरीक्षित किया है। मान्यवर, गम्भीर रूप से घायल को 5,000 से बढ़ाकर 15,000 रु0 कर दिया गया है, आंशिक रूप से अपंग हेतु यह मुआवजे की धनराशि रु0 10,000 से बढ़ाकर रु0 25,000 कर दी गयी है, अवयस्क की मृत्यु पर यह राशि रु0 25,000 से बढ़ाकर रु0 50,000 कर दी गयी है तथा वयस्क की मृत्यु पर मुआवजे की धनराशि रु0 50,000 से बढ़ाकर रु0 1,00,000 कर दी गयी है एवं पूर्ण रूप से अपंग हेतु मुआवजे की धनराशि को बढ़ाकर रु0 50,000 से 1,00,000 कर दिया गया है। मान्यवर, इसी प्रकार पशुओं के मुआवजे में भी धनराशि को बढ़ाया गया है। कृषि क्षेत्र में बढ़ाया गया है, इसी के साथ कृषकों की फसल के नुकसान में हाथी के साथ–साथ सुअर को भी शामिल कर लिया गया है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त अनुग्रह आर्थिक सहायता के त्वरित भुगतान की व्यवस्था टी0आर0–27 लेखा शीर्षक के अन्तर्गत कोषागार से किया जायेगा। ताकि मुआवजे की राशि शीघ्र प्राप्त हो जाय।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, क्या शिकारी दल वहां पहुंच गया?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जी हाँ।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2003 पर अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल प्राविधिक परिषद् विधेयक, 2003

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "यह सदन उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है।"

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "यह सदन उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है।"

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "यह सदन उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि अभी इसकी नियमावली नहीं बन पायी है, इसलिये प्राविधिक शिक्षा हेतु एक संकलित कानून बनाया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया था। मान्यवर, चूंकि परीक्षाओं का मामला है, हमें माह नवम्बर तक उ0प्र0 को अपना मांग–पत्र प्रस्तुत करना था। हम अपने राज्य की जनता की भावनाओं के अनुरूप अधिकारियों के साथ बैठक करके यह अध्यादेश लाये। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमें परीक्षाएं संचालित करनी है। हमारे प्रमुख सचिव इसके अध्यक्ष होंगे।

मान्यवर, इसमें आई0टी0आई0, रुड़की का एक विशेषज्ञ, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम, डायरेक्टर एजूकेशन सभी विभागों से, उद्योग का ज्ञान रखने वाले उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञ भी होंगे। जिसकी वर्ष में दो बार बैठक करनी आवश्यक होंगी और इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। वर्तमान में उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत 16 राजकीय पॉलिटैक्निक, 1 सरकारी सहायता प्राप्त, 2 निजी क्षेत्र की संस्थाएं जो ओ0एन0जी0सी0 तथा ए0एम0एस0 एवं दो राजकीय होटल मैनेजमेण्ट संस्थान, देहरादून एवं अल्मोड़ा, इस प्रकार कुल 21 संस्थान विभिन्न इंजीनियरिंग, गैर–इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इन 21 संस्थाओं की कुल प्रवेश क्षमता 2460 छात्र हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु लगभग 15 हजार छात्र बैठते हैं। प्रवेश परीक्षा के संचालन में कुल 40 लाख रुपये का व्यय आता है और इन प्रवेश परीक्षा के आवेदन–पत्रों की बिक्री से प्राप्त शुल्क की धनराशि रु0 41 लाख है। परीक्षाओं के संचालन में व्यय होने वाली धनराशि रु0 24 लाख व छात्रों द्वारा फीस के रूप में जमा की गयी धनराशि रु0 16 लाख है। इसमें पी0एल0ए0 के लिए अलग से एकाउन्ट खोला गया है। निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेजों के कंट्रोल के लिए व्यवस्था की गयी है। इसमें विशेषज्ञों का विशेष सहयोग लेकर, ऑडिट की भी व्यवस्था की गयी है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव की शक्तियां निश्चित की गयी हैं। इसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक प्रतिनिधि रखा गया है। इसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों सिविल, विद्युत, यांत्रिक, रासायनिक, अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रानिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। मान्यवर, इसमें हमें समस्त

विपक्षी दलों का भी सहयोग मिलना चाहिए। क्योंकि अभी तक हम प्राविधिक परीक्षाएं कराने में समर्थ नहीं थे। इस विधेयक को इसलिए लाना पड़ा क्योंकि पहले ये परीक्षाएं उत्तर प्रदेश करा रहा था। चूंकि नवम्बर माह में परीक्षाएं कराने के लिए और हजारों छात्रों के भविष्य को देखते हुए ऐसा विधेयक लाना जरूरी था, जिसमें हमें विपक्ष भी सहयोग करेगा। इसलिए इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के बजाए इसको पारित किया जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक की प्रासंगिकता अपने भाषण में बतायी। श्रीमन्, यह सत्य है कि ऐसी विधि बनानी चाहिए और यह भी सत्य है कि जो परीक्षाएं हैं उनके संचालन के लिए एक ठोस विधि बने, जिसके माध्यम से इसका एक स्वरूप खड़ा हो सके। मैं भी चाहता हूं कि यह ढांचा गठित हो। मान्यवर, लेकिन जो शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है, उसको पिछले दरवाजे से निकालकर कई विधेयकों की शक्ल में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया जायेगा, ऐसी उम्मीद नहीं थी। मान्यवर, जल्दबाजी में यह विधेयक बनाया गया है, इसलिए इसमें कई खामियां रह गई हैं और इसीलिए हम यह प्रस्ताव लाये हैं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। मान्यवर, जिस तरह से सरकार ने एक महत्वपूर्ण विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया है, उसी तरह से इस विधेयक को भी प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

अब, मैं इस विधेयक की खामियों को संक्षेप में बता रहा हूं। मान्यवर, इस विधेयक की धारा 6 में दिया है कि "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा" लेकिन इसके बाद इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 3 देखें उसमें लिखा कि "उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन गठित समितियों के ऐसे सदस्य एवं अन्य व्यक्ति होंगे, जिन्हें प्रत्येक मामले में परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाय। समिति के सदस्यों का कार्यकाल ऐसा होगा जैसा कि नियमावली द्वारा विहित किया जाय।" मान्यवर, यह विसंगति है। उपबन्ध की धारा 6 कहती है कि समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा, वहीं दूसरी ओर धारा 14 की उपधारा 3 कहती है कि समिति के सदस्य का कार्यकाल ऐसा होगा जैसा कि नियमावली द्वारा विहित किया जाय। मान्यवर, उपबन्ध की धारा 14 की उपधारा 4 में दिया है कि "परिषद् की किसी भी समिति द्वारा ऐसे व्यक्तियों को तथा ऐसी अवधि के लिए सहयोजित किया जा सकता है, जैसा कि वह उचित समझे किन्तु ऐसे सहयोजित व्यक्तियों की संख्या समिति की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।" मान्यवर, इन्होंने बता दिया कि समिति किस प्रकार बनेगी। मान्यवर, निधियों का उल्लेख हुआ। निधियों के संबंध में उपबन्ध की धारा 21 में दिया गया है कि दो प्रकार की निधियां हैं। एक–जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि परिषद् की एक सामान्य निधि होगी, जिसमें पी0एल0ए0 की निधियां जमा की जा सकेंगी। दूसरा–माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रवेश परीक्षा के लिए पृथक से सामान्य निधि रखी जायेगी। मान्यवर, इन निधियों में कितनी–कितनी धनराशि में कौन–कौन से शुल्क जमा होंगे, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। उपबन्ध की धारा 21 की उपधारा 4 में दिया गया है कि "प्रवेश परीक्षा से संबंधित सभी व्यय की पूर्ति प्रवेश परीक्षा के लिए अनुरक्षित सामान्य निधि से की जायेगी।" मान्यवर, कहां से इसका समायोजन होगा यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस प्रकार यदि हम इस विधेयक को देखें तो इसमें कई कमियां

दिखती हैं। मान्यवर, यदि यह विधेयक सदन की स्थाई समिति द्वारा बनकर आया होता तो हम इसे सर्वसम्मति से पास कराते, क्योंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसे हम पारित कराते। चूंकि सदन की स्थाई समिति के माध्यम से यह विधेयक बनकर नहीं आया है, इसे जल्दबाजी में बनाया गया है। इस कारण इसमें कई कमियां रह गई हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि संवैधानिक संकट है। मान्यवर, अभी सदन चल रहा है। इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय अभी इसके निरसन का समय नहीं आया है, विधेयक में निरसन का प्रावधान होता है। यह अध्यादेश अभी भी एगजिस्ट कर रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे सदाशयता का परिचय दें और हमारी मांग है कि इस विधेयक को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस विधेयक पर जिस पर माननीय प्रकाश पंत जी ने भी अपने विचार दिये। हमारी मंशा यह है कि इसे एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। उत्तरांचल के अन्दर तकनीकी और प्राविधिक शिक्षा का बहुत स्कोप है। जो यह विधेयक है, यह बहुत जरूरी है लेकिन इस पर जो अध्यादेश लाया गया वह बहुत जल्दी में लाया गया और आज वह यहां पर बिल के रूप में आ गया। मान्यवर, मैं जब इसको पढ़ रहा था तो इसमें एक बात सामने आई कि इसमें कहीं न कहीं इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं इसको बिन्दुवार रखूंगा।

मान्यवर, इसकी धारा 4 में दूसरा बिन्दु कहता है कि "उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा।" मान्यवर, होना यह चाहिए कि राज्य सरकार जिस व्यक्ति को मनोनीत करने जा रही है क्या वह तकनीकी शिक्षा का कुछ ज्ञान रखता है? किस स्तर के व्यक्ति को यहां पर रखा जायेगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख इसमें नहीं है। इसी प्रकार से इसका बारहवां खण्ड कहता है कि "परिषद् से सम्बद्ध एवं राजकीय संस्थानों के प्रधानाचार्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रधानाचार्य।" लेकिन इसकी योग्यता और इसका मानक क्या होगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसकी धारा 8 में सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और सहायक सचिव तक का तो स्पष्ट उल्लेख है कि यह खुले चयन के आधार पर किये जायेंगे और उत्तरांचल में कार्यरत समान पदक्रम और समकक्ष वेतनमान के अधिकारियों को स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त कर सकेंगे और ऐसे अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा विहित होंगे।

लेकिन मान्यवर, इसमें वित्त नियंत्रक एवं लेखाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में लिखा है कि इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी तथा यह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो नियमों के अधीन विहित किये जायें अथवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों। इसको पूरा ही घुमा दिया गया है, कहीं न कहीं इसमें राजनीतिकरण किया जा रहा है। मान्यवर, संस्थानों की सम्बद्धता की आवश्यकता है, धारा 9 में इसका उल्लेख है। मेरा अपना मानना है कि पूरे उत्तरांचल

राज्य के अन्दर अनेकों आई0टी0आई0 और पॉलिटैक्निक ऐसे हैं जो निजी क्षेत्रों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं, उनकी बाढ़ आज प्रदेश में आयी हुई है। लेकिन ऐसे विद्यालयों अथवा संस्थानों की सम्बद्धता के लिए क्या मानक होंगे? इसी धारा में मान्यवर, कहा गया है कि परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं मानकों को पूर्ण करने वाली संस्थाओं के लिए परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त करनी अनिवार्य है, तो मान्यवर, यह मानक क्या होंगे, इन्हें स्पष्ट होना चाहिए था।

मान्यवर, इसी में कहा गया है, सम्बद्ध संस्थानों के भवन और उपकरणों के मानक निर्धारित करना, यह सब परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य हैं। लेकिन भवनों और उपकरणों का मानक क्या होगा, कैसे तय होगा, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। मान्यवर, इसी प्रकार से प्रवेश परीक्षा की बात है। तो प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, परीक्षा कैसे ली जायेगी, प्रवेश परीक्षा का मानक क्या होगा, प्रवेश परीक्षा का शुल्क आदि, इन सब चीजों का स्पष्ट उल्लेख इसमें नहीं है। मान्यवर, यह विधेयक एक तरह से अस्पष्ट और भ्रामक है।

मान्यवर, इस प्रकार छात्रों के प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता की बात है। आखिर कम से कम शैक्षिक योग्यता तो निर्धारित करनी ही चाहिए थी। किस कक्षा तक के छात्र को किस–किस क्षेत्र में एडमीशन देना चाहते हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख इसमें होना चाहिए था। मान्यवर, प्रवेश परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, प्राइवेट सेक्टरों में जितने प्रवेश लिये जाते हैं, उनमें मनमाना शुल्क लिया जाता है। इसी प्रकार धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड "क" में उल्लेख है कि "परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट मापदण्डों एवं मानकों को पूर्ण न करने वाली संस्था की सम्बद्धता निरस्त की जायेगी।" यह सम्बद्धता किस समय निरस्त की जायेगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह प्रवेश परीक्षा के समय करेंगे या अन्य परीक्षाओं के समय। अमूमन होता यह है कि आई0आई0टी0 की परीक्षा के समय मान्यता समाप्त कर देते हैं। इससे वर्ष भर पढ़ने वाले छात्रों का साल खराब होता है और उसका असर उन्हें मिलने वाली डिग्रियों पर भी पड़ता है। इसका उल्लेख होना चाहिए था कि संस्था को किस समय और किस आधार पर निरस्त करेंगे। "किसी भी परीक्षा को निरस्त करना अथवा किसी भी छात्र अथवा सम्पूर्ण संस्था का परीक्षाफल रोके रखना" किसी परीक्षा को किसी विषय पर रोक देने से मुझे आशंका है कि अनेकों छात्र, जो उस विषय में प्रवेश ले रहे होंगे, उनकी क्षति होगी।

मान्यवर, प्राइवेट सेक्टरों को नियम कानूनों के दायरे में लाना चाहिए लेकिन कम से कम प्रवेश परीक्षा रोकने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। मान्यवर, धारा 10 (क) में उल्लिखित है कि "परिषद् द्वारा किये गये अथवा संचालित किसी कार्य अथवा किसी विषय के सम्बन्ध में जिसका परिषद् से सम्बन्ध हो, राज्य सरकार परिषद् में अपना मत व्यक्त कर सकती है।" यह ठीक है, राज्य सरकार को अपना मत देने का अधिकार है लेकिन राज्य सरकार को अपना मत थोपने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, धारा 11 (ख) में कहा गया है–"धारा 10 की उपधारा (ख) व (ग) के अधीन अध्यक्ष द्वारा तत्काल लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही अथवा पारित आदेश अन्तिम होंगे तथा उन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी और वह अध्यक्ष अथवा परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन पारित आदेश पर अधिभावी होंगे।" मान्यवर, इसका आशय यह है कि जो परिषद् है, आपने इस परिषद् का गठन किया, इसमें 19 लोगों को नामित भी किया और आपने उनमें राज्य सरकार का दबाव भी बना

दिया और उसके बाद कह दिया कि राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसको हटाया जाना चाहिए। राज्य सरकार इस पूरे विषय को अपने अधीन क्यों लेना चाहती है? इस विधेयक में यह बिन्दु कि उन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, यह बिन्दु हटाया जाना चाहिए। मान्यवर, धारा 14 में उल्लिखित है–"परिषद् विभिन्न समितियों जैसे पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा समिति, निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति, प्रवेश समिति एवं अन्य कोई समिति, जिसको नियमों द्वारा विहित किया जाय, गठित करेगा। राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर सचिव/संयुक्त सचिव प्रवेश परीक्षा समिति का पदेन अभिहित निदेशक होगा।" लेकिन बाकी समितियों के सम्बन्ध में इसमें कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। धारा 14 की उपधारा (3) में उल्लेख है कि "उपधारा (1) के अधीन गठित समितियों के ऐसे सदस्य एवं अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें प्रत्येक मामले में परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।" मान्यवर, किस स्तर के व्यक्ति इसके अन्तर्गत लिए जायेंगे, इसका कोई उल्लेख इस विधेयक में नहीं है। मान्यवर, परिषद् के नियम बनाने की शक्तियों का विषय है। वह ठीक है परिषद् की नियमावली बनेगी तथा उस नियमावली का पालन कड़ाई से हो, इस पर राज्य सरकार की भी दृष्टि रहेगी, परिषद् की भी दृष्टि रहेगी। लेकिन मान्यवर, इसमें विभागों का सृजन, उद्विकास एवं पुनर्गठन, डिप्लोमा प्रदान करने की प्रक्रिया तथा छात्रवृत्तियां प्रदान करने से सम्बन्धित अन्य बहुत से बिन्दु हैं जिनका इस विधेयक में उल्लेख नहीं है, जिससे इस विधेयक की प्रमाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विधेयक पर गम्भीरता से विचार किया जाय, इसके लिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और इसके उपरान्त यह सदन में आये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी ने उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की जो बात कही है, उस पर बल देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी ने अभी इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को स्पष्ट किया। 2480 छात्रों के जीवन का सवाल है। लेकिन मान्यवर, यह विधेयक इतनी जल्दी में लाया गया कि इसमें बहुत सारी खामियाँ हैं। मान्यवर, 24 लाख रुपये बचाने के चक्कर में यह विधेयक इतनी जल्दी लाया गया जो कि उचित नहीं है। मान्यवर, इस विधेयक की धारा 10 की उपधारा (ख) व (ग) के अधीन अध्यक्ष द्वारा तत्काल लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही अथवा आदेश अन्तिम होंगे तथा उन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। सारी शक्तियाँ राज्य सरकार में निहित कर दी गयी। मान्यवर, एक तरफ इस विधेयक में अध्यक्ष को इतने अधिकार प्राप्त हैं कि उसकी संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी। अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे, राज्य सरकार जब चाहें उसका विरोध कर सकती है। कोर्ट में इसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता। माननीय अध्यक्ष जी, श्री प्रकाश पंत जी द्वारा तथा महेश भट्ट द्वारा इसमें इतनी खामियां गिनाई गई कि इसे इतनी जल्दी बाजी में नहीं लाना चाहिए था। जिस प्रकार से भू–अध्यादेश को प्रवर समिति को सौंप दिया गया, उसी प्रकार से इस विधेयक को भी प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिए। मान्यवर, यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ विधेयक है। 24 लाख रुपये बचाने के लिए कहीं छात्रों का भविष्य बर्बाद न करें। यह विधेयक बिना खामियों के सदन में आना चाहिए। इस वर्ष की परीक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा पुनः ले ली जाय। उत्तर प्रदेश परीक्षा कराने को तैयार भी है

किन्तु यह विधेयक पूर्ण होना आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रकाश पंत जी द्वारा प्रवर समिति को सुपुर्द करने की बात पर बल देता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय प्रकाश पंत जी द्वारा रखे गये अननुमोदन प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को विधेयक लाने के लिए बधाई देना चाहता हूँ, परन्तु यह विधेयक जल्दी में लाये। विधेयक सरकार को लाने भी चाहिए। उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार कानून बनने चाहिए, क्योंकि राज्य की परिकल्पना इसीलिए की गयी थी। मान्यवर, आज जितने भी विधेयक आ रहे हैं, वे उत्तर प्रदेश की कापी हो रहे हैं, सिर्फ शब्दों का हेरफेर हो रहा है। मान्यवर, सरकार शासकीय निकाय यहां बनाने जा रहे हैं, उसमें 20 या 22 लोग रखे गये हैं और इसमें निदेशक बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा को भी रखा गया है। यह क्या काम करेंगे? मान्यवर, मैं मांग करता हूँ जब आपने इसमें नॉन–तकनीकी लोगों को रखा है तो इसमें कम से कम दो जनप्रतिनिधि भी रखे जायं, ये चाहे आपकी सरकार के ही हों, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्र उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, मुनस्यारी आदि की समस्या इसमें आ जाय। दूसरा निवेदन है कि इसमें महिला प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया जाय, जोकि उत्तरांचल की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ हैं। केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही महिला सशक्तिकरण योजना इसीलिए असफल हो रही है। अतः मेरा अनुरोध है कि इसमें एक महिला को सम्मिलित करना अनिवार्य है। मान्यवर, भू–अध्यादेश को प्रवर समिति को सौंपकर जिस तरह की उदारता का परिचय दिया गया। मान्यवर, मैं चाहता हूँ ठीक उसी तरह से इसको भी प्रवर समिति को सौंपा जाय, ताकि इसमें जो कमियां रह गयी हैं, वे दूर हो जायें। मान्यवर, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी, अब हम उठते हैं। अपरान्ह 3.00 (तीन) बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, निश्चित रूप से प्रौद्योगिक शिक्षा का अलग से सम्मिलित कानून बनाना आवश्यक था। मान्यवर, मैं अधिक नहीं कहूंगी, क्योंकि पूर्व में इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। मान्यवर, उत्तरांचल अलग राज्य के गठन के विषय में जो भाव थे वह इस राज्य को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ने का भी था। मान्यवर, व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से हम गरीब जनता को व्यवसाय से जोड़ सकते थे, लेकिन मुझे इस विधेयक को पढ़ने से लगा कि उत्तर प्रदेश के हिसाब से ही इसको बनाया गया है। पूर्व में जो विधि बनाई गई थी उन्हीं को इसमें रखा गया है। मान्यवर, तॉबे का व्यवसाय, गागर का व्यवसाय पर्वतीय क्षेत्र का पारम्परिक व्यवसाय है, जो यहां के लोगों द्वारा किया जाता है और इसको बढ़ावा देने के लिए इस पर विचार किया जाना चाहिए था और इसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए था। मान्यवर, इसके अलावा हमारे पर्वतीय क्षेत्र में कताई, बुनाई, कालीन बनाने का व्यवसाय है, यहां के चुटके, थुलमे प्रसिद्ध हैं। मान्यवर, इसको बनाने के लिए व्यवसायिक

शिक्षा में रखा जाना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। मान्यवर, महिलाओं के लिए कताई, बुनाई, सिलाई और भी अनेक प्रकार के व्यवसाय हैं जो हम इस उत्तरांचल की पर्वतीय जनता के लिए कर सकते थे, वह भी समायोजित नहीं किये गये हैं, इसलिए मेरा कहना है कि इस विधि को बहुत सोच विचार कर पर्वतीय क्षेत्र के अनुसार, इस उत्तरांचल की जनता की भावनाओं के अनुसार बनाना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से व्यवसायिक शिक्षा यहां रोजगार देने के लिए कारगर सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए इसको प्रवर समिति को सौंपा जाय और सोच समझकर विधि बनायें, यही मैं अनुरोध करूंगी। मान्यवर, और भी कई खामियां हैं। मान्यवर, इस समिति में महिला सदस्य को रखा जाय जिससे कि महिलाओं के अनुरूप किस तरह की व्यवसायिक शिक्षा होनी चाहिए, यह सुझाव दे सकें।

मान्यवर, इसमें कहा गया है कि प्रशिक्षित उद्योगपतियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कर एक प्रतिनिधि रखा जायेगा। मान्यवर, यदि किसी पारम्परिक व्यवसाय को, क्योंकि यहां पर बड़े उद्योगपति बहुत कम हैं और किसी पारम्परिक उद्योगपति को सदस्य नामित किया जायेगा तो उचित होगा। मैं अधिक न कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं और आपसे अनुरोध करती हूं कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंपकर सोच-विचार करके बनाया जाय।

श्री प्रीतम सिंह पंवार-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक सदन के पटल पर जो सरकार के द्वारा रखा गया, जहां तक छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए विधेयक लाने का उद्देश्य बताया गया है, मैं समझता हूं कि इस भावना से पूरा सदन सहमत होगा। विधेयक में कोई कमी न रह जाय, इसके लिए इसमें व्यापक चर्चा किये जाने की आवश्यकता है। जिसके लिए इसको सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, इसमें जो कमियां हैं, वर्ष 1999-2000 में उत्तरकाशी, द्वाराहाट आदि पॉलिटैक्निक कॉलेजों में फार्मेसी ट्रेड से कुछ छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त है, लेकिन फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा इन्हें अभी मान्यता नहीं दी गयी है, जिससे इन डिप्लोमाधारी छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है, इस विधेयक में उनके भविष्य को किस तरह से सुरक्षित किया जाय, भविष्य के लिए क्या प्रावधान किये जाने चाहिए, इस विधेयक में उसका भी उल्लेख होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अपने उत्तर भाषण में भी इसका उल्लेख करने का कष्ट करें, धन्यवाद।

श्री हीरा सिंह बिष्ट-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका आभारी हूं कि आपने हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, लेकिन जैसी मैं अपेक्षा कर रहा था कि इसमें उपयुक्त संशोधन होंगे, किन्तु मैं समझता हूं कि किसी ने इसे ठीक से नहीं पढ़ा और जहां नजर पड़ी वहां टिक कर दिया।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, इसका मतलब है कि आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि इसमें कमियां हैं।

(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, यदि आप आज्ञा दें तो मैं दो शब्द कह दूं। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आप एक शुद्ध विधेयक लायें और वास्तव में आप प्रथम मंत्री हैं जिन्होंने 2 संस्थाओं को मिलाकर एक संस्था बनाकर वित्तीय बोझ को कम किया है, आप बधाई के पात्र हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो हमारे विभाग हैं, उन विभागों का भी पुनर्गठन होना चाहिए। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण बिन्दु है मुझे खुशी तब होती जब यह व्यवस्था करते कि जो डिप्लोमाधारी बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की इसमें कोई व्यवस्था करते।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं श्री कण्डारी जी, भट्ट जी और श्री पंत जी का आभार व्यक्त करता हूं, प्रतिपक्ष ने इसकी खुले शब्दों में सराहना की है। मान्यवर, क्योंकि यह हमारे नवगठित राज्य में लम्बित था, इसलिए इसे लाने की आवश्यकता पड़ी। माननीय कौशिक जी ने बात उठायी कि 24 लाख उत्तर प्रदेश को दे देते तो क्या बिगड़ जाता। मान्यवर, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब पिछले वर्ष उ० प्र० ने परीक्षा ले ली और काउन्सिलिंग के लिए 24 लाख के अतिरिक्त और मांग की। इस स्थिति से उबरने के लिए हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत की कि अगली परीक्षा हमारा बोर्ड करेगा। निश्चित रूप से इसका बहुत अच्छा परिणाम भी आयेगा। जो आपत्ति हमारे साथियों ने उठायी है, मैं आपको जानकारी दे दूं, हरिद्वार की जनता के हित में इसका हेड क्वार्टर हम रुड़की बना रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) हमारे साथियों ने दो बातें कही इनमें विरोधाभास है, एक तो कहा कि परदे के पीछे से राजनीतिक षडयंत्र करके इसमें नियुक्तियां की जा रही हैं, दूसरा इसमें दो विधायक नौमिनेट होने चाहिए। मैं सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इस बोर्ड में राजनीतिक लोगों की नियुक्ति नहीं होती है। इसमें एक्सपर्ट लोगों को लिया जाता है, जैसे आई०आई०टी०, पॉलिटेक्निक आदि। हमने जो परिषद् का ढांचा बनाया है वह अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए बनाया। हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें उठायी इसमें अध्यक्ष को बहुत सीमित अधिकार दिये गये हैं।

मान्यवर, संशोधन कर सकते हैं, वैसे तो रिट कोई भी कर सकता है और कोर्ट जा सकता है। उप सचिव की प्रक्रिया का निर्धारण नियम 16 के अधीन किया गया है। जैसा कि उद्योग के विशेषज्ञ की बात आपने कही है तो इसको रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल आधुनिक शिक्षा की जरूरत है जो उद्योगों के लिए जरूरी है। बहुत से उद्योगपति यह हमसे पूछते भी हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में होटल मैनेजमेण्ट है यह उद्योग से ही संबंधित है। जैसे अभी हाल में हम सहसपुर के दौरे पर गये थे वहां हमें मुस्लिम महिलायें मिली जिन्होंने पॉलिटैक्निक के माध्यम से ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया। हमने उनसे पूछा कि इससे आपकी आय होती है तो उन्होंने कहा कि शादी–ब्याह में लोग घरों से बुलाने के लिए आते हैं और 1000 रु० एक शादी में पा जाते हैं। इससे महिलाओं में जागृति आती है और वे अपने पैरों पर खड़ी होती हैं। मान्यवर, जो वित्त नियंत्रक की बात कही गयी तो मान्यवर, वित्त नियंत्रक लोक सेवा आयोग द्वारा आयेगा। ऐसा नहीं है

कि किसी को ले लें। बिल्कुल नियम कानून से काम होगा और वही होगा जो वित्त का एक्सपर्ट हो और लोक सेवा आयोग के जरिये हो। डिप्लोमा के बारे में इसके अधिक अवसर हैं जिसके बारे में हमने बता दिया है। मान्यवर, यह जो सारी आपत्तियां उठायी गयी उसके बारे मे मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। सारी बातें, सारी चीजें नियम के अन्तर्गत होगी और विशिष्ट क्षेत्र के ज्ञाता को ही लिया जायेगा। अभी हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने फीस के बारे में जानकारी लेनी चाही थी। पहले इंजीनियरिंग की फीस रु0 68,000 थी लेकिन अब रु0 42,000 है। फ्री सीट और पेमेंट सीट को खत्म कर दिया गया है। मान्यवर, सरकारी पॉलिटेक्निक में रु0 7,000 व प्राइवेट पॉलिटेक्निक में रु0 9,000 फीस ली जा रही है। यह पहले से ही निर्धारित है। मान्यवर, मैं किसी पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता हूं, अगर आवश्यकता पड़ी तो खर्चे में बढ़ोत्तरी के लिए तो समय-समय पर वृद्धि करेंगे। हमारे माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार जी ने फार्मेसी के बारे में कहा कि उत्तरकाशी और अल्मोड़ा के बच्चों को इसके प्रमाण-पत्र नहीं दिये जा रहे हैं। मान्यवर, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में यह समस्या थी क्योंकि ये कॉलेज मानक के अनुरूप नहीं थे इसलिए ए0आई0सी0टी0 ने इसको बन्द कर दिया था लेकिन हमने वहां पर अपने अपर सचिव को भेजा था। सन् 1999 वालों को प्रमाण-पत्र दे दिया गया और सन् 2000 वाले छात्रों को निश्चित रूप से प्रमाण-पत्र मिल जायेगा। अब उसको ठीक कर दिया है और मानक के अनुरूप है। यह समस्या समाप्त हो चुकी है। मान्यवर, हमारे विपक्ष के सदस्य विशाल ह्रदय के हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, कार्यकाल के बारे में स्पष्ट कर दें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का रखा गया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, उपबन्ध की धारा 4 के पार्ट 3 को भी स्पष्ट कर दें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इसका तात्पर्य 3 वर्ष से ही है। इसका अन्यथा प्रयोजन न लें।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे इग्नोर कर दिया। मैंने निवेदन किया था कि बजट की आपने बचत की इसके लिए मैंने आपको बधाई दी, आप अच्छा विधेयक लाये इसके लिए मैंने बधाई दी। कितना अच्छा होता कि आप मेरी बात पर गौर करते। मैंने कहा था कि यदि सरकार अच्छा काम करेगी तो हम सरकार को सहयोग देंगे। मान्यवर, मैं तो चाहूंगा कि कृषि, उद्यान और पशुपालन को मिलाकर एक विभाग बना दिया जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, यदि आप हमारी पीड़ा को महसूस करते हैं तो आप इस विधेयक को बनाने के साथ इतना और जोड़ दीजिए कि जो डिप्लोमाधारी उत्तरांचल में बेरोजगार हैं, उनको हम रोजगार देंगे। आपकी सरकार ने कहा है कि 2 लाख

लोगों को हम रोजगार देंगे। यदि 2 लाख डिप्लोमाधारी उत्तरांचल में न मिले तो इधर–उधर के लोगों को लेकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करा दें तो कितना अच्छा होगा।

(व्यवधान)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने हमारा मनोबल बढ़ाया। इसके लिए मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का आभारी हूँ, लेकिन उन्होंने हमारी थोड़ी टांग खिचाई भी की। (व्यवधान) मान्यवर, निश्चित रूप से हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि बेरोजगार डिप्लोमाधारियों को रोजगार मिले। इसके लिए जो स्थान रिक्त हैं उनको भरने की प्रक्रिया चल रही है। मान्यवर, इसी तरह से हमने आई0टी0आई0 में नियमित भर्ती करने के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें लगभग 300 लोगों को स्थाई रोजगार प्राप्त होना था। इन नियुक्तियों के विरुद्ध कुछ अंशकालिक कर्मचारी हाईकोर्ट से स्टे ले आये थे। जिसमें से 4 लोगों का स्टे समाप्त हो गया है, 2 लोगों को स्टे समाप्त होना शेष है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उसे भी समाप्त कर दिया जाय। इसके बाद ही हम नियमित नियुक्ति करेंगे। मान्यवर, डिप्लोमाधारियों को रोजगार लोक सेवा आयोग के द्वारा मिलता है अर्थात् लोक सेवा आयोग इनका सलेक्शन करता है। हमने लोक सेवा आयोग को भी पत्र लिखा है कि इनकी भर्ती में जल्दी की जाय। यदि लोक सेवा आयोग इनकी भर्ती में अधिक विलम्ब करता है तो हम दूसरी व्यवस्था पर भी विचार कर सकते हैं। मान्यवर, जहां तक 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है, हमारी सरकार को बने हुए 2 वर्ष होने जा रहे हैं। रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में भारत सरकार के जो मानक हैं, उसके अनुसार 2 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्व–रोजगार योजना आदि के माध्यम से 2 माह पूर्व ही प्राप्त कर चुके हैं।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दो महीने अभी हमारे शेष हैं। 2 साल होने में उसमें हम इस लक्ष्य से अधिक पूरा कर लेंगे। मैं माननीय प्रकाश पंत जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस सुन्दर से विधेयक को पारित करने में सहयोग करें। धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि उत्तरांचल राज्य में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आई0टी0आई0 या पॉलिटैक्निक किया है परन्तु उनमें से बहुत आज ओवर ऐज हो रहे हैं, आपके पास वैकेंसी नहीं हैं तो क्या सरकार आयु सीमा में छूट प्रदान करने पर विचार करेगी?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, यह तो नीतिगत प्रश्न है, वैसे भी हमारे यहां 35 वर्ष की आयु का प्रावधान चल रहा है और यह आयु सीमा में छूट पूरे भारत में नहीं है, यह सिर्फ हमारे यहां मिल रही है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, इन्होंने तो 40 वर्ष की आयु घटाकर 35 वर्ष कर दी है।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जिस संकल्प पर मैंने और हमारे कई प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, चूंकि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कह दिया और जो विषय उठाये गये थे उन्हें तो वे पूर्ण सन्तुष्ट नहीं कर पाये। इस विधेयक में अनेक त्रुटियां हैं और मैंने जिस त्रुटि की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था कि सदस्यों के कार्यकाल के बारे में इस विधेयक में दो जगह अलग–अलग बातें कहीं गई हैं।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को इस सदन की प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, यह अति आवश्यक है। क्योंकि एक ऐसा विधेयक जोकि आगे उत्तरांचल राज्य में तकनीकी शिक्षा में अपनी भागीदारी देगा, उसी में यदि त्रुटि हो, तो यह उचित नहीं है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं माननीय पंत जी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कमेटी का सदस्य अलग है और बोर्ड का सदस्य अलग है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद्

विधेयक, 2003

(विधेयक सं० वर्ष 2003)

उत्तरांचल राज्य में प्राविधिक शिक्षा परिषद् की स्थापना करने और उसका गठन करने एवं उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने हेतु यह

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा अधिनियमित :–

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विचार

(1) यह अधिनियम "उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2003" कहा जायेगा।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

2. परिभाषाएं :

जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(क) "प्राविधिक शिक्षा" का तात्पर्य तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा से है, जो विभिन्न तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है तथा जिसके लिए डिप्लोमा स्तर (2 से 3 वर्ष), स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर तक (3 से 4 वर्ष) की अवधि के विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे सिविल, विद्युत, यांत्रिक, रासायनिक अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणन (इन्सट्रूमेन्टेशन), सूचना प्रौद्योगिकी, वास्तुविद्या (आर्किटैक्चर), कम्प्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भेषजी, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इन्टीरियर डिजाइन एवं डेकोरेशन, कार्यालय प्रबन्धन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित एवं उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त अन्य विविध व्यावसायिक तथा अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है;

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् से है;

(ख–1) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;

(ग) "केन्द्र" का तात्पर्य ऐसी संस्था या स्थान से है जिसे परीक्षाओं के संचालन हेतु परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। इसमें इससे सम्बद्ध अथवा संलग्न परिसर भी सम्मिलित हैं;

(घ) "सम्बद्ध संस्था" का तात्पर्य किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों (स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम से भिन्न) के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार परिषद् से सम्बद्ध किसी सरकारी, शासकीय सहायता प्राप्त अथवा निजी क्षेत्र की स्ववित्त पोषित संस्था से है;

(च) "प्रमाण–पत्र" से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसे पाठ्यक्रमों को जिन्हें नियमों अथवा विनियमों द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए, किसी सम्बद्ध संस्था से सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त परिषद् द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र से है;

(छ) "डिप्लोमा" से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसे पाठ्यक्रम, जिन्हें नियमों एवं विनियमों द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए, किसी सम्बद्ध संस्था से सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त आरम्भिक डिप्लोमा, एडवान्स डिप्लोमा,

हायर डिप्लोमा, इण्टरमीडिएट डिप्लोमा अथवा उत्तर (पोस्ट) डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने पर परिषद् द्वारा दिये जाने वाले डिप्लोमा से है;

(ज) "अध्यक्ष" का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियुक्त परिषद् के अध्यक्ष से है;

(झ) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के उपाध्यक्ष से है;

(ट) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल सरकार से है;

(ठ) "सचिव" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के सचिव से है;

(ड) सम्बद्ध संस्था के सम्बन्ध में "प्रबन्धन या प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य उस प्रबन्ध समिति अथवा शासी निकाय से है, जो उस संस्था के कार्यों का संचालन करती है;

(ढ) "विनियम" का तात्पर्य परिषद् द्वारा अनुमोदित इस अधिनियम के अधीन बनाये गये उप नियमों से है;

(त) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 15 से 18 तक के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से है;

(थ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;

(द) "सदस्य" का तात्पर्य परिषद् के सदस्य से है जिसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं।

3. परिषद् की स्थापना :

राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद् की स्थापना करेगी जिसका नाम उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् होगा और इस तथ्य के होते हुए भी कि सदस्यों के एक या उससे अधिक स्थान अभी भरे जाने हैं, ऐसी अधिसूचना इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय की जा सकती है।

4. परिषद् एवं शासी निकाय की संरचना :

(i) अध्यक्ष: प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन, परिषद् के अध्यक्ष (पदेन) होंगे। अध्यक्ष की ऐसी शक्तियां होंगी जैसा कि इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों द्वारा उन्हें प्रदान की जाय;

(ii) उपाध्यक्ष: अध्यक्ष की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा;

(iii) राज्य सरकार के उद्योग, वित्त, कार्मिक तथा योजना विभाग में से प्रत्येक का एक–एक प्रतिनिधि;

(iv) मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि जो प्राविधिक शिक्षा का कार्य सम्पादित कर रहा हो;

(v) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक प्रतिनिधि;

(vi) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की का एक प्रतिनिधि (जो आचार्य/सहायक आचार्य/सहायक आचार्य स्तर से कम का न हो);

(vii) उत्तरांचल सरकार के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों से, जिनमें अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी विषयों के पाठ्यक्रम सम्मिलित हों, प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि;

(viii) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग;

(ix) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग;

(x) मुख्य अभियन्ता, जल निगम;

(xi) प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन;

(xii) परिषद् से सम्बद्ध एवं राजकीय संस्थानों के प्रधानाचार्यों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रधानाचार्य;

(xiii) निदेशक, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उत्तरांचल;

(xiv) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग, उत्तरांचल;

(xv) उद्योग निदेशक, उत्तरांचल;

(xvi) प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि;

(xvii) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल;

(xviii) उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् के सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे;

(xix) उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् का कार्यालय, रुड़की (हरिद्वार) में स्थित होगा।

5. विशेषज्ञों का सहयोजन :

परिषद्, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की, स्नातक स्तर के इंजीनियरी महाविद्यालयों तथा उद्योग के सुसंगत क्षेत्रों के विशेषज्ञों में से अनधिक तीन ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगी, जो उसके द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रमों के विषयों के विशेषज्ञ होंगे। सहयोजित व्यक्तियों के नाम और प्रत्येक की सहयोजित अवधि गजट में अधिसूचित की जायेगी।

6. सदस्यों का कार्यकाल :

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

7. परिषद् की बैठक :

परिषद्, की बैठक ऐसे स्थान और समय पर निर्धारित की जायेगी, जैसाकि परिषद् के अध्यक्ष निर्देशित करेंगे। यह बैठक वर्ष में न्यूनतम दो बार अवश्य होगी। वर्ष के अन्त में परिषद् की एक वार्षिक साधारण बैठक भी होगी। आपात स्थिति में अध्यक्ष अल्प सूचना पर परिषद् की बैठक बुला सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं।

8. परिषद् के अधिकारी :

परिषद्, के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

(क) सचिव;

(ख) संयुक्त सचिव;

(ग) उप सचिव;

(घ) सहायक सचिव;

(च) वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी।

राज्य सरकार, प्रस्तर 8 के (क) से (घ) में उल्लिखित पदों पर किसी उपयुक्त अभ्यर्थी को प्राविधिक शिक्षा विभाग के बाहर से खुले चयन के आधार पर अथवा प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तरांचल में कार्यरत समान पदक्रम और समकक्ष वेतनमान के अधिकारियों को स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त कर सकेगी तथा ऐसे अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा विहित होंगे।

वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो नियमों के अधीन विहित किये जायं अथवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।

9. परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य :

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद् के निम्नलिखित कृत्य एवं कर्तव्य होंगे :–

(क) संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करना, पाठ्यक्रमों का निर्धारण, मुख्य परीक्षा का संचालन तथा निम्न कक्षाओं से उच्चतर कक्षाओं के पाठ्यक्रम के उन्नयन हेतु निर्देश देना,

(ख) परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं मानकों को पूर्ण करने वाली संस्थाओं के लिए परीक्षाओं तथा डिप्लोमा/उपाधियां प्रदान करने के प्रयोजन के लिए परिषद् की सम्बद्धता प्राप्त करनी अनिवार्य है। तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं का निरीक्षण तथा उनके पंजीकरण की व्यवस्था एवं उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करना;

(ग) सम्बद्ध संस्थाओं के भवन एवं उपकरणों के मानक निर्धारित करना;

(घ) सम्बद्ध संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया विहित करना;

(च) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा (परीक्षाओं) में छात्रों को सम्मिलित होने के लिये अनुमति प्रदान करना;

(छ) प्रवेश परीक्षा एवं सामान्य परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करना तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) के मानकों के अनुसार डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र प्रदान करना;

(ज) तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास हेतु इस अधिनियम के अधीन उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार को परामर्श देना;

(झ) प्रवेश परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं हेतु शुल्क निर्धारण तथा नियमानुसार लेखा एवं खातों का रख-रखाव;

(ट) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों / निर्देशों का अनुपालन;

(ठ) अंशदान, भारत सरकार तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) की विभिन्न योजनाओं से प्राप्त अनुदान आदि प्राप्त करना;

(ड) ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रदान किये जायें।

(ढ) (i) इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अन्तर्गत परिषद् को समस्त ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो कृत्यों के निर्वहन और कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हों।

(ii) पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् को विशेष रूप से निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी :-

(क) परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट मापदण्डों एवं मानकों को पूर्ण न करने वाली संस्था की सम्बद्धता निरस्त करना;

(ख) किसी भी परीक्षा को निरस्त करना अथवा किसी भी छात्र अथवा सम्पूर्ण संस्था का परीक्षाफल रोके रखना और किसी भी छात्र को भविष्य में परिषद् की किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति न देना, यदि वह निम्न प्रकार से दोषी पाया जाता है :-

* परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग किया गया हो;
* संस्था में प्रवेश एवं परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन-पत्र में गलत विवरण दिया गया हो अथवा सारवान सूचना या तथ्यों को छुपाया गया हो;
* परीक्षा में कपटपूर्ण व्यवहार अथवा छद्म् व्यक्तिता;
* ऐसी परीक्षा में प्रवेश नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन कर परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करना;
* परीक्षा काल में घोर अनुशासनहीनता।

परन्तु परिषद् की किसी सद्भाविक त्रुटि के कारण परीक्षाफल घोषित होने के 90 दिन के उपरान्त कोई भी परीक्षाफल निरस्त नहीं किया जा सकेगा।

10. राज्य सरकार की शक्तियां :

(क) परिषद् द्वारा किये गये अथवा संचालित किसी कार्य अथवा किसी विषय के संबंध में जिसका परिषद् से सम्बन्ध हो, राज्य सरकार परिषद् में अपना मत व्यक्त कर सकती है। तत्पश्चात् उस सम्बन्ध में परिषद् द्वारा की गयी अथवा प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में परिषद् राज्य सरकार को सूचित करेगी;

(ख) यदि परिषद् युक्ति–युक्त समय सीमा में ऐसी कार्यवाही करने में, जिससे राज्य सरकार का समाधान हो जाय, असफल रहती है, तो राज्य सरकार परिषद् द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण अथवा प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों से सुसंगत निर्देश जारी कर सकती है, ऐसे समस्त कदम उठा सकती है जो वह आवश्यक समझे। परिषद् को विनिर्दिष्ट समय के अन्दर उक्त निर्देशों का अनुपालन करना होगा अन्यथा राज्य सरकार ऐसे सभी कदम उठा सकती है जो वह ऐसे निर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक समझे;

(ग) धारा 10 की उपधारा (क) व (ख) में किसी बात के होते हुए भी किसी भी आपात स्थिति में यदि राज्य सरकार के विचार से तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित है तो वह परिषद् को पहले से निर्दिष्ट किये बिना इस अधिनियम के विशिष्ट उपबन्धों से सुसंगत ऐसे निर्देश जारी कर सकती है या ऐसे अन्य कार्यवाही कर सकती है, जो वह उचित समझे;

(घ) राज्य सरकार की इस अधिनियम के उपबन्ध के अधीन किसी तकनीकी संस्था का, जिसको आरम्भ करने या खोले जाने की राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गयी हो, आवश्यकतानुसार किसी भी समय निरीक्षण करने की शक्ति होगी यदि मान्यता प्राप्त कोई संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए०आई०सी०टी०ई०) द्वारा निर्धारित मापदण्डों अथवा मानकों को पूर्ण नहीं करते और उनके अनुसार कार्य न करती हुई पायी गयी तो राज्य सरकार को अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस लेने की शक्ति होगी।

11. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य :

(क) अध्यक्ष को परिषद् के विनिश्चयों को क्रियान्वित करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाहियां करने का अधिकार होगा और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा विहित किये जायें;

(ख) इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (i) के अधीन गठित समितियों की संस्तुतियों पर अध्यक्ष को ऐसे निर्णय लेने की शक्ति होगी जो कि परिषद् के अधिकार क्षेत्र में हो और जैसा कि वह उचित समझे। अध्यक्ष ऐसे प्रत्येक निर्णय के सम्बन्ध में आगामी वार्षिक साधारण बैठक में परिषद् के शासी निकाय को सूचित करेगा;

(ग) परिषद् इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (ग) के अधीन अध्यक्ष द्वारा धारा 10 की उपधारा (ख) व (ग) के अन्तर्गत पारित आदेशों की पुष्टि कर सकती है और अध्यक्ष द्वारा की गयी कार्यवाही के कारण उत्पन्न प्रकरणों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकती है जो वह समीचीन और आवश्यक समझे;

(घ) धारा 10 की उपधारा (ख) व (ग) के अधीन अध्यक्ष द्वारा तत्काल लिए गये निर्णयों से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही अथवा पारित आदेश अंतिम होंगे तथा उन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी और वह अध्यक्ष अथवा परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन पारित आदेश पर अधिभावी होंगे।

12. उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य :

उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो नियमों द्वारा विहित हों तथा इस धारा के अधीन अध्यक्ष अथवा परिषद् द्वारा प्रतिनिधानित किये जायें।

13. सचिव की शक्तियां और कर्तव्य :

सचिव, परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा एवं अध्यक्ष तथा परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रहते हुए उसके विनिश्चयों के निष्पादन हेतु उत्तरदायी रहेगा, वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा विहित किये जायं, विशेषकर :-

(1) वार्षिक आय-व्यय का लेखा एवं अनुमान तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा,

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि परिषद् को आवंटित समस्त धनराशि का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए ही किया जा रहा है, जिनके लिए वह आवंटित की गई है,

(3) परिषद् के कार्यवृत्तों का ब्योरा रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(4) परिषद् की बैठकों में उपस्थित रहने और कार्यवाही में भाग लेने का हकदार होगा।

14. समितियों एवं उप समितियों का गठन :

(1) परिषद् विभिन्न समितियों जैसे पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा समिति निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति, प्रवेश परीक्षा समिति एवं अन्य कोई समिति जिसको नियमों द्वारा विहित किया जाय, गठित करेगी। परिषद् का सचिव, ऐसी प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा,

(2) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर सचिव/संयुक्त सचिव प्रवेश परीक्षा समिति का पदेन अभिहित निदेशक होगा;

(3) उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन गठित समितियों के ऐसे सदस्य एवं अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें प्रत्येक मामले में परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाय। समिति के सदस्य का कार्यकाल ऐसा होगा जैसा कि नियमावली द्वारा विहित किया जाय,

(4) परिषद् की किसी भी समिति द्वारा ऐसे व्यक्तियों को तथा ऐसी अवधि के लिए सहयोजित किया जा सकता है जैसा कि वह उचित समझे किन्तु ऐसे सहयोजित व्यक्तियों की संख्या समिति की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी;

(5) परिषद् का सहयोजित सदस्य परिषद् के अध्यक्ष से लिखित रूप में अनुरोध कर त्याग-पत्र दे सकता है,

(6) उपधारा (5) के अन्तर्गत त्याग-पत्र देने अथवा किसी अन्य कारण से हुई समिति की आकस्मिक रिक्ति की उपधारा (3) व (4) में विहित रीति से नई नियुक्ति अथवा सहयोजन द्वारा यथास्थिति भरी जायेगी;

(7) इस अधिनियम के अधीन नियुक्ति समिति ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाय तथा ऐसी अवधि के लिए जैसा कि वह उचित समझे, उप समितियों का गठन कर सकेगी।

15. परिषद् के नियम बनाने की शक्तियां :

इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए परिषद् से सम्बद्ध किसी मामले और किसी विषय, विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमों के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी :

(क) परिषद् के कार्यालयों एवं अधिकारियों के कार्य सम्पादन की प्रक्रिया और ऐसी इकाइयों का गठन जिसे इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है;

(ख) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति अथवा भर्ती की, जो भी लागू हो, रीति, चयन प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें एवं उनके कर्तव्य एवं शक्तियां,

(ग) विभागों का सृजन, उद्विकास एवं पुनर्गठन;

(घ) डिप्लोमा प्रदान करने की प्रक्रिया;

(च) छात्रवृत्तिया प्रदान करने से सम्बन्धित प्राविधान,

(छ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया जिसमें स्थानों का आरक्षण भी शामिल है;

(ज) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क;

(झ) अन्य विषय जिन्हें विहित किया जाना है अथवा किया जाय;

(ट) प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था तथा इसके लिये आवश्यक प्राविधान।

16. विनियम बनाने की शक्तियां :

परिषद् को इस अधिनियम के अधीन विनियम बनाने की शक्ति होगी और इस प्रकार बनाये गये विनियम राज्य सरकार को उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक और समीचीन हो।

17. परिषद् इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिये विनियमों का प्राविधान कर सकेगी, अर्थात् :

(क) संस्थाओं में छात्रों का प्रवेश एवं नामांकन;

(ख) डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र एवं अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा केन्द्रों, परीक्षकों, परिनिरीक्षकों, सारणीकारों, प्रश्न-पत्र तैयार करने वालों, अनुसीमकों (मॉडरेटर) आदि की नियुक्ति प्रक्रिया एवं उनके दायित्व;

(घ) डिप्लोमा परीक्षा तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं की परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क;

(छ) सम्बद्ध संस्थाओं के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना;

(छ) उन संस्थाओं एवं उनके संप्रवर्तकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही जिन्हें इन संस्थाओं के संचालन में इस अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए पाया जायेगा;

(ज) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन नियमों में प्राविधान किया जाय;

(झ) परिषद् को केन्द्र अधीक्षकों, परिनिरीक्षकों, परीक्षकों, प्रश्न–पत्र तैयार करने वालों, अनुसीमकों (मॉडरेटर) के पारिश्रमिक, मानदेय की, परिषद् के सदस्यों, विशेषज्ञों तथा अन्य समिति एवं समितियों के सदस्यों, उनके सहयोजित सदस्यों को देय यात्रा–भत्ता एवं दैनिक भत्ते की दर तथा उनके भुगतान करने की रीति निश्चित करने की शक्ति होगी;

(ट) परिषद् किसी भी संस्था में प्रवेश अथवा परीक्षा की तब तक अनुमति नहीं देगी जब तक कि इसका समुचित रूप से निरीक्षण नहीं कर लिया गया हो तथा परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्ति विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुति न की गयी हो और उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्धता प्रदान न की गई हो।

18. राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए परिषद् अतिरिक्त विनियम बना सकेगी या वर्तमान विनियमों को संशोधित या निरस्त कर सकेगी।

19. प्रकीर्ण :

परिषद् के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा निबन्धन समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

20. कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है या किये जाने के लिए आशयित है, परिषद् के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी।

21. परिषद् की निधियां :

(1) (क) परिषद् की एक सामान्य (वैयक्तिक खाता लेखा–पी0एल0ए0) निधि होगी जिसमें निधियां जमा की जा सकेंगी,

(ख) प्रवेश परीक्षा के लिए पृथक सामान्य निधि (लेखा) रखी जायेगी।

(2) परिषद् द्वारा उपरोक्त के अनुसार सामान्य निधियां रखी जायेंगी जिनमें निम्नलिखित निधियां जमा की जायेंगी :–

(क) परीक्षा शुल्क जो परिषद् द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) प्रवेश परीक्षा से प्राप्त समस्त शुल्क;

(ग) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशियां;

(घ) परिषद् द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(च) किसी अन्य निकाय या व्यक्ति द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान, दान अथवा भारत सरकार या अन्य वित्त पोषक एजेंसी से प्राप्त अनुदान;

(3) परिषद् की सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग परिषद् के आवर्तक एवं अनावर्तक मदों पर आने वाले व्यय हेतु किया जायेगा;

(4) प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित सभी व्यय की पूर्ति प्रवेश परीक्षा के लिए अनुरक्षित सामान्य निधि से की जायेगी।

22. आम सभा की वार्षिक बैठक :

परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अन्दर तैयार किया जायेगा तथा शासी निकाय के अनुमोदनार्थ आम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

23. लेखों का अनुरक्षण :

(i) परिषद् के वार्षिक लेखे तथा तुलन–पत्र तैयार किया जायेगा जिसमें समस्त आय और व्यय दर्शाया जायेगा।

(ii) इसी प्रकार समस्त आय–व्यय दर्शाते हुए प्रवेश परीक्षा के पृथक लेखे और तुलन–पत्र तैयार किया जायेगा।

(iii) परिषद् की सामान्य निधि के लेखों की लेखा–परीक्षा लेखा नियमावली के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित रीति से की जायेगी।

(iv) प्रवेश परीक्षा के लेखों की लेखा–परीक्षा प्राधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा की जायेगी।

(v) वार्षिक लेखे, तुलन–पत्र तथा लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन आम सभा की वार्षिक बैठक में शासी निकाय के समक्ष रखे जायेंगे तथा तत्पश्चात् राज्य सरकार को भेजे जायेंगे।

24. कठिनाइयों के निराकरण की शक्तियां :

यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत हों।

25. निरसन और अपवाद :

(1) उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2003 (अध्यादेश संख्या 08 वर्ष, 2003) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 25, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि यह सदन उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है।

*पंचायत मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य निर्माण के बाद उत्तरांचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत यह अधिनियम यहां पर प्रभावी रहा और हमारी सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने उत्तरांचल राज्य में चुनाव कराए और चुनाव के पश्चात् जो परिस्थितियां हमारे समक्ष आयी, उन परिस्थितियों को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि जो अभिलेख पूर्व में सचिव के पास रहते थे, उन अभिलेखों को ग्राम प्रधानों की अभिरक्षा में रखा जाय। इसी के तहत इस अध्यादेश को इस सदन के पटल पर रखा गया है। मान्यवर, धारा 109 (क) में 1999 से पूर्व यह व्यवस्था थी कि यह अभिलेख ग्राम प्रधान की अभिरक्षा में रहेंगे और उसके बाद वर्ष 1999 में 109 (क) में संशोधन करते हुए इन अभिलेखों को सचिव की अभिरक्षा में रखा गया और जब इस सूबे में चुनाव हुए, उसके बाद इस प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह महसूस किया गया कि यह जो अभिलेख हैं, यह पुनः ग्राम प्रधानों की अभिरक्षा में रखे जाने नितान्त आवश्यक हैं। इसी के तहत धारा 109 (क) में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गयी कि जो अभिलेख हैं, उन्हें ग्राम प्रधानों की अभिरक्षा में रखा जाय। इसका दूसरा कारण यह भी था कि राज्य बनने के बाद पुनः परिसीमन हुआ और पुनः परिसीमन के बाद 27,227 ग्राम सभाएं बनीं। उसके बाद जो कर्मी थे, उनकी अत्यधिक कमी होने के कारण तथा हमारे जो सम्मानित प्रधान साथी, जो प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा लगातार यह मांग की गयी कि जो ग्राम पंचायतों के अभिलेख हैं, कर्मियों की कमी की वजह से उन अभिलेखों को ग्राम प्रधान की अभिरक्षा में रखा जाय। इन तमाम बातों को देखते हुए हमारी सरकार ने फैसला लिया और आज इस विधेयक को हमने सदन के पटल पर रखा है। मैं पूरे सम्मानित सदन और खासकर प्रतिपक्ष से अनुरोध करूंगा कि सरकार की भावना और जन भावनाओं को देखते हुए इस विधेयक को पारित करने में हमें सहयोग प्रदान करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, यदि हम इन तीन धाराओं के ऊपर विचार करें तो माननीय मंत्री जी की मंशा इसके पीछे ठीक हो सकती है। क्योंकि इसके पीछे जो भाव प्रकट हो रहे हैं, वह पंचायतों को पूर्ण रूप से अधिकार प्रदान करने की शुरुआत के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। लेकिन श्रीमन्, बहुत ही दुख के साथ इस बात को कहूंगा कि उत्तरांचल राज्य को बने तीन वर्ष हो चुके हैं किन्तु अभी तक हम उत्तरांचल राज्य निर्माण के पश्चात् भी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 को ही उत्तरांचल में प्रभावी समझ रहे हैं और बार–बार केवल धाराओं के रूप में संशोधन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। श्रीमन्, भारत के संविधान अनुच्छेद 40 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि राज्य की विधान सभाएं इसके लिए सक्षम हैं कि वे विधि बनायें तथा संविधान की धारा 243 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि किस प्रकार से पंचायतों की विधियां बनेंगी। मान्यवर, जब मैंने यह सुना कि सरकार पंचायतों के लिए विधि बनाने जा रही है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि सरकार ने एक इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। लेकिन यहां एक लाइन के संशोधन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में हम कर रहे हैं। वह संशोधन यह है कि ग्राम पंचायतों के जो अभिलेख हैं, वह ग्राम प्रधानों की अभिरक्षा में रखे जाएं। आखिर सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय क्यों नहीं दे रही है। पंचायत जैसा महत्वपूर्ण विषय जो उत्तरांचल की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, उत्तरांचल के विकास से जुड़ा हुआ है। कब तक हम उत्तर प्रदेश के विधेयकों को संशोधन के रूप में प्रस्तुत करते रहेंगे। जिस प्रकार धारा 109 (क) पर आपने संशोधन किया कि ग्राम प्रधानों की अभिरक्षा में सभी अभिलेख रखे जाएं। इस सम्बन्ध में मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन अभिलेखों की सुरक्षा के लिए भी कोई प्राविधान कर रही है। क्या सरकार ग्राम प्रधानों को कुछ भत्ता देने के विषय में विचार कर रही है? क्या सरकार ग्राम पंचायतों के कार्यालय स्थापित करने पर विचार कर रही है? मान्यवर, चूंकि 7227 ग्राम सभाओं में 1912 ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। क्या ही, अच्छा होता हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम प्रधान और उसका सचिव नियुक्त होता। सरकार इस सम्बन्ध में दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार शार्ट कट का रास्ता अपनाये हुई है। सरकार को पंचायती राज व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए कोई रास्ता अख्तियार करना चाहिए। केवल एक संशोधन के माध्यम से इस व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इस विधेयक को ही नहीं बल्कि पंचायत से सम्बन्धित जो अन्य दूसरे विधेयक हैं, उन्हें भी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। सरकार को चाहिए कि वह कम से कम पंचायत, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग तथा नगर पालिकाओं के सम्बन्ध में पृथक–पृथक विधि बनाकर के सदन में प्रस्तुत करें तथा सदन में इस पर चर्चा हो, विचार विमर्श हो उसके बाद यहां की जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप उनका निर्माण हो। मैं अपने इस प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी ने जो अननुमोदन का प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी बहुत जानकार हैं, वे भी ब्लाक प्रमुख रहे हैं और मैं भी ब्लाक प्रमुख रहा हूं। माननीय मंत्री जी जिला पंचायत के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। हमारे समय में ग्राम प्रधान हुआ करता था, जो जन-प्रतिनिधि होता था। बड़े खेद की बात है कि यह सरकार जनप्रतिनिधि को सचिव बनाने जा रही है। कितना अच्छा होता आप सचिव की व्यवस्था करते, अधिकांश ग्राम प्रधान ज्यादा पढ़े- लिखे नहीं होते हैं। यह स्थिति जब से महिला आरक्षण हुआ तब से ज्यादा हो गयी है, क्योंकि ग्रामों में महिलाएं ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं होती हैं।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, हमारे यहां महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत ज्यादा है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि ग्राम प्रधान के साथ एक सचिव का होना अनिवार्य है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ये सरकार माननीय विधायकों को भी सचिव न बना दें क्यों कि निचले स्तर से यह प्रक्रिया चलने लगी है। माननीय हीरा सिंह बिष्ट जी ने जो विधेयक रखा है, वह प्रशंसनीय है। मगर इस विधेयक को देखकर ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने इस विधेयक को मंत्री के टेबिल पर रखा और मंत्री जी ने इसे बस कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान्यवर, इस विधेयक को कोई पढ़ेगा, तो हंसी मजाक का विषय होगा।

मान्यवर, हमको सुविवेक से काम करना है और अच्छा विधेयक लाना चाहिए, जो उत्तरांचल के हित में हो।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो संशोधन विधेयक रखा गया है इसमें हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने कुछ शंकाएं भी रखी हैं। मान्यवर, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अलग राज्य बनने के बाद इस प्रदेश में पंचायतों के चुनाव होने चाहिए थे, पर हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने जो कि तब इधर बैठे थे, उन्होंने चुनाव कराने में कोई दिलचस्पी नहीं रखी। जबकि संविधान में है कि हर पांच साल में पंचायतों का चुनाव होना चाहिए, पर ऐसा नहीं किया, पर जब हमको सरकार में आने का सुअवसर इस प्रदेश की जनता ने दिया तो हमारी पहली प्राथमिकता इस बात की थी कि हम पंचायतों के चुनाव सुनिश्चित करें और जब हम चुनाव की प्रक्रिया की ओर जा रहे थे तो उस समय परिसीमन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। हमारी सरकार ने पंचायतों का पुनः परिसीमन किया और परिसीमन करने के बाद पंचायतों का चुनाव हमारी सरकार ने किया और उसके परिणाम भी हमारे सामने हैं। मान्यवर, जो पंचायत राज अधिनियम बनाया इस पर कार्य हो रहा है और निकट भविष्य में उत्तरांचल राज अधिनियम सदन के पटल पर रखा जायेगा। उस वक्त आप भी अपने सुझाव रखेंगे, सरकार भी अपनी बात कहेगी, लेकिन इस समय जो इस विधेयक को लाने की वजह थी वह यह थी कि हमारे पास 7227 ग्राम पंचायतें हैं और 1912 कर्मी हैं, इतने कम कर्मी होने के कारण कार्य सही नहीं चल रहा था। मान्यवर,

सरकार के अभिलेखों को ग्राम पंचायत के प्रधान की अभिरक्षा में रखने की बात को स्वीकार करते हुए अभिलेखों को ग्राम प्रधान की रक्षा में रखने का निर्णय लिया और उसी के तहत यह विधेयक इस सदन में लाया गया। मान्यवर, पंत जी ने पृथक कार्यालय की व्यवस्था आदि कुछ बातें कही, तो यह सब चीजें जब हम विधेयक लायेंगे तब पूरे विस्तार के साथ रखेंगे और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी नियत साफ है।

मान्यवर, हम पंचायतों को मजबूत करना चाहते हैं, हम पंचायतों को अधिकार देना चाहते हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि संविधान के 71वें संशोधन में यह व्यवस्था है कि 31 विभागों को पंचायतों के अधीन करना है, तो आप निश्चिन्त रहें। जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं ब्लाक प्रमुख रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि ग्राम पंचायतें मजबूत हों और इसके लिए आप सभी का सहयोग भी जरूरी है और मैं प्रतिपक्ष के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो विधेयक हमने रखा है उसमें जो प्रवर समिति की बात कही गयी है, उसमें प्रवर समिति की बात न करें बल्कि सर्वसम्मति से पारित करने की बात करें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार रखे हैं क्योंकि माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट नहीं कर पाये कि ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान की अभिरक्षा में जो अभिलेख दिये जाने हैं उनकी सुरक्षा की गारण्टी क्या होगी, क्योंकि ग्राम प्रधान राजनीतिक व्यक्ति होता है और सरकार उस राजनीतिक व्यक्ति की अभिरक्षा में क्या व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है, यह स्पष्ट नहीं कर पाए।

(मोबाइल फोन की ध्वनि सुनाई देने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया सेल फोन बन्द करें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, चूंकि 7227 ग्राम पंचायतें हैं और माननीय मंत्री जी ने ग्राम पंचायत अधिकारी नियुक्त करने की बात नहीं कही। चूंकि इस विधेयक में हमारा स्पष्ट मत है कि उत्तरांचल राज्य के हित में एक बड़ा विधेयक आना चाहिए इसलिए हम इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने पर बल देते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जो आपने कर्मियों की बात कही, हमारा उद्देश्य है कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी की व्यवस्था करें, मान्यवर, यह सरकार के विचाराधीन है। सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, कब तक नियुक्तियां हो जायेंगी?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003

(विधेयक संख्या वर्ष, 2003)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा उत्तरांचल राज्य में लागू) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के 54वें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :

(1) यह अध्यादेश उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने वाले दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय–2

2. **मूल अधिनियम की धारा 109–क में संशोधन :**

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा उत्तरांचल राज्य में लागू) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में निम्नवत् संशोधन कर दिये जायेंगे, अर्थात्–

(1) मूल अधिनियम की धारा 109–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) में शब्द ''सचिव'' के स्थान पर ''प्रधान'' रख दिया जायेगा।

(2) मूल अधिनियम की धारा 109–क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द ''सचिव'' से पूर्व ''प्रधान'' रख दिया जायेगा।

(3) मूल अधिनियम की धारा 109–क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के बाद एक नया खण्ड (ग) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् (ग) ''अभिलेखों के समुचित अनुरक्षण एवं उनमें प्रविष्टियां करने का दायित्व ग्राम पंचायत के सचिव का होगा।''

अध्याय–3

3. निरसन और अपवाद (अध्यादेश संख्या 05 वर्ष 2003) :

(1) उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड–3 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 29 में ग्राम पंचायत की समितियों का प्राविधान है, जिनकी सदस्य संख्या 6 रखी गयी है, हमने इस विधेयक के माध्यम से सदस्य संख्या 4 करने का प्राविधान किया है। इस संशोधन विधेयक को लाने का जो मुख्य कारण रहा, वह यह रहा कि जब पंचायतों के चुनाव हुए तब पुनः परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद ऐसी ग्राम पंचायतें 3676 थीं जिनमें जो ग्राम पंचायत के सम्मानित सदस्य थे उनकी संख्या 5 हो गयी। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने संशोधन विधेयक पटल पर रखा है। मैं अपने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित करना चाहें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने इससे पूर्व द्वितीय संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया उसमें एक लाइन में अपने वक्तव्य में कहा कि हमारी नीयत साफ है। श्रीमन्, तृतीय संशोधन हमारे सम्मुख आया। इसमें मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मूल अधिनियम की धारा 29 में संशोधन के उपबन्ध एक हैं, उसकी अन्तिम पंक्ति है, उसमें परन्तु जोड़ रखा है, उसमें कहा गया है कि ''परन्तु अग्रेत्तर यह भी कि किसी विषय विशेष से संबंधित किसी समिति में राज्य सरकार किसी सरकारी कर्मचारी को सह-सचिव पर नामित कर सकेगी।'' श्रीमन्, वहां एक सचिव नियुक्त करने का प्राविधान है। द्वितीय संशोधन में कहा है कि यह भी सरकार कर रही है, ग्राम पंचायतों पर सीधा हस्तक्षेप सरकार करेगी। दूसरा उपबन्ध है, इसमें मूल अधिनियम, 29 में संशोधन 3 में कहा गया है कि ''राज्य सरकार आवश्यकतानुसार किसी विषय विशेष के लिए मुख्य समिति की सहायतार्थ उप समिति का गठन अधिसूचना द्वारा कर सकेगी।'' मान्यवर, यह सीधे ग्राम पंचायत में राजनीति का हस्तक्षेप है, जिस दल की सरकार प्रदेश में होगी उस दल के लोग ग्राम पंचायत में नामित किये जायेंगे। यह तो संविधान का खुला उल्लंघन है। मान्यवर, इस विधेयक को प्रवर समिति को नहीं, इस विधेयक को वापस लेना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।

मान्यवर, पंचायतों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, यह निश्चित नहीं है कि हमेशा आप ही सरकार में बने रहें। कल दूसरे दल की सरकार आ सकती है। अगर सरकार पंचायत स्तर पर राजनीति करेगी तो उत्तरांचल की जनता के लिए यह हितकर नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय और मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, मैं माननीय श्री प्रकाश पंत जी के प्रस्ताव पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को दे दिया जाय। मान्यवर, धारा 29 के खण्ड 1 की उपधारा (2) में छः सदस्यों के स्थान पर चार अन्य सदस्य रख दिये जायेंगे। मान्यवर, ग्राम पंचायत अधिनियम, 1947 की धारा 29 की उपधारा (2) को देखते हैं, तो मान्यवर, जहां छः सदस्य होंगे वहीं इसमें साफ लिखा कि इसमें कम से कम एक महिला, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति और एक पिछड़े वर्ग, उन छः में से 3 का रिजर्वेशन था तो 4 में से इनका क्या रिजर्वेशन होगा। लगता है माननीय मंत्री जी ने रिजर्वेशन नहीं पढ़ा। मान्यवर, इसी में आगे है कि किसी विषय विशेष से संबंधित किसी समिति में राज्य सरकार किसी सरकारी कर्मचारी को सह सचिव पद पर नामित कर सकेगी। मान्यवर, जब पहले से ही एक सचिव पद है तो यह सह-सचिव की आवश्कता क्या है ? मान्यवर, जब सचिव है तो सह सचिव का कार्य क्या होगा ? उसका कर्तव्य क्या होगा और वह भी इनको सरकार नामित करेगी ? मान्यवर, दूसरी धारा 29 की उपधारा (2) के बाद एक नयी उपधारा (3) में राज्य सरकार आवश्यकतानुसार किसी विषय विशेष के लिए मुख्य समिति की सहायतार्थ उप समिति का गठन अधिसूचना द्वारा कर सकेगी। मान्यवर, यह सीधे-सीधे ग्राम पंचायतों के स्तर पर दखलंदाजी है। मान्यवर, जो उप समिति होगी उसमें कौन कर्मचारी होगा ? उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे। यह चीज उसमें तय नहीं किया गया है या फिर जिस दल की सरकार होगी उसी दल का कार्यकर्ता होगा। मान्यवर, पंचायतों का विस्तार किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर केवल दो संशोधन लाये गये और दोनों में कमी है। मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी बड़े योग्य हैं, विद्वान

हैं, अगर ठीक से इसका अध्ययन किया होता तो संशोधन की आवश्यकता न पड़ती। इसी के साथ मैं माननीय प्रकाश पंत जी की बात को बल देता हूं और इसको प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव करता हूं जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट दें।

(सदन में मोबाइल की ध्वनि सुनाई देने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह मोबाइल मेरे पास दे दें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, इस विधेयक पर केवल दो बिन्दु हैं और जो तीसरा सीरियल नं0 3 पर है जिसमें राज्य सरकार आवश्यकतानुसार किसी विषय विशेष के लिए मुख्य समिति की सहायतार्थ उप समिति का गठन अधिसूचना द्वारा कर सकेगी तो मैं जानना चाहता हूं कि जब मुख्य समिति का गठन है तो फिर मान्यवर, जो उप समिति का चयन करने की बात कही गयी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? कौन से ऐसे बिन्दु हैं, जिनकी वजह से इसकी आवश्यकता महसूस की गयी है। मान्यवर, हम लोग भी गांव के ही रहने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी भी ग्राम पंचायत को किसी सरकारी समिति की आवश्यकता महसूस होती हो। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सरकारी लेवल पर जो समिति की बात है इसे हटाते हुए यदि माननीय मंत्री जी को संशोधन लाने की आवश्यकता महसूस हो तो इसे फिर कभी ले आयें। आज ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि यह विधेयक आज ही पास किया जाये।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं माननीय प्रकाश पंत जी के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, पहला संशोधन पारित हो गया है, उसको आपने द्वितीय संशोधन नाम दिया है। आज तृतीय संशोधन आ गया है। 30 तारीख को हम बैठने वाले हैं ऐसा न हो कि उस दिन चौथा संशोधन आ जाये। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने चुनाव कराये। आपने चुनाव करवाये तो उसका श्रेय भी आपको मिला। बहुत से स्थानों पर आपके लोग जीते हैं, कुछ हमारे लोग भी जीते हैं। मान्यवर, प्रश्न यह है कि अधिकतर स्थानों पर आपके लोग जीते हैं और मुझे लगता है कि जो आपने उप सचिव और उप समिति गठित करने की बात कही है, यह कहीं न कहीं आपके संगठन की अन्तर्कलह का द्योतक है। आपके जो लोग जीत कर नहीं आ पाये हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। मान्यवर, इस प्रकार के राजनीतिक निर्णय विधेयक के रूप में न किये जाए। भविष्य में भी पंचायतों के चुनाव होंगे। जो समिति बनाने की बात कही गयी है, उसे वापस लेना चाहिए। मान्यवर, मैं आग्रह कर रहा हूं कि कम से कम तृतीय संशोधन को वापस लिया जाये तथा माननीय मंत्री जी सरकार और संगठन के बीच बैठकर इस पर विचार करें। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, प्रतिपक्ष के साथियों ने इस संशोधन विधेयक के बारे में कुछ आशंका व्यक्त की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसके अध्याय–2 की उपधारा–1 में जो विषय, माननीय प्रकाश पंत जी ने रखा है। उसमें है कि परन्तु अग्रेत्तर यह भी कि किसी विषय विशेष से सम्बन्धित किसी समिति में राज्य सरकार किसी सरकारी कर्मचारी को सह सचिव पद नामित कर सकेगी। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथियों को कहना चाहता हूं कि 73वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि 29 विभाग उनके अधिकार क्षेत्र में जायेंगे। तो निश्चित रूप से जो ग्राम पंचायतों को 29 विभाग जायेंगे तो उन्हीं 29 विभागों के लोगों में से एक सह–सचिव नियुक्त किया जायेगा। उन्हें अधिकार देने की बात है तो जो सह–सचिव विभाग से सम्बन्धित होगा वह ग्राम पंचायत में अपनी बात को रख सकेगा, इसीलिए यह प्रक्रिया की गई और सरकार की यह स्पष्ट व्यवस्था है।

ऐसे ही दूसरी बात भी रखी गई है कि राज्य सरकार आवश्यकतानुसार किसी विषय विशेष के लिए मुख्य समिति की सहायतार्थ उप समिति का गठन अधिसूचना द्वारा कर सकेगी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों में जो समस्यायें होंगी, शिक्षा है, स्वास्थ्य, सिंचाई की बातें करें तो वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके पालन भी नितान्त आवश्यक हैं। उस उप समिति में जो विशेषज्ञ होंगे उनको नामित किया जायेगा, जो यूजर ग्रुप है, वे ही इसमें जायेंगे। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम पंचायतों के अधिकारों पर अंकुश लगायें या वहां पर उप समिति के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को भेजें, ऐसी कोई बात नहीं है और जैसा आपने अन्तर्कलह के बारे में कहा तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अन्तर्कलह इधर नहीं आपकी तरफ है,

(व्यवधान)

आप सभी कल देख चुके हैं कि आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाये और उसका क्या हश्र हुआ सब जानते हैं। हमारी सरकार एकजुट है, आप लोग ही बिखरे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मंत्री जी कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहां अन्तर्कलह है और आपके यहां बहिर्कलह है।

*औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

मान्यवर, यह तो साबित हो चुका है काजी निजामुद्दीन जी, जो अविश्वास प्रस्ताव लाये थे, वे कह रहे थे कि मैं अभिमन्यु हूं, पर कौरवों के बीच फंसा हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में आरक्षण को भी रखा गया है, एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, इसका मिसयूज हो सकता है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमारे यहां जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसके अनुसार यदि 6 सदस्य हैं तो उनमें से 2 एस0सी0, एस0टी0 और एक ओ0बी0सी0 का रहता है और उसके बाद एक महिला आरक्षण होता है। क्या इसी आधार पर आप आरक्षण की व्यवस्था लागू करेंगे?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कई जगहों पर एस0टी0 या ओ0बी0सी0 नहीं होते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह बात तो अलग है लेकिन आपको तो ऐक्ट में इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, चीमा साहब ने जो बात कही, ऐसी कोई मंशा सरकार की नहीं है। समिति की जो बात कही गयी, जलागम में उप समिति का बनना बहुत जरूरी होता है, इस समिति का गठन वर्ल्ड बैंक के निर्देशों के तहत होता है। मेरा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आपने इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की जो मांग की है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप इसे वापस ले लीजिए।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि चाहे आप हाथ से ही एक लाइन लिख दीजिए कि यह समिति अधिकारियों से भरी नहीं है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, चीमा साहब तो अपने प्रीतम की बात भी नहीं सुन रहे हैं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, लग रहा है कि कोई सरदार बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने इस संशोधन प्रस्ताव पर बल दिया, वास्तव में यह जायज है, कल कोई भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। माननीय मंत्री जी की इच्छा सही हो सकती है और आपने स्वयं भी कहा कि हमारी नीयत साफ है। माननीय मंत्री जी के विषय में मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि इनकी नीयत साफ है। माननीय अध्यक्ष जी, आज संख्या बल के आधार पर इस संशोधन को यह पास करा ले जायेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो कल भी आपका संरक्षण चाह रहा था कि अन्तरात्मा के आधार

पर कुछ लोग मतदान करना चाहते हैं, आज भी, चूंकि इस संशोधन में सरकार की जो मंशा है, वह निश्चित रूप से गलत प्रतीत होती है। क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ''राज्य सरकार आवश्यकतानुसार किसी विषय विशेष के लिये मुख्य समिति की सहायतार्थ उप समिति का गठन अधिसूचना द्वारा कर सकेगी।'' इस विधेयक को सरकार ने पंचायतों के व्यापक हित में, प्रदेश की जनता के व्यापक हित में वापस लेना चाहिए था लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन-उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003

(विधेयक संख्या वर्ष 2003)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा उत्तरांचल में लागू) में अग्रेतर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के 54वें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :
   (1) यह अधिनियम उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।
   (3) यह उस दिनांक से, जो राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन में नियत करें, प्रवृत्त होगा।

अध्याय–2

2. मूल अधिनियम की धारा 29 में संशोधन :
   उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा उत्तरांचल राज्य में लागू) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 29 में निम्नवत् संशोधन कर दिये जायेंगे, अर्थात् :
   (1) मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में ''छः अन्य सदस्य'' शब्दों के स्थान पर ''चार अन्य सदस्य'' शब्द रख दिये जायेंगे।
   इसी उपधारा में निम्न परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा,
   ''परन्तु अग्रेतर यह भी कि किसी विषय विशेष से सम्बन्धित किसी समिति में राज्य सरकार किसी सरकारी कर्मचारी को सह–सचिव पद नामित कर सकेगी।''

(2) मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के बाद एक नयी उपधारा (3) अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :-

(3) "राज्य सरकार आवश्यकतानुसार किसी विषय विशेष के लिये मुख्य समिति की सहायतार्थ उप समिति का गठन अधिसूचना द्वारा कर सकेगी।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रीतम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या पर नियम 52 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन कौशिक--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने जनसंख्या जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, जब हम समाज के बारे में विचार करते हैं तो समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति होता है और व्यक्ति, व्यक्ति से मिलकर समाज का निर्माण होता है। मान्यवर, आज जब हम भारतवर्ष की जनसंख्या पर विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतवर्ष की जनसंख्या दो प्रतिशत के हिसाब से लगातार बढ़ रही है। मान्यवर, आज प्रत्येक डेढ़ सेकेंड में एक बच्चा जन्म ले रहा है। हर घण्टे 2400 बच्चों का जन्म हो रहा है। मान्यवर, हर वर्ष लगभग 97,600 बच्चों का जन्म हो रहा है और मान्यवर, हर माह लगभग 17 लाख 28 हजार बच्चे इस देश में पैदा हो रहे हैं। मान्यवर, भारतवर्ष की आबादी जिस प्रकार से बढ़ रही है उससे निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 2010 तक हमारे देश की आबादी विश्व की लगभग 1/6 गुना हो जायेगी। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, जनसंख्या वृद्धि इसी प्रकार से होती रही तो प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष में एक आस्ट्रेलिया का जन्म होता रहेगा। आज की तारीख में विश्व में हर सातवाँ व्यक्ति भारतीय है। मान्यवर, हमारा उत्तरांचल राज्य कम जनसंख्या वाला राज्य है। यह नवोदित राज्य है, इसकी जनसंख्या लगभग 84 लाख है लेकिन मान्यवर, इस 84 लाख की जनसंख्या में जो वृद्धि दर है वह अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप यहां पर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं। मान्यवर, उत्तरकाशी में जो भयंकर प्राकृतिक आपदा हुई वह जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की निरन्तर बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक नीति बनाने की महती आवश्यकता है। प्रदेश के अन्दर कई नीतियां बनाई गई हैं लेकिन जनसंख्या नियंत्रण हेतु कोई नीति नहीं बनाई गई है, जब कि प्रदेश को बने हुए लगभग तीन वर्ष हो चुके हैं।

मान्यवर, जनसंख्या के प्रमुख कारकों में अशिक्षा, बाल विवाह, अन्धविश्वास, रूढ़िगत परम्पराएं आदि हैं। मान्यवर, इन कारकों में सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। जिन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत कम होता है, वहां जनसंख्या अधिक होती है। मान्यवर, आज आप उन गली–मोहल्लों में चले जाइये, जहां शिक्षा का प्रतिशत कम है, वहां आपको जनसंख्या का प्रतिशत अधिक देखने को मिलेगा। इसका दूसरा कारक अन्धविश्वास है। एक कहावत चरितार्थ है–जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। इसी कहावत पर चलते हुए पांच–पांच, छः–छः बच्चे पैदा हो जाते हैं। मान्यवर, आज भी कई लोग बच्चे की चाहत में पांच–पांच, छः–छः लड़कियों को जन्म दे देते हैं। जनसंख्या ग्राफ यदि इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो जिस उद्देश्य को लेकर उत्तरांचल बनाया था, उसमें हम पिछड़ जायेंगे। मान्यवर, जनसंख्या आज कुटीर उद्योगों की तरह बढ़ रही है, इस पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार को कोई ठोस नीति बनानी चाहिए।

मान्यवर, मैं चीन का उदाहरण यहां पर देना चाहता हूं। मान्यवर, चीन का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उसने एक नीति बनायी है, जिसमें वह काफी सफल भी है। हमें उनकी नीति का अनुसरण करना चाहिए। मान्यवर, चीन में किसी परिवार में एक बच्चा होने पर उसे प्रोत्साहित किया जाता है, उस बच्चे को पढ़ने के लिए उसकी इच्छानुसार स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, उस परिवार को अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। मान्यवर, इसी तरह से यदि उस परिवार में दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे के पिता का प्रोमोशन रोक दिया जाता है तथा अन्य तमाम सरकारी सुविधाएं भी काटी जाती हैं। वहां अन्य प्रकार से सरकारी सुविधाओं में कटौती की जाती है और इसी प्रकार कोई नीति अपने प्रदेश में लागू हो, निश्चित रूप से अपने प्रदेश को कई फायदे होंगे। मान्यवर, आज हम जनसंख्या नीति बनायें और व्यवस्था करें कि दो बच्चों वाले परिवार को सरकार प्रोमोशन देगी, ऋण में सुविधा देगी, रोजगार बढ़ाने के लिए व्यवस्था करेंगे और यदि परिवार इससे ज्यादा हो तो सरकार की तरफ से सुविधाओं में कटौती करनी चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए इस प्रकार की नीति बनानी चाहिए। मान्यवर, इस समय उत्तरांचल में वृद्धि दर 19.20 है जो कि 10–12 राज्यों से ऊपर है। मान्यवर, हमारे साथी हिमांचल प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन किसी ने जनसंख्या वृद्धि की बात नहीं की। आज हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर 17.05 प्रतिशत है, पंजाब में 19 प्रतिशत, त्रिपुरा में 15.4 प्रतिशत है, पश्चिम बंगाल में 17.84, उड़ीसा में 15.97 प्रतिशत है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह बहुत अच्छी बात है कि आपने जनसंख्या की वृद्धि पर चिन्ता जाहिर करने वाली व्यवस्था उपस्थित की है। मान्यवर, तमिलनाडु में परिसीमन 2026 तक स्थगित रखा है और अब परिसीमन जो बना है, उसने स्टेट को यूनिट माना है। मान्यवर, यहां पर यह स्थिति है कि पर्वतीय क्षेत्र में प्रतिनिधियों की जनसंख्या घट रही है और हरिद्वार में और ऊधमसिंह नगर में प्रतिनिधियों की जनसंख्या बढ़ रही है। इसके विषय में भी माननीय सदस्य कुछ कहें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर 18.06 है, आन्ध्र प्रदेश में 13.86, कर्नाटक में 17.25, गोवा में 14.89, लक्षद्वीप में 17.19, केरल में 9.42 प्रतिशत है।

मान्यवर, तमिलनाडु में 11.91 प्रतिशत है और इन आंकड़ों से हम पाते हैं कि

उत्तरांचल राज्य जनसंख्या में तो कम है लेकिन जनसंख्या वृद्धि में यह लगभग 10-12 राज्यों से भी ऊपर है। हम हिमाचल से ऊपर हैं, केरल से ऊपर हैं, तमिलनाडु से ऊपर हैं, पंजाब से ऊपर हैं। मान्यवर, अभी कई ऐसे राज्य हैं जो विकास की दृष्टि से हमसे आगे हैं। पापुलेशन में हम कम हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि में हम उनसे आगे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे सारे मित्र भू-अध्यादेश पर बीच वाले और सारे तो नहीं, सारे तो उसको समाप्त करने या प्रवर समिति के सुपुर्द करने की ही बात कर रहे थे तो मान्यवर, भू-अध्यादेश या अधिनियम बना देने से कुछ होने वाला नहीं है। आज पापुलेशन का दबाव बढ़ रहा है। आज पूरे गांव के गांव पलायन कर रहे हैं, शहरों की तरफ। शहरों में जनसंख्या वृद्धि हो रही है और मान्यवर, आज वहां शहरों के अन्दर हम देखेंगे कि मकान कम पड़ रहे हैं, शहरों में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, शहरों में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो मान्यवर, भू-अधिनियम बना देने से कुछ होने वाला नहीं है। मान्यवर, यह बेसिक चीज है इस तरफ हमें बहुत सोचने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, परिवार नियोजन के लिए हम 2-4 सुझाव देना चाहते हैं। यदि जनसंख्या पर नियंत्रण करना है तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि बिना भेदभाव के, धर्म के आधार पर उसको तय नहीं किया जा सकता।

श्री सहजाद-

मान्यवर, धर्म से क्या अर्थ है, कृपया स्पष्ट करें।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, श्री सहजाद जी समझ रहे हैं। (व्यवधान) मान्यवर, जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है उसको धर्म के आधार पर नहीं बल्कि समान रूप से उसको लागू करने की आवश्यकता है, तभी हम निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रित कर सकते हैं, वरना जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचने की भी परिकल्पना नहीं हो सकती। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ऐसा विषय है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए सारे सम्मानित सदस्य इधर से व उधर से भी स्वतंत्र हैं, इस पर एक घण्टे का समय कम है। मान्यवर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी उसको नोट कर रहे हैं, क्योंकि वे प्रदेश के बारे में चिन्तित हैं, वे विचार कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब हम जनसंख्या वृद्धि को धर्म और राजनीति से जोड़ देते हैं, वहीं सबसे बड़ा दुष्परिणाम सामने आता है। जब हम इसे राजनीतिक रूप देना चाहते हैं वहीं कहीं न कहीं रुकावट पैदा होती है। यदि समान रूप से हम इसे लागू करें, अपने प्रदेश के 13 जनपदों में बिना किसी भेदभाव के, कि इस क्षेत्र में कौन रहता है, कौन नहीं रहता हैं, किनकी जनसंख्या कम है या किनकी ज्यादा है, तो निश्चित रूप से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है।

मान्यवर, आज हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। शहरी क्षेत्र में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है वह 2.8 प्रतिशत के हिसाब से और ग्रामीण क्षेत्र में 3.7 प्रतिशत है। वहीं मान्यवर, अल्पसंख्यकों के आंकड़े दे रहा हूं, इसे कोई अन्यथा न ले, इसमें ईसाई और कई लोग आते हैं। इसलिए अल्पसंख्यक शहरी क्षेत्र में 4.8 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 6.2, हिन्दू शहरी क्षेत्रों में 3.2 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 4.6 प्रतिशत हैं। अरुणाचल प्रदेश में अल्पसंख्यकों में 135 प्रतिशत वृद्धि हुई है, मिजोरम में 105 प्रतिशत। मान्यवर, जनसंख्या कम करने में जनप्रतिनिधियों की भी अहम भूमिका होनी चाहिए। इसमें सबका सहयोग सरकार को लेना चाहिए। इसमें सरकार कोई नीति बनाये तो उससे पहले

इसमें सुझाव आने चाहिए, सामाजिक स्तर पर इसका निर्धारण होना चाहिए। हमारा प्रदेश जब जनसंख्या पर नियंत्रण करेगा तभी हमें पूर्ण सफलता मिल सकती है। मान्यवर, मैं उत्तरांचल के 13 जिलों की जनसंख्या के आंकड़े रख रहा हूं, उत्तरकाशी में 22.72, चमोली में 13.51, रुद्रप्रयाग में 13.44, टिहरी में 16.15, देहरादून में 24.71, पौड़ी गढ़वाल में 3.87, अल्मोड़ा में 3.14, चम्पावत में 17.56, नैनीताल में 32.88, ऊधमसिंह नगर में 27.79, पिथौरागढ़ में 10.92 और हरिद्वार में 26.30 प्रतिशत है। मान्यवर, इस विषय को गम्भीरता से लिया जाय। मैं समझता हूं गम्भीर विषय है, इस पर खुले रूप से चर्चा हो रही है। मैं चाहता हूं कि इसे सभी सदस्यों को अपना लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

काफी लोगों को इस विषय पर बोलना है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यहां पर जो चर्चा हो रही है वह एक गम्भीर विषय है और जिस प्रकार से हम यहां पर हाउस में देख रहे हैं कि सत्तापक्ष के मंत्रीगण और विधायकगण हंसी–मजाक में मशगूल हैं। मान्यवर, यहां दर्शक दीर्घा में बैठी जनता भी देख रही है। कितनी हल्की–फुल्की बातें की जा रही है। मान्यवर, वास्तव में यह एक गम्भीर विषय है और इसमें तो एक निचोड़ आना चाहिए। एक निष्कर्ष आना चाहिए। लेकिन यहां पर इसको गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सत्तापक्ष वाले गन्ने का रेट बढ़वा दें या फिर जो आलू सड़ रहा है उसको बिकवा दें।

(व्यवधान के मध्य)

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, यह सही है कि यह एक गम्भीर विषय है और इसको गम्भीरता से लेना चाहिए और इसके लिए चिन्ता होनी चाहिए। हम सभी लोग इसको गम्भीरता से ले रहे हैं और एक ही दल द्वारा इसको गम्भीरता से लिया गया। आप जो दर्शक दीर्घा की बात कर रहे हैं कि जनता देख रही है तो पूरी कार्यवाही उत्तरांचल की जनता देख रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए केवल कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसने इसको सख्ती से लागू किया। इसमें हमारी नेता स्व0 इन्दिरा जी और स्व0 संजय गांधी जी को नहीं भुलाया जाना चाहिए। उनका प्रयास था जनसंख्या नियंत्रण के लिए, लेकिन इसका राजनीतिकरण किया गया और समस्या वहीं से उत्पन्न हुई। सन् 1977 का चुनाव इसी का परिणाम है और इसी के खिलाफ लड़ा गया। वे लोग जो चर्चा करना चाहते हैं और जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस सदन के माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अभी 27–28 में कार्य समिति की बैठक होने वाली है तो वे लोग वहां से कोई नयी चीज लाएं। हमने इस पर कोशिश की। यह एक गम्भीर विषय है। इसके लिए जन आन्दोलन होना चाहिए और हम जन आन्दोलन के माध्यम से कार्य कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय वन मंत्री जी ने जो बात कही है। मान्यवर, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं हमने एक बार एक प्रश्न के उत्तर में लिखा था कि वियतनाम की घटती हुई जनसंख्या सरदर्द है, उनको चिन्ता है और भारत की बढ़ी हुई जनसंख्या सरदर्द कर रही है। यह अच्छी बात है और अभी माननीय वन मंत्री जी ने बताया कि स्व0 संजय गांधी जी ने नियंत्रण के लिए अच्छे कार्य किये।

मान्यवर, स्व0 इन्दिरा गांधी जी ने बहुत अच्छे प्रयास किये थे, लेकिन मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिस समय यह अभियान स्व0 संजय गांधी जी ने चलाया था उस समय भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों ने जंगलों में शरण ली थी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मदन कौशिक जी द्वारा प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया कि उत्तरांचल राज्य के अन्दर भी जनसंख्या विस्फोट की खतरनाक परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। जिस प्रकार से आंकड़ों के माध्यम से मा0 कौशिक जी ने अपनी बात कहने का प्रयत्न किया। (व्यवधान) मान्यवर, यह भी एक पक्ष है कि सत्ता के मद में हमारे ही कुछ साथियों ने एक मखौल में इस बात को उड़ाने का प्रयत्न किया, यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य ने जो सरकारी सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि 1977 का चुनाव जनसंख्या की नीति पर लड़ा गया था। बहुत विस्तार से मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि वह चुनाव आपातकाल के खिलाफ लड़ा गया था। (व्यवधान) मैं याद दिलाना चाहूंगा माननीय सदस्य को, जो आंकड़ों के साथ बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने 22 जुलाई, 2000 को एक घोषणा की थी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के नाम से। मैं सदन के माध्यम से जानना चाहूंगा कि यह सरकार जो अपने पिछले इतिहास को कह रही है, उसका महिमा मंडन कर रही है कि हमारे पिछले इतिहास में जनसंख्या नियंत्रण हेतु अभूतपूर्व कार्य किये गये थे। मान्यवर, यह जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 है, इसके परिप्रेक्ष्य में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि इस नीति पर सरकार ने क्या कोई प्रभावी कदम उठाया है ? अभी माननीय काशी सिंह ऐरी जी ने जिक्र किया कि जनसंख्या घनत्व के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में विधान सभा सीटों की संख्या कम होती चली जा रही है। इस खतरे से कैसे बचा जाये ? क्या सरकार इसके लिए कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्रीमन्, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है, उसके तीन मुख्य उद्देश्य रखे गये थे, पहला उद्देश्य था तात्कालिक उपाय, जिसमें तात्कालिक तौर पर गर्भ निरोध के उपाय करना आदि शामिल था। देश के स्वास्थ्य और विकास के ढांचे को सुदृढ़ करने का प्रयास भी इसमें शामिल था, मैं अपने सरकारी सदस्यों से पूछना चाहता हूं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस संबंध में उनके द्वारा क्या उपाय किये गये थे ? क्या उस राष्ट्रीय नीति के अनुपालन में उत्तरांचल में कोई इस तरह की नीति सामने आई, क्या सरकार कोई योजना बनाकर सामने लाई ? अभी माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे, उत्तर भी मुझे

मालूम है कि इतने डाक्टर हमने संविदा पर रखे हैं" और ये ही उत्तर होंगे, परन्तु मान्यवर, जो बड़ा प्रश्न है कि क्या सरकार ने उस बुनियादी ढांचे को, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोई योजना बनाई है ? जिससे कि जनसंख्या पर कुछ काबू पाया जा सके। उस राष्ट्रीय योजना का दूसरा चरण था मध्यकालीन उपाय, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2010 वर्ष तक की सीमा रेखा रखी, कि हम 2010 तक कुल प्रजनन दर को नियंत्रित करके उसे एक निश्चित स्तर पर ले आयेंगे। यह हमारे प्रदेश का भी लक्ष्य होना चाहिए, इसकी भी प्रतिपूर्ति के लिए सरकार ने क्या किया ? यह आज जनता जानना चाहती है।

इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 का महत्वपूर्ण एवं तीसरा चरण था दीर्घकालिक उपाय, इस दीर्घकालिक योजना के नीति निर्देशक उद्देश्य हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने इसके लिए 2045 तक की समय सीमा रखी। उसमें इस देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के दीर्घकालिक उपाय हैं, इसमें देश की आर्थिक व्यवस्था को जनसंख्या पर नियंत्रण पाकर विकसित राष्ट्र बनाना इस योजना में सम्मिलित है। इसके लिए केन्द्र ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था, इसके लिए कुछ मानकों को भी रखा गया था, इसके मानकों में कई बिन्दु हैं, परन्तु मैं कुछ दो-तीन प्रमुख बिन्दुओं पर ही सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा। इसमें पहला बिन्दु है 14 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा, हर बच्चे को उचित प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क प्रदान करने की बात है, यह बिन्दु माननीय शिक्षा मंत्री जी से जुड़ा हुआ है। अशिक्षा में 20 प्रतिशत तक की कमी लाने का प्रस्ताव किया गया है, उत्तरांचल के अन्दर आज विद्यालय बन्द हो रहे हैं वहां पर अध्यापकों की कमी है, उत्तरांचल में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति कोई अच्छी नहीं है, अभी पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 5 से 10 की छात्र संख्या में आप स्कूल को बन्द कर देंगे तो मान्यवर, आज यह स्थिति क्यों आ रही है ? क्यों विद्यालयों को बन्द करने की स्थिति आ रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)-

मान्यवर, मैं पंत जी को स्पष्ट करना चाहता हूं कि..............

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, मैं पहले अपनी बात को खत्म कर लूं, तब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दे दें।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

मान्यवर, छात्र संख्या के आधार पर ही विद्यालय चलते हैं और यह तो विरोधाभास है। मैंने कहा था कि छात्र संख्या इसलिए कम हो रही है क्योंकि हमारी जन्म दर कम हो रही है।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, यह एक गम्भीर विषय है, इस पर गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करना होगा। उस पर निश्चित तौर पर रखे गये।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया कि जन्म दर कम हो रही है तो मान्यवर, यदि जन्म दर ज्यादा भी हो जाय तो इनके विद्यालयों में कहीं भवन नहीं है, भवन है, तो अध्यापक नहीं हैं, तो वहां जायेगा कौन ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पंत जी, कृपया समाप्त करें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं मात्र तीन मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, यदि देखा जाय तो विद्यालय में छात्रों की कमी का मुख्य कारण विद्यालयों में अध्यापकों का न होना है।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश में जन्म और मृत्यु का सौ प्रतिशत पंजीयन होना चाहिए। ताकि जन्म दर और मृत्यु दर का स्पष्ट पता चल सके।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमन्, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद कुछ माननीय सदस्य इस गम्भीर विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं।

मान्यवर, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है, उसके नीति निर्देशक तत्वों पर प्रभावी कदम उठाये जिससे इस राज्य की जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

*डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मान्यवर, 17 साल से मेडिकल प्रोफेशन में रहने की वजह से कुछ विचार मेरे मन में हैं कि किस तरीके से जनसंख्या पर कन्ट्रोल कर सकते हैं। मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में अपने विचार रखना चाहता हूं, जैसा कि अभी माननीय मदन कौशिक जी ने बहुत विस्तार से जिलेवार स्थिति बताई। यह सही है कि ऊधमसिंह नगर हरिद्वार और नैनीताल में जनसंख्या वृद्धि काफी ज्यादा है। इसके जो मूलभूत कारण हैं, अल्पसंख्यकों की बात कौशिक जी ने कही, मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, जहां गरीब होंगे, जहां पिछड़ापन होगा, चाहे वहां किसी भी जाति के लोग हों, वहां जनसंख्या विस्फोट होगा। मान्यवर, मलेशिया एक ऐसा देश है, जहां पर इस्लामिक कंट्री होते हुए भी वहां के लोग परेशान हैं कि हम अपनी जनसंख्या किस तरह से बढ़ाएं। उनकी प्रजनन दर कम है। कई अरब देशों में भी पॉपुलेशन ग्रोथ कम है। हमें मूलभूत बातों में जाना होगा। जहां के लोगों ने पढ़–लिख लिया है वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई है। जहां पर जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उस जगह शिक्षा का विशेष ध्यान देना होगा। उन पॉकेट्स पर ध्यान देना होगा। साथ ही बच्चों को स्कूलों की ओर सम्मोहित करने के लिए समाज कल्याण विभाग को भी सम्मिलित करना होगा, पॉपुलेशन नीति में। अल्पसंख्यकों और गरीबों की छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी करनी होगी ताकि शिक्षा की ओर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनका मोह बढ़े। इसी प्रकार जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे पेयजल से सम्बन्धित हों, चाहे शहरी विकास से सम्बन्धित हों, इन्हें उन क्षेत्रों में बढ़ाना है। अमर्त्य सेन जी ने भी यही कहा है कि अगर विकास करना है तो हमें उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं बढ़ानी होंगी। मेरा भी यही सजेशन है। हम जनसंख्या के लिए प्रदेश की जो नीति बनायें उसके अन्दर सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की ही नीति न हो। स्वास्थ्य विभाग के साथ हमें शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, शहरी विकास विभाग, पेयजल विभाग तथा ऐसे ही अन्य विभागों को भी इसमें शामिल करना होगा। जब तक हम इसको प्रभावी रूप से लागू नहीं करेंगे, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो सकेगा।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मदन कौशिक द्वारा रखी गयी नियम 52 की सूचना पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, सारी बातें आ गयी हैं। आंकड़े भी मदन कौशिक जी ने दे दिये हैं। नीतियों के बारे में सब बातें आ गयी हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई ने जनसंख्या नीति, सड़क नीति और आपने देखा होगा अभी दो दिन पहले, पूरे भारत में बिजली की क्राइसेस न हो इसके लिए बिजली नीति घोषित की है। केन्द्र सरकार लगातार नीतियां बना रही है लेकिन राज्य सरकारें उन पर कितना अमल करती हैं, यह दीगर बात है।

मान्यवर, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि शिक्षा इसके मूल में है। अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो जनसंख्या कम होगी। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, आज यह समृद्धिशाली राज्य माने जाते हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है। बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक होने के कारण वे राज्य गरीब माने जाते हैं। जनसंख्या केवल हमारा मुद्दा नहीं है यह मात्र भारत वर्ष का मुद्दा भी नहीं है, यह तो आज पूरे विश्व का मुद्दा हो गया है। हम जनसंख्या पर नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि का कारण जहां धार्मिक है, वहीं तात्कालिक परिस्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे यदि कोई कैथोलिक ईसाई के यहां बच्चे कम होते हैं तो वह इसे बुरा मानता है, वे लोग जनसंख्या नियंत्रण को बुरा मानते हैं वे कहते हैं यह भगवान की देन है। इसी तरह की मान्यताएं मुस्लिम धर्म में भी हैं और हिन्दू समाज में भी थी। हिन्दू समाज में तो यह मान्यता थी कि मृत आत्माएं पूरे वायु मण्डल में भटकती हैं। वे नई योनि में जन्म लेना चाहती हैं। इसलिए वे जनसंख्या वृद्धि को धार्मिक रूप में लेते थे। मान्यवर, यह सभी तात्कालिक परिस्थितियां हो सकती हैं लेकिन आज विश्व सिमट रहा है। पेयजल के स्रोत सूख रहे हैं, बिजली की कमी है। भवनों का निर्माण अन्धाधुन्ध तरीके से बढ़ रहा है। जमीन कम पड़ने लगी है। इस प्रकार से यह पूरे विश्व की चिन्ता का विषय है।

मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, आज पूरे विश्व की आय लगभग 31 हजार 500 अमेरिकी डालर है और वर्तमान जनसंख्या कुल विश्व की छः हजार करोड़ है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 458 अमरीकी डालर है और अमेरिका की प्रतिवर्ष आय 34 हजार 682 डालर है। अगर हम जनसंख्या में नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमारी औसत आय कैसे बढ़ेगी। अगर भारत की औसत आय 458 के प्रति व्यक्ति के हिसाब से जीवनयापन करना चाहते हैं तो पृथ्वी पर 67 करोड़ का भार वहन करने की राशि हो गयी। यदि हम अमेरिका की औसत 34 हजार 682 के अनुसार जीवनयापन करना चाहते हैं तो 90 करोड़

का भार पृथ्वी वहन करेगी। जीवन स्तर और जनसंख्या के अनुपात में सामंजस्य बैठाना होगा। पूर्व में धर्म गुरूओं ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए तरह-तरह की धार्मिक शिक्षाएं दी हों परन्तु आज जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाने होंगे। मान्यवर, यह चिन्ता का विषय मात्र हमारे लिए ही नहीं है बल्कि पूरे विश्व की चिन्ता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक नीति बनाई जानी चाहिए। एक यूनिफार्म पॉलिसी बनाई जाये। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री हरभजन सिंह चीमा—

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं अपने साथी माननीय मदन कौशिक को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इतने महत्वपूर्ण विषय को यहां पर लाये हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में, मैं सबसे पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का नाम लेना चाहता था लेकिन मुझसे पहले माननीय मंत्री जी ने उनका नाम ले लिया इसके लिए उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि जनता ने जो सबक इन्दिरा गांधी जी को दिया था, वह इस विषय पर नहीं था। वह सबक था इन्दिरा गांधी जी द्वारा अपनाये गये रास्ते का।

श्री अध्यक्ष—

आप मूल प्रश्न पर आयें। कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री हरभजन सिंह चीमा—

मान्यवर, मैं तीन-चार मिनट ही लूंगा, लेकिन यह पाबन्दी मेरे साथ ही क्यों होती है। मान्यवर, नेता विरोधी दल ने सबसे पहले इस विषय पर गम्भीर होने की बात कही थी, इस नीति पर भेदभाव नहीं होना चाहिए था। मान्यवर, परन्तु माननीय मंत्री जी ने इसे भी राजनीतिक रंग दे दिया यह अच्छी बात नहीं है। मान्यवर, हमें इसके वाद-विवाद में नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसकी गहराई में जाना चाहिए। सर्वप्रथम मैं प्रदेश की बात करता हूं। आज जनसंख्या दिनोदिन बढ़ रही है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमें सर्वप्रथम जनसंख्या आंकड़े देखने चाहिए। इसमें हमें यह पता करना चाहिए कि किस वर्ग की जनसंख्या बढ़ रही है, किसकी घट रही है तथा किसकी स्थिर है। जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण हैं, इसके तह तक जाना होगा। अभी यहां पर माननीय मदन कौशिक ने चाईना का उदाहरण दिया, मैं इससे सहमत हूं। हमें भी कोई नीति बनानी चाहिए। मान्यवर, यदि किसी परिवार में दो बच्चे पैदा होते हैं, तो जनसंख्या दर माइनस में चली जाती है। (शोरगुल) मान्यवर, हमें जनसंख्या के प्रति शुरू से ही जागरुक होना चाहिए और इसके लिए मेरा सुझाव है कि यह विषय हमारी शिक्षा पॉलिसी में आना चाहिए। मान्यवर, मैं एक बात बता रहा हूं "एक बार मुरादाबाद में कर्फ्यू लग गया था और 15-20 दिन तक जनता अन्दर रही, उसके बाद हम वहां गये। मैंने पूछा कि 10-15 दिन कर्फ्यू लगे रहने से आपका बहुत नुकसान हो गया, तो उसने कहा कि हमें नुकसान नहीं फायदा हुआ है। मैंने पूछा कैसे तो उसने कहा हमारी जनसंख्या बढ़ गई है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया समाप्त करें।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय मदन कौशिक जी की सूचना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छी बहस हुई है। मान्यवर, यह ठीक है कि अशिक्षा, अज्ञानता, गरीबी, बेरोजगारी यह सारे कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं, यह सभी लोग कहते हैं, लेकिन जब इनके निस्तारण की बात आती है तो हम अपने रास्ते से हटते हैं। मान्यवर, मैं 1986 में ब्लाक प्रमुख था तो हमने प्रयास किया कि हमारा विकास खण्ड अच्छी स्थिति में आये और अधिक परिवार कल्याण हो। मान्यवर, मेरे मुझोली ग्राम सभा में 60 परिवार मुसलमानों के रहते हैं, मुझे विकास खण्ड अधिकारी ने बताया कि परिवार कल्याण के लिए बहुत प्रयास किया पर सहमत नहीं हुए। फिर मैं वहां खुद गया और मुझे मालूम हुआ कि वहां रास्ता नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, स्कूल नहीं है और उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। तो मैंने सबसे पहले अलग से प्राथमिक पाठशाला बनाई, जो ऋण लेना चाहते थे, भैंस लेना चाहते थे, दिलवाया और जब सारे काम करने के बाद बैठक की तो 80 प्रतिशत लोगों ने परिवार कल्याण माना। मान्यवर, जब तक हम राजनीतिक भाव से उठकर बात नहीं सोचेंगे तब तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है। मान्यवर, जब तक हम इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम लेकर इसमें हिस्सेदारी नहीं करेंगे तब तक योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मान्यवर, एक तरफ तो सड़क पर लोग रह रहे हैं और जिनके पास पैसा है, वे गरीबों को देना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए सभी को सोचना पड़ेगा। हमारा दायित्व है कि उनके कल्याण की व्यवस्था करें। मान्यवर, आज नरकीय तरीके से लोग जीवन जी रहे हैं। मान्यवर, हल्द्वानी में लेन 7–8 में गये तो कहा ये लोग इक्कीसवीं सदी में जी रहे हैं।

मान्यवर, यहां इनके लिए जीने का कोई अधिकार नहीं है, फिर सरकार इस बारे में क्यों नहीं सोचती है, चाहे वह किसी धर्म का हो या सम्प्रदाय का हो, उसके बच्चे के लिए भी स्कूल हो, उसके लिए भी रास्ता चाहिए, उसके लिए भी सड़क चाहिए, जब तक आप इस तरह से नहीं सोचेंगे, एक–दूसरे को नीचा दिखाकर, राजनीतिक भाषण देकर हम इस कार्यक्रम में सफल नहीं हो सकते। मान्यवर, यह एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यदि इसमें एकजुटता नहीं होगी तो क्यों न ब्रह्मा, विष्णु, महेश की धरती पर उतर आयें इसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री सहजाद–

मान्यवर, मदन कौशिक जी ने विषय बहुत अच्छा रखा, लेकिन उनकी जो नीयत इसके पीछे छिपी हुई थी वह मुस्लिम विरोधी थी। माननीय अध्यक्ष जी, आप सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान में कन्वर्ट मुस्लिम रहता है, हमारे में भी ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, जैसे मदन भाई को काजी मदन कह सकते हैं, निजामुद्दीन जी को ब्राह्मण निजामुद्दीन कह सकते हैं, आज तक इन्होंने हमें पढ़ने–लिखने नहीं दिया।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सीधा–साधा आक्षेप है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह सीधा आक्षेप है, उस क्षेत्र में 20 प्रतिशत् काम कराया है। मान्यवर, सदन के अन्दर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया जाता।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठें, आप पहले इस पर काफी बोल चुके हैं। सहजाद जी समय हो रहा है।

श्री सहजाद–

मान्यवर, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, मुस्लिम के बच्चे पढ़ें, हम भी चाहते हैं कि जनसंख्या का तोड़ हो, लेकिन हो कैसे, हमारा रहन–सहन कैसे ऊपर उठे, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। मान्यवर, यही ले लीजिए कि अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष उसको बना दिया गया जिसकी जनसंख्या यहां एक प्रतिशत भी नही है। मान्यवर, हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, त्रिवेन्द्र रावत जी कल भी नहीं बोले, कृपया इन्हें बोल लेने दें।

श्री अध्यक्ष–

आप कल बोल लीजिएगा।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, क्या कल चर्चा जारी रहेगी?

*स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड)–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री कौशिक जी ने जनसंख्या वृद्धि पर चिन्ता करते हुए आज जो चर्चा की है और भी बहुत साथियों ने इसमें भाग लिया। वास्तव में जनसंख्या वृद्धि का जो सवाल है यह हमारे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए चिन्ता का विषय है। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य 09 नवम्बर, 2000 को अस्तित्व में आया, आने के बाद राज्य की आबादी में जो वृद्धि हुई, पिछले दिनों में, वह भी हम सबके संज्ञान में है और मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों में आबादी की जो गणना हुई उसमें लगभग 84–85 लाख की आबादी हमारे सामने आयी है।

मान्यवर, जनसंख्या वृद्धि 1991–2001 में जो 10 वर्षों में वृद्धि हुई है वह 19.2 प्रतिशत रही। जबकि भारत वर्ष में दशक में वृद्धि दर 21.3 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में 25.6 प्रतिशत रही। उत्तरांचल में जनसंख्या का घनत्व 159 प्रतिवर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2002

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में एन0एफ0एच0एस0 द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार राज्य में जन्म दर 19.6, मृत्यु दर 6.5, शिशु मृत्यु दर 52 प्रति हजार तथा कुल प्रजनन दर 3.03 थी। माह अक्टूबर, 2003 के महारजिस्ट्रार भारत सरकार सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार राज्य में जन्म दर 17.0, मृत्यु दर 6.4, शिशु मृत्यु दर 44 है, जो घटी है। इसके बाद भारत सरकार की जनसंख्या नीति के अनुसार यह पहला राज्य है जिसने अपनी-अपनी जनसंख्या और स्वास्थ्य नीति का गठन किया, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें माननीय सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया था, उनसे सुझाव भी आमंत्रित किये गये थे, उसके पश्चात् जनसंख्या नीति बनायी गई। पिछले बजट के दौरान जनसंख्या नीति की किताब सबको उपलब्ध करायी गयी, उसमें कहा गया कि अगले 10 वर्षों में इसमें कमी कैसे लायी जा सकेगी।

मान्यवर, सकल प्रजनन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह 3.3 से 2006 तक 2.6 तक तथा 2010 तक 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ-साथ आधुनिक गर्भ निरोधकों की उपयोगिता दर को इसके वर्तमान स्तर 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 2006 तक 49 प्रतिशत तथा 2010 तक 55 प्रतिशत के स्तर पर लाना। जो हमारा वर्तमान में लगभग 43 प्रतिशत है। शिशु मृत्यु दर को इसके वर्तमान स्तर 1000 जीवित जन्म पर 50 से कम करते हुए वर्ष 2006 के प्रकाशित सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर 44 है। मातृ मृत्यु दर को इसके वर्तमान स्तर से कम कर वर्ष 2006 तक 250 प्रति लाख तथा वर्ष 2010 तक 100 से भी नीचे लाना है और भी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिससे जनसंख्या वृद्धि रोकी जाय, इसके लिए अस्पतालों के अन्दर अलग-अलग योजनायें चालू की हैं। जिला मुख्यालयों के अस्पतालों में प्रत्येक मंगलवार का दिन परिवार कल्याण कार्यक्रम सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने के लिए निश्चित किया गया है जिससे इच्छुक स्वीकारकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रत्येक बृहस्पतिवार को जनपद में विकास खण्ड स्तर पर माह में एक बार प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें परिवार कल्याण के अतिरिक्त समस्त मातृ एवं शिशु कल्याण सेवायें, बीमारियों का उपचार, आवश्यक जांचें एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से जनमानस को एस0टी0आई0/आर0टी0आई0 संक्रमण से बचाव की जानकारी दी जाती है, ताकि लोगों में छोटे परिवार एवं स्वस्थ परिवार की अवधारणा विकसित की जा सके। प्रत्येक शनिवार को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित दिवस/निश्चित स्थान कार्यक्रम के माध्यम से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के आउटरीच सेशन आयोजित किये जा रहे हैं, जिससे 0-1 वर्ष के सभी बच्चों का प्रतिरक्षण किया जा सके। इससे बच्चों की मृत्यु दर नियंत्रित की जा सकेगी तथा लोगों में कम बच्चों की चाह जागृत की जा सकेगी। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं बाल विकास विभाग के मध्यम अभिसरण स्थापित करने के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ए0एन0एम0 को टीकाकरण एवं गर्भवती माताओं की देखभाल करनी है तथा गर्भ निरोधकों का वितरण भी उनके द्वारा किया जायेगा।

इसी प्रकार प्रत्येक माह के शुक्रवार को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त आई0एस0एम0 पद्धति के चिकित्साधिकारियों की बैठक आयोजित होती है जिसमें माह में किये गये कार्यों की समीक्षा और माह की रणनीति तैयार की जाती है। ब्लाक स्तरीय प्रा0स्वा0 केन्द्रों पर 24 घंटे प्रसव सेवायें उपलब्ध करायी गई है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आकस्मिक प्रसव सेवायें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था

की जा रही है जिससे मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर दोनों में कमी लायी जा सकेगी। मातृ/मृत्यु दर कम होने से पुनर्विवाह में कमी आयेगी और बच्चों की संख्या भी नियंत्रित रहेगी। राज्य में ग्रामीण प्रसव सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये वर्ष 2003-2004 में ग्रामीण अप्रशिक्षित 810 दाइयों को प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही चल रही है। इससे भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षित दाइयों द्वारा प्रसव कराने के फलस्वरूप मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर दोनों में कमी लायी जा सकेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भी समय-समय पर जिला योजनाओं के माध्यम से नये अस्पताल बनाये जा रहे हैं।

मान्यवर, जो मानक भारत सरकार ने निर्धारित किये हैं उसके माध्यम से बहुत अच्छी सेवा हम नहीं कर सकते हैं। अभी स्टेट कमेटी की बैठक में यह मामला उठाया था कि उत्तरांचल में मानकों को चिकित्सा के क्षेत्र में बदलने की आवश्यकता है। मान्यवर, हमारे यहां प्रत्येक 3,000 पर एक उपकेन्द्र और 20,000 पर एक प्राथमिक केन्द्र है जबकि इसको प्रत्येक 1,000 पर एक उपकेन्द्र व प्रत्येक 10,000 पर एक प्राथमिक केन्द्र होना चाहिए। क्योंकि उत्तरांचल का क्षेत्र बहुत फैला हुआ है, इसमें शिथिलता करनी होगी। क्षेत्र की कठिनाइयों को भी देखते हुए जनसंख्या नीति के अन्तर्गत हमने लिया है। मान्यवर, हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की है कि समय-समय पर कैम्प लगाये जायं, उनको जनसंख्या के बारे में बताया जाय कि उसको नियन्त्रण कैसे कर सकते हैं। प्रत्येक विकास खण्ड पर कैम्प लगाये जा रहे हैं। इसमें हम अपने माननीय सदस्यों को भी आमंत्रित करते हैं। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख और वहां के स्थानीय लोगों को जागरुक किया जा रहा है। मान्यवर, दो साल के अन्दर इसमें कहीं न कहीं गिरावट आयी है। शिशु दर उत्तरांचल की 44 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश की 84 प्रतिशत और भारत की 70 प्रतिशत। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तरांचल ने 72.28 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश ने 57.36 प्रतिशत और भारत ने 65.38 प्रतिशत प्रगति की है। उत्तरांचल एक नवोदय राज्य है।

मान्यवर, अभी हम हाल में कुमाऊं व गढ़वाल दोनों मिलाकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें सम्मानित विधायक, जिला पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख और सम्बन्धित अधिकारी को बुलाया जायेगा। हम उसमें जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा करेंगे। एड्स के ऊपर चर्चा करेंगे, इसमें सारे जन प्रतिनिधियों को बुलाया जायेगा। इतना ही नहीं, हमने उत्तरांचल की जनसंख्या नियंत्रण पर काफी काम किया है। इसको आप सभी लोगों से मिलकर आगे और बढ़ाया जायेगा, आपका सहयोग चाहता हूं। अभी माननीय कौशिक जी ने जनसंख्या नियंत्रण पर जो प्रकाश डाला है उस पर हम पूरा सहयोग करेंगे और इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री नारायण पाल, श्री प्रकाश पंत, श्री अजय भट्ट, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री मदन कौशिक, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल तथा श्री हरबंस कपूर जी की कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से जनपद पिथौरागढ़ के प्राथमिक विद्यालय मेलकुंडा भवन की छत गिर जाने के सम्बन्ध में श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा देहरादून में बकरालवाला, नेशविला

रोड, चुक्खुवाला, खुडबुडा मोहल्ला आदि क्षेत्रों में सीवर लाइन की समस्या तथा गन्दे नाले के कारण क्षेत्रवासियों को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री हरबंस कपूर की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

अब हम उठते हैं कल प्रातः 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद 06 बजकर 36 मिनट पर सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2003 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

देहरादून :
दिनांक 23–12–2003

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में सड़क/पुल/डामरीकरण के निर्माण में व्यय हुई धनराशि का विवरण
वर्ष 2002-2003
(राज्य सैक्टर + जिला सैक्टर)

(वित्तीय लाख रु0 में)

क्र0 सं0	जनपद	वर्ष 2002-2003								कुल व्यय			
		राज्य सैक्टर				जिला सैक्टर				राज्य सैक्टर + जिला सैक्टर			
		मार्ग	सेतु	डामरीकरण	योग	मार्ग	सेतु	डामरीकरण	योग	मार्ग	सेतु	डामरीकरण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	उत्तरकाशी	223.05	84.50	26.66	334.21	119.6	9.57	109.61	238.78	342.65	94.07	136.27	572.99
2.	देहरादून	448.63	130.93	526.07	1105.63	47.74	31.39	79.01	158.14	496.37	162.32	605.08	1263.77
3.	हरिद्वार	151.90	0.00	0.00	151.90	238.74	0.00	87.36	326.10	390.64	0.00	87.36	478.00
4.	टिहरी गढ़वाल	434.06	111.68	172.30	718.04	172.21	87.49	88.21	347.91	606.27	199.17	260.51	1065.95
5.	पौड़ी गढ़वाल	248.76	31.81	169.79	450.36	99.08	0.00	190.23	289.31	347.84	31.81	360.02	739.67
6.	चमोली	515.38	200.33	383.12	1098.83	170.07	77.66	197.24	444.97	685.45	277.99	580.36	1543.80
7.	रुद्रप्रयाग	380.99	1.00	21.17	403.16	33.40	7.52	118.70	159.62	414.39	8.52	139.07	562.78
8.	पिथौरागढ़	408.56	128.39	128.53	665.48	46.14	69.46	81.13	196.73	454.70	197.85	209.66	862.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	चम्पावत	109.58	0.00	95.89	205.47	72.84	24.60	32.09	129.53	182.42	24.60	127.98	335.00
10.	अल्मोड़ा	344.72	198.92	92.85	636.49	10.51	18.35	161.09	189.95	355.23	217.27	253.94	826.44
11.	बागेश्वर	294.71	11.29	3.05	309.05	61.19	41.99	162.18	265.36	355.90	93.28	165.23	574.41
12.	नैनीताल	735.21	128.86	42.21	906.28	246.73	29.03	184.66	460.42	981.94	157.89	226.87	1366.70
13.	ऊधमसिंह नगर	114.40	22.00	49.40	185.80	535.18	6.00	16.35	557.53	649.58	28.00	65.75	743.33
	महायोग	4409.95	1049.71	1711.04	7170.70	1853.43	403.06	1507.86	3764.35	6263.38	1452.77	3218.10	10935.05

उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में सड़क/पुल/डामरीकरण के निर्माण में व्यय हुई धनराशि का विवरण
वर्ष 2003–2004
(राज्य सैक्टर + जिला सैक्टर)

(वित्तीय लाख रु0 में)

क्र0 सं0	जनपद	वर्ष 2002–2003								कुल व्यय			
		राज्य सैक्टर				जिला सैक्टर				राज्य सैक्टर + जिला सैक्टर			
		मार्ग	सेतु	डामरीकरण	योग	मार्ग	सेतु	डामरीकरण	योग	मार्ग	सेतु	डामरीकरण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	उत्तरकाशी	24.36	0.44	25.24	50.04	20.93	0.00	23.93	44.86	45.29	0.44	49.17	94.90
2.	देहरादून	14.08	29.00	238.99	282.07	2.96	10.26	142.20	155.42	17.04	39.26	381.19	437.49
3.	हरिद्वार	180.07	0.00	44.51	224.58	268.70	0.00	13.72	282.42	448.77	0.00	58.23	507.00
4.	टिहरी गढ़वाल	21.98	15.99	224.86	262.83	49.14	36.77	75.60	161.51	71.12	52.76	300.46	424.34
5.	पौड़ी गढ़वाल	8.43	5.55	138.60	152.58	32.59	0.00	50.95	83.54	41.02	5.55	189.55	236.12
6.	चमोली	159.54	61.13	76.94	297.61	25.88	37.11	67.97	130.96	185.42	98.24	144.91	428.57
7.	रुद्रप्रयाग	4.42	6.43	7.66	18.51	3.30	3.99	30.30	37.59	7.72	10.42	37.96	56.10
8.	पिथौरागढ़	18.19	4.53	70.06	92.78	4.12	5.86	38.32	48.30	22.31	10.39	108.38	141.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	चम्पावत	0.83	0.00	36.18	37.01	17.64	15.78	13.02	46.44	18.47	15.78	49.20	83.45
10.	अल्मोड़ा	29.25	7.07	67.24	103.56	6.40	4.72	65.83	76.95	35.65	11.79	133.07	180.51
11.	बागेश्वर	9.05	5.00	0.00	14.05	14.92	1.70	57.74	74.36	23.97	6.70	57.74	88.41
12.	नैनीताल	71.09	11.17	117.88	200.14	106.25	13.74	102.04	222.03	177.34	24.91	219.92	422.17
13.	ऊधमसिंह नगर	29.44	4.44	38.83	72.71	203.45	21.12	61.57	286.14	232.89	25.56	100.40	358.85
	महायोग	570.73	150.75	1086.99	1808.47	756.28	151.05	743.19	1650.52	1327.01	301.80	1830.18	3458.99

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

संख्या 1207 / नौ–2–(58 अधि0) / 2003

प्रेषक,

सी०एम० बेरी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून: दिनांक 24 जून, 2003

विषय : उत्तरांचल जल संस्थान के संरचनात्मक ढांचे का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना संख्या 2083 / नौ–2–(41 अधि0) / 2002, दिनांक 26 अगस्त, 2002 द्वारा तत्कालीन कुमायूं जल संस्थान तथा गढ़वाल जल संस्थान का संविलियन कर ''उत्तरांचल जल संस्थान'' का गठन राज्य स्तरीय संस्थान के रूप में किया गया है। उत्तरांचल (उ0प्र0 जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तरांचल जल संस्थान के बोर्ड का भी गठन किया गया है। उत्तरांचल जल संस्थान के संरचनात्मक ढांचे का (पूर्व में सृजित पदों को समायोजित करते हुए) गठन निम्नवत् किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	अनुमोदित पदों की संख्या
1.	अध्यक्ष (सचिव, पेयजल, उत्तरांचल शासन, पदेन)		
2.	मुख्य महाप्रबन्धक	16400–20000	01
3.	महाप्रबन्धक	14300–18300	02
4.	वित्त निदेशक	14300–18300	01
5.	सचिव (प्रशासन / अप्रेजल) (अधीक्षण अभियन्ता)	12000–16500	02
6.	उप महाप्रबन्धक (सामग्री) (अधीक्षण अभियन्ता)	12000–16500	01
7.	उप महाप्रबन्धक (वि0 यां0) (अधीक्षण अभियन्ता)	12000–16500	01
8.	उप महाप्रबन्धक (अधीक्षण अभियन्ता)	12000–16500	09
9.	प्रबन्धक (अधिशासी अभियन्ता)	10000–15200	28
10.	वरिष्ठ लेखाधिकारी / वरिष्ठ सम्परीक्षाधिकारी	10000–15200	3

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	अनुमोदित पदों की संख्या
11.	सहायक प्रबन्धक (सहायक अभियंता)	8000—13500	86
12.	लेखाधिकारी / सम्परीक्षाधिकारी	8000—13500	07
13.	विधि अधिकारी	8000—13500	01
14.	प्रशासनिक अधिकारी	8000—13500	01
15.	सहायक लेखाधिकारी / सहायक सम्परीक्षाधिकारी	6500—10500	05
16.	कार्यालय अधीक्षक	4500—7250	04
17.	अवर अभियन्ता	5000—8000	208
18.	वरिष्ठ केमिस्ट	6500—10500	01
19.	आशुलिपिक (प्रथम)	4500—7250	14
20.	लेखाकार	5000—8000	33
21.	मुख्य लिपिक	4000—6000	33
22.	लेखा एवं राजस्व सहायक / सहायक मीटर निरीक्षक	4000—6000	85
23.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	3050—4590	15
24.	मानचित्रक	4000—6000	11
25.	लेखा एवं राजस्व उप सहायक	3050—4590	312
26.	संगणक	4000—6000	04
27.	सहायक कर अधीक्षक / राजस्व अधीक्षक / राजस्व लेखाकार / कनिष्ठ संप्रेक्षक / आडिट / केमिस्ट / पंप हाउस अधीक्षक / मीटर निरीक्षक	4000—6000	26
28.	आशुलिपिक (द्वितीय) / हैड वाडना आपरेटर / कर एवं राजस्व निरीक्षक / फोरमैन	4000—6000	19
29.	मीटर रीडर / चालक / इलेक्ट्रीशियन / हैड फिटर / मीटर मैकेनिक / जलकल सुपरवाइजर	3050—4500	204
30.	मीटर आपरेटर / मशीनिष्ट / पंप इंजन ड्राइवर / राज मिस्त्री / फिटर / पंप आपरेटर / फिटर वर्कशाप	2750—4400	759
31.	बेलदार / अनुचर / माली / चौकीदार / फिटर / अटेन्डेन्ट / पंप अटेन्डेन्ट / जूनियर फिटर / पंप मैकेनिक / दफ्तरी / सीवर बेलदार आदि	2610—3540 2550—3200	2316
		योग	4194

2—उत्तरांचल जल संस्थान के संगठनात्मक ढांचे में उपरोक्त विवरणानुसार कुल 4194 पदों पर सहमति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है :—

1. इन पदों के सृजन के उपरांत विनियमितीकरण आदि की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग का अभिमत प्राप्त कर लेंगे और अन्य आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करने के उपरान्त ही विनियमितीकरण की कार्यवाही करेंगे।

2. किसी भी दशा में नई नियुक्तियां नहीं की जायेंगी। समस्त तैनातियां विभाग अथवा जल निगम में सरप्लस कर्मियों में से ही रिडिप्लायमेन्ट के आधार पर की जायेंगी। इसके बाद भी यदि कोई पद रिक्त रहता है तो उसको भरने के लिए पुनः वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी, जो वास्तविक वर्कलोड के आधार पर निर्धारित होगा।

3. इस संरचनात्मक ढांचे में किसी भी कर्मी को वेतनमान वही देय होगा जो बजाज समिति द्वारा संस्तुत है। यदि किसी पदधारक को पूर्व से अधिक वेतनमान दिया जा रहा है तो वह पदधारक वैयक्तिक रूप से पूर्व में उक्त स्वीकृत वेतनमान प्राप्त करता रहेगा और तदोपरान्त यह पद स्वतः ही समिति द्वारा संस्तुत वेतनमान में परिवर्तित हो जायेगा।

4. उपरोक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित पदों के विवरण में (क्रमांक 27 से 31 तक) सफाई, सुरक्षा तथा माली आदि एवं उक्त पदों के अन्य कार्य जो वे आवश्यक समझे, से सम्बन्धित कार्य ठेके पर कराये जाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग स्वतः विचार कर लेगा। वर्तमान पदधारक के सेवा में बने रहने तक ही पद स्वीकृत रहेगा, एवं तदोपरान्त इस प्रकार के संवर्ग मृत संवर्ग घोषित कर दिये जायेंगे। मृत घोषित संवर्ग के पदधारक की सेवानिवृत्ति के उपरान्त ठेके (आउट सोर्सिंग) के आधार पर ही कार्य लिया जायेगा।

5. महाप्रबन्धक आदि पदों का पदनाम वही रखा जायेगा जो पूर्व में जल संस्थान में स्वीकृत है।

6. उत्तरांचल जल संस्थान के संरचनात्मक ढांचे में मुख्य महाप्रबन्धक का मुख्यालय देहरादून रहेगा, दोनों मण्डल कुमायूं तथा गढ़वाल मुख्यालयों पर एक–एक महाप्रबन्धक के कार्यालय का मुख्यालय रहेगा। इसके अतिरिक्त 10 वृत्त कार्यालय तथा 27 खण्डीय कार्यालय स्थापित होंगे, जिसके सम्बन्ध में उत्तरांचल जल संस्थान बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त शासन की सहमति प्राप्त की जायेगी। उप महाप्रबन्धक (सामग्री) तथा उप महाप्रबन्धक (विद्युत / यांत्रिक), अन्य उप महाप्रबन्धकों के साथ अन्तर परिवर्तनीय (इन्टरचेन्जेबल) रहेंगे।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 561 / वित्त अनुभाग–3 / 2003, दिनांक 23 जून, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

सी0 एम0 बेरी,
अपर सचिव।

पृ0 संख्या 1207 (1)/नौ-2 (58 अधि0)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, महामहिम, श्री राज्यपाल, महोदय, उत्तरांचल।
2. सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य, उत्तरांचल शासन।
3. सचिव, नगर विकास, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4. अध्यक्ष, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तरांचल शासन।
6. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
7. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
8. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
11. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अर्जुन सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या 1701/नौ–2–(58 अधि0)/2002

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून: दिनांक 24 जून, 2003

विषय : उत्तरांचल जल संस्थान के संरचनात्मक ढांचे का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1709/अधि0–8/2003–04, दिनांक 10 जुलाई, 2003 के संदर्भ में तथा शासनादेश सं0 1207/नौ–2–(58 अधि0)/2002, दिनांक 24 जून, 2003 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 24–6–2003 के प्रस्तर 2.4 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जाय :–

"2.4–जिन कार्यों का सम्पादन बाह्य स्रोतों (आउट सोर्सिंग) से किया जा सकता है तथा जहां बदली हुई परिस्थितियों में पद की आवश्यकता नहीं रह जाती है, उनको चिन्हित करते हुए मृत संवर्ग घोषित किया जाय। ऐसे घोषित मृत संवर्ग में पदधारक तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक वह सेवानिवृत्त नहीं हो जाता है।"

2–कृपया उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 24–6–2003 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष अन्य शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगी।

भवदीय,
अर्जुन सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या 1701 (1)/नौ–2–(58 पे0)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. सचिव, महामहिम, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4. अध्यक्ष, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान (कुमायूं) नैनीताल।
7. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अर्जुन सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या 1206/नौ–2–(92 अधि0)/2002

प्रेषक,

सी0एम0 बेरी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून: दिनांक 24 जून, 2003

विषय : उत्तरांचल में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के संरचनात्मक ढांचे का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य की पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं के निर्माण एवं कुशल संचालन हेतु उत्तरांचल (उ0प्र0 जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम का गठन किया गया है। इस निगम के संरचनात्मक ढांचे का (पूर्व में सृजित पदों को समायोजित करते हुए) निम्नवत् गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	अनुमोदित पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	प्रबन्ध निदेशक	18400–22400	01
2.	मुख्य अभियन्ता स्तर–2	16400–20000	02
3.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	14300–18300	09
4.	अधीक्षण अभियन्ता (वि0 यां0)	14300–18300	01
5.	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	10000–15200	37
6.	अधिशासी अभियन्ता (वि0यां0)	10000–15200	04
7.	सहायक अभियन्ता	8000–13500	164
8.	अवर अभियन्ता	5000–8000	427
9.	अवर अभियन्ता (तकनीकी)	5000–8000	23
10.	संगणक/मुख्य मानचित्रक	4500–7000	24
11.	मानचित्रक	4500–7000	33
12.	वित्त निदेशक	संवर्गानुसार	01
13.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	10000–15200	02
14.	लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी	8000–13500	06

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	अनुमोदित पदों की संख्या
1	2	3	4
15.	लेखाकार	6375–9000	50
16.	कार्यालय अधीक्षक	6375–9000	01
17.	प्रधान सहायक	5000–7125	04
18.	निजी सचिव (आशुलिपिक ग्रेड 1 व 2)	6375–9000	05
19.	आशुलिपिक ग्रेड 3, 4	4500–7000	53
20.	मुख्य लिपिक	4500–7000	34
21.	वरिष्ठ आलेख–प्रालेखक	4500–7000	39
22.	कनिष्ठ आलेखक–प्रालेखक	4000–6000	151
23.	नैत्यिक लिपिक/कम्प्यूटर आपरेटर	3050–4590	157
24.	स्टोर कीपर	3050–4590	05
25.	वाहन चालक	3050–4590	72
26.	दफ्तरी	2610–3540	37
27.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2550–3200	277
	योग		1619

2–उपरोक्त उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के संरचनात्मक ढांचे का गठन निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है :

(1) निगम के संरचनात्मक ढांचे में एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक का कार्यालय होगा, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थापित होगा, दो मुख्य अभियन्ता स्तर–II के कार्यालय गढ़वाल/कुमायूं मण्डल के लिए अलग–अलग रहेंगे, जिनके मुख्यालय क्रमशः पौढ़ी तथा नैनीताल में रहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य वृत्त कार्यालय, खण्डीय कार्यालय आदि स्थापित किये जाने के संबंध में अध्यक्ष, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के माध्यम से शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। स्थापित किये जाने वाले खण्डीय कार्यालयों में से 4 खण्डीय कार्यालय प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर सिविल डिपोजिट वर्क करने के लिए स्थापित किये जायेंगे ताकि निगम अपनी स्वजनित आय में वृद्धि कर सके और उससे अधिष्ठान संबंधी व्यय का वहन करने के लिए आत्मनिर्भर हो सके। खण्डीय कार्यालयों में पेयजल योजनाओं के निर्माण तथा सिविल डिपोजिट कार्यों के लिए कार्यालयों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन शासन द्वारा समय–समय पर कार्य बोझ (वर्क लोड) के आधार पर किया जा सकेगा। भविष्य में कितना निर्माण कार्य होगा एवं दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में कितने पदों की आवश्यकता होगी इसका भी अध्ययन कर लिया जाय। विशेषकर स्वजलधारा आदि के अनुसार भी पेयजल कार्यक्रमों का संचालन किया जाना होगा।

(2) जिन कार्यों का सम्पादन बाह्य स्रोतों (आउट सोर्सिंग) से किया जा सकता है तथा जहां बदली हुई परिस्थितियों में पद की आवश्यकता नहीं रह जाती है उनको चिन्हित करते हुए मृत संवर्ग घोषित किया जाय। ऐसे घोषित मृत संवर्ग में पदधारक तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक वह सेवानिवृत्त नहीं हो जाता है।

(3) किसी दशा में नई नियुक्तियां नहीं की जायेंगी। समस्त तैनातियां विभाग एवं उत्तरांचल जल संस्थान के सरप्लस कर्मियों में से ही रिडिप्लायमेन्ट के आधार पर की जायेगी। इसके बाद भी यदि कोई पद रिक्त रहता है तो उसको भरने के लिए पुनः वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी, जो वास्तविक वर्क लोड के आधार पर निर्धारित होगा।

(4) निगम के इस संरचनात्मक ढांचे में पूर्व से स्वीकृत संवर्ग/पदनाम के किसी भी कर्मी को वर्तमान में प्राप्त वेतनमान से अधिक वेतनमान देय नहीं होगा। यदि किसी वेतनमान में विसंगति दृष्टिमान होती है तो उसका निराकरण वित्त विभाग की सहमति के अनुसार किया जायेगा।

3–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 562/वित्त अनु0–3/2003, दिनांक 23 जून, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सी0 एम0 बेरी,
अपर सचिव।

पृ0 संख्या 1206(1)/नौ–2–(92 अधि0)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, महामहिम, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल।
2. सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य, उत्तरांचल शासन।
3. सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।
6. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तरांचल शासन।
7. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
9. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री।
10. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
11. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अर्जुन सिंह,
संयुक्त सचिव।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

वर्ष 2002–03 में विकास खण्ड चिन्यालीसौड़, जनपद उत्तरकाशी में दैवीय आपदा मद में आवंटित आवासों की सूची :

क्र0सं0	नाम लाभार्थी तथा पिता/पति का नाम	ग्राम	स्वीकृत धनराशि
1.	श्री बुद्धि सिंह पुत्र ज्ञान सिंह	ज्येष्टवाड़ी	22000/–
2.	" शान्ती प्रसाद पुत्र श्यामकृष्ण	रौंतल	22000/–
3.	" उदयसिंह पुत्र धुरक सिंह	बनकोट	22000/–
4.	" बालम सिंह पुत्र आशा सिंह	जोगत तल्ला	22000/–
5.	श्रीमती प्यारी देवी प0 घनश्याम	जोगत तल्ला	22000/–
6.	श्री पवन सिंह पुत्र बतरसिंह	कुमराड़ा	22000/–
7.	" अमरदास पुत्र रूपदास	ज्येष्टवाड़ी	22000/–
8.	" श्रीताज पुत्र जेठू	धारकोट	22000/–
9.	श्रीमती संग्रामी देवी प0 लोलया	खाण्ड	22000/–
10.	श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र कान्तीराम	गड़ाली	22000/–
11.	" जयेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह	टिपरी (वि0)	22000/–
12.	" रवीशंकर पुत्र महावीर प्रसाद	रौंतल	22000/–
13.	" खिला पु0 फजीतू	गड़थ	22000/–
14.	" भगवती प्रसाद पु0 श्यालिकराम	जोगत मल्ला	22000/–
15.	" सुन्दरलाल पु0 बदामू	बड़ेथी	22000/–
16.	" कुशला पुत्र फोणू	छोटीमणी	22000/–
17.	" बचन सिंह पुत्र शिवसिंह	वनगांव	22000/–
18.	" जोत सिंह पुत्र रामशरण	वनगांव	22000/–
19.	" कौरसिंह पुत्र भोलयासिंह	वनगांव	22000/–
20.	" वर्फसिंह पुत्र सोहन सिंह	खालसी	22000/–
21.	" सवला पुत्र सर्दू	पुजारगांव (बड़ुली)	22000/–
22.	" दाताराम पुत्र लक्ष्मीदत्त	" "	22000/–
23.	" दिनेश पुत्र दलबू	छोटीमणी	22000/–
24.	" प्रमोद कुमार पुत्र जितारु	चिन्याली	22000/–
25.	" शूरवीर सिंह पुत्र शेरसिंह	गड़थ	22000/–
26.	" चतरू पुत्र जालमू	गड़थ	22000/–

क्र0सं0	नाम लाभार्थी तथा पिता/पति का नाम	ग्राम	स्वीकृत धनराशि
27.	श्री दुर्गा प्रसाद पुत्र शिवराम	गडथ	22000/–
28.	" निहालसिंह पुत्र बलदेव सिंह	गडथ	22000/–
29.	" हर्षमणि पुत्र जगदीश प्रसाद	बनाडी	22000/–
30.	" सबलसिंह पुत्र भोपालसिंह	मुयारा	22000/–
31.	" शरदसिंह पुत्र अमरसिंह	मौध	22000/–
32.	" बालम सिंह पुत्र नैयनसिंह	मौध	22000/–
33.	" अतरसिंह पुत्र बैसाख सिंह	मुयारा	22000/–
34.	" विरेन्द्र सिंह पुत्र तेगसिंह	मकोगी	22000/–
35.	" मुल्की पुत्र सायरू	जिव्या	22000/–
36.	" इन्द्रपाल पुत्र मैदरू	छैजुला	22000/–
37.	श्रीमती राधिका प0 कमलसिंह	बडली	22000/–
38.	श्री गया प्रसाद पुत्र माडूराम	गमरी	22000/–
39.	श्रीमती गुलादेवी प0 चन्दनसिंह	धारकोट	22000/–
40.	श्री नत्थीसिंह पुत्र रामसिंह	रिखाणगाव	22000/–
41.	" गोविन्द सिंह पुत्र सबल सिंह	टिपरी	22000/–
42.	" रामदास पुत्र गंगादास	मडकोट	22000/–
43.	श्रीमती अजुध्यादेवी पत्नी बचन सिंह	मडकोट	22000/–
44.	श्री जवालाल पुत्र सुरजनू	कामदा	22000/–
45.	" खिमानन्द पुत्र राधा कृष्ण	टण्डोल	22000/–
46.	श्रीमती मंजू देवी प0 अनिल	टण्डोल	22000/–
47.	श्री गजीलाल पुत्र परमालाल	टण्डोल	22000/–
48.	श्रीमती मददू देवी प0 देवदास	अदनी	22000/–
49.	श्री रोशन लाल पुत्र सब्बल सिंह	मथोली	22000/–
50.	" मंगल सिंह पुत्र बलीसिंह	मथोली	22000/–
51.	" अमरसिंह पुत्र राय सिंह	कासी	22000/–
52.	" प्रमोद कुमार पुत्र ठगू	कासी	22000/–
53.	" अर्जुनदास पुत्र सूरतमदास	टिपरी (द0)	22000/–
54.	" घनश्याम सिंह पुत्र चैतसिंह	जसपुर	22000/–
55.	श्रीमती समोद्रादेवी प0 जयकृष्ण	बादसी	22000/–
56.	श्री हरिसिंह पुत्र मंगल सिंह	अनोल	22000/–

क्र0सं0	नाम लाभार्थी तथा पिता/पति का नाम	ग्राम	स्वीकृत धनराशि
57.	श्री मुशीलाल पुत्र संतरी	अनोल	22000/-
58.	" दिलसिंह पुत्र सूरतसिंह	मथाली	22000/-
59.	श्रीमती पिंगलादेवी प0 लालसिंह	मरगांव	22000/-
60.	श्री अतरलाल पुत्र आलमू	रिखाणगांव	22000/-
61.	" बचनसिंह पुत्र शेरसिंह	इन्द्रा	22000/-
62.	" प्रेमलाल पुत्र सब्बललाल	इन्द्रा	22000/-
63.	श्रीमती पूर्णमासी प0 माधूराम	सर्प	22000/-
64.	" अनिता देवी प0 महेशचन्द	बधाणगांव	22000/-
65.	श्री बलवीरसिंह पुत्र रघुबीर सिंह	क्यारी	22000/-
66.	श्रीमती संगादेवी प0 गरीबदास	जिव्या	22000/-
67.	श्री प्रेमलाल पुत्र नकटा	उलण	22000/-
68.	" खिमानन्द पुत्र हर्षमणी	नेरी	22000/-
69.	श्रीमती रतनदेई प0 रुकमसिंह	श्रीकोट	22000/-
70.	श्री बचनलाल पुत्र दर्शनलाल	उराकोट	22000/-
71.	" दुर्गू पुत्र ग्वाणू	जोखणी	22000/-
72.	" मुंशी पुत्र किंदरी	धारकोट	22000/-
73.	" मुलकीराम पुत्र नारायण	चांदपुर उलण	22000/-
74.	" घियालू पुत्र ज्यूणा	बनाडी	22000/-
75.	" प्रतापसिंह पुत्र पूर्णसिंह	घरासू	22000/-
76.	" ग्वाणू पुत्र तुलसी	उडखोला	22000/-
77.	" धीरजमणी पुत्र जगतराम	गडाली	22000/-
78.	" सोहनसिंह पुत्र ध्यालसिंह	बगोडी	22000/-
79.	" बिशनसिंह पुत्र कृपालसिंह	बगोडी	22000/-
80.	श्रीमती नन्दादेवी प0 सुन्दरी दास	दियली	22000/-
81.	श्री असाडू पुत्र ज्यूणा	चिन्याली	22000/-
82.	" उत्तमलाल पुत्र जौकरू	चिन्याली	22000/-
83.	श्रीमती मीनादेवी प0 बलवीर लाल	जोगत मल्ला	22000/-
84.	" बर्फी देवी प0 नकटा लाल	गढवालगाड	22000/-
85.	" मोली देवी प0 जटा शंकर	जगडगांव	22000/-
86.	श्री कृपा लाल पुत्र हंसरू	मोगीं	22000/-

क्र0सं0	नाम लाभार्थी तथा पिता/पति का नाम	ग्राम	स्वीकृत धनराशि
87.	श्री रमेश पुत्र धोकरू	चिलोट	22000/–
88.	श्रीमती बालादेवी प0 सोवन लाल	चिलोट	22000/–
89.	श्री रामलाल पुत्र नथू	श्रीकोट	22000/–
90.	श्रीमती कुन्दनादेवी प0 गिरधारीलाल	खदाड़ा	22000/–
91.	श्री गणेश लाल पुत्र कुन्दन लाल	खदाड़ा	22000/–
92.	" रमेश लाल पुत्र रगतू	मल्ली	22000/–
93.	" हुकमलाल पुत्र बैसाखू	गढ़ोली	22000/–
94.	श्रीमती उर्मिला प0 चन्द्रदास	टिपरी (द)	22000/–
95.	श्री रुकमदास पुत्र पुलमदास	बनाड़ी	22000/–
96.	" कुशला पुत्र ग्याणू	धारकोट	22000/–
97.	श्रीमती कातकी देवी प0 बचनलाल	बागी	22000/–
98.	श्री गम्भीर लाल पुत्र घनश्याम	बागी	22000/–
99.	" बलबीर लाल पुत्र गोपाला	कुमराड़ा	22000/–
100.	" मनोज कुमार पुत्र बचनदास	कैथोगी	22000/–
101.	श्रीमती बागादेवी प0 अबलदास	नेरी	22000/–
102.	" रजनीदेवी प0 फजीतू	रमोली (बदारुड़ा)	22000/–
103.	श्री विशन लाल पुत्र इन्द्रलाल	तनगांव	22000/–
104.	" चैतु लाल पुत्र सब्बललाल	बोड़ा–फेड़ी	22000/–
105.	श्रीमती उर्मिला प0 काशी	नागणी	22000/–
106.	श्री मुरारीलाल पुत्र सत्यानन्द	रमोली	22000/–
107.	" राजेन्द्रलाल पुत्र धामू	तराकोट	22000/–
108.	श्रीमती मुंशादेवी प0 दलबू	तुल्याड़ा	22000/–
109.	श्री मुस्या लाल पुत्र भगतू	छैंजुला	22000/–
110.	" बैसाखू पुत्र गौनाथ	मथाली	22000/–
111.	" राकेश पुत्र खंतदू	मरगांव	22000/–
112.	" बिजू लाल पुत्र गडदू	बोड़ा–फेड़ी	22000/–
113.	श्रीमती रीना प0 बुद्धिदास	टिपरी (वि0)	22000/–
114.	" मीनादेवी प0 जयप्रकाश	टिपरी (वि0)	22000/–
115.	श्री प्यारसिंह पुत्र ताराचन्द	छैंजुला	22000/–
116.	" बिक्रम लाल पुत्र किशना	बड़ीमणी	22000/–

क्र0सं0	नाम लाभार्थी तथा पिता/पति का नाम	ग्राम	स्वीकृत धनराशि
117.	श्री हर्षलाल पुत्र बचनदास	क्यारी (द0)	22000/-
118.	" ध्यान लाल पुत्र बदामू	बडेथी	22000/-
119.	श्रीमती सावित्री देवी प0 सोहन लाल	रमोली	22000/-
120.	श्री सरतसिंह पुत्र काल्वासिंह	नगाणी वडी	22000/-
121.	" भीष्मसिंह पुत्र गोपालसिंह	टिपरी (द0)	22000/-
122.	" रजपाल पुत्र रतनसिंह	बोडा–फेडी	22000/-
123.	" कर्णसिंह पुत्र अमरसिंह	कैथोगी	22000/-
124.	" महादेव पुत्र सुन्दर लाल	खालसी	22000/-
125.	" बीरबल पुत्र चन्दू	खालसी	22000/-
126.	श्रीमती जलमादेवी प0 हजारूलाल	वडली	22000/-
127.	" अनारीदेवी प0 जलमदास	चिलोट	22000/-
128.	" गिन्थलादेवी प0 रामजी	डलण	22000/-
129.	श्री जयदेव पुत्र सत्यशरण	बडेथी	22000/-
130.	" सूमसिंह पुत्र रतनसिंह	क्यारी (दि)	22000/-
131.	" जगतू लाल पुत्र मैतावू	खालसी	22000/-
132.	" गोबिन्द लाल पुत्र मुतरूलाल	अनोल	22000/-
133.	श्रीमती सीतादेवी प0 गम्भीर चन्द	बडीमणी	22000/-
134.	श्री अतोलसिंह पुत्र हुकम सिंह	कवागडी	22000/-
135.	" चैतू पुत्र राजू	छैजुला	22000/-
136.	श्रीमती सुरमा प0 बालमू	कपराडा	22000/-
137.	श्री बुद्धिलाल पुत्र सौणू	जेष्टवाडी	22000/-
138.	श्रीमती डब्लीदेवी प0 राजूलाल	धारकोट	22000/-
139.	" बैसाखी देवी प0 धर्मलाल	क्यारी (दशगी)	22000/-
140.	श्री सोहन दास पुत्र पुलमदास	जिव्या	22000/-
141.	" बचनदास पुत्र सौणू	गडोली	22000/-
142.	" सोहन लाल (उपनिया) पुत्र गुलजारी	तराकोट	22000/-
143.	" कुन्दन लाल पुत्र दलपति	उडखोला	22000/-
144.	" बचनलाल पुत्र लालीलाल	ज्येष्टवाडी	22000/-
145.	" श्यामलाल पुत्र इन्द्रमणी	खदाडा	22000/-
146.	" माधूलाल पुत्र लोलया	खाण्ड	22000/-

क्र0सं0	नाम लाभार्थी तथा पिता/पति का नाम	ग्राम	स्वीकृत धनराशि
147.	श्रीमती गैणादेवी प0 प्रेमलाल	बगोडी	22000/–
148.	श्री कमलदास पुत्र अतरदास	अनोल	22000/–
149.	" उपेन्द्रलाल पु0 गुमटलाल	श्रीकोट	22000/–
150.	" भीमलाल पुत्र गैंदालाल	बमणती	22000/–
151.	" राजेश पुत्र हुकुम दास	बरेठ	22000/–
152.	" रोशनलाल पुत्र कुन्दनलाल	कैंथोगी	22000/–
153.	" किशन लाल पुत्र गोपललाल	इन्द्रा	22000/–
154.	" रामदयाल पुत्र रामचन्द	बमणती	22000/–
155.	" भगतराम पुत्र लुदरीदत्त	बनाड़ी	22000/–
156.	" देबसिंह पुत्र जयचन्द	उराकोट	22000/–
157.	" बेलसिंह पुत्र इन्द्रसिंह	भुयारा	22000/–
158.	श्रीमती बसन्तीदेवी प0 चैतसिंह	कुमराडा	22000/–
159.	श्री विरेन्द्रसिंह पुत्र लुदरसिंह	बरेठ	22000/–
160.	" चन्द्रमणी पुत्र रामदयाल	मल्ली	22000/–
161.	" फियरू पुत्र झिज्जू	जोखणी	22000/–
162.	" सुन्दरू पुत्र झाबरू	मल्डगांव	22000/–
163.	" बिशन दास पुत्र ऐदास	गमरी	22000/–
164.	" भरत लाल पुत्र परमालाल	पुजारगांव (ग0)	22000/–
165.	" देवदास पुत्र विरन्तीदास	अनोल	22000/–

जिला विकास अधिकारी,

उत्तरकाशी।

पी0एस0यू0(आर0ई0)9 विधान सभा/426–13–12–2004–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसैट)।